अध्याय – १

प्रस्तावना

अ) भवन निर्माण श्रमिकों का अर्थ

ब) अध्ययन का क्षेत्र एंव उद्देश

क) अध्ययन की पध्दति

ड) नागपूर शहर का संक्षिप्त परिचय

" नागपूर शहर के भवन निर्माण श्रमिकों की सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति का अध्ययन "

अध्याय– १

प्रस्तावना :

अ) भवन निर्माण श्रमिकों का अर्थ :

भारत की जनसंख्या में श्रमिक शक्ति का योगदान तकरीबन ३७ प्रतिशत है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के श्रमिक सम्मिलित है। इन श्रमिको में से लगभग ६० प्रतिशत से ७० प्रतिशत श्रमिक ग्रामिण इलाकों से आते है। ऐसे श्रमिकों को अपनी आजीविका चलाने के लिए नजदिकी शहरों की ओर रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है, जबकी उनके पास किसी प्रकार की खास योग्यता भी नही होती है और न ही उनके कार्य के संन्दर्भ में कही पंजीयन किया जाता है, ऐसे श्रमिक असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते है। देश के लघु व कुटीर उद्योगों में भी लाखों श्रमिक कार्यरत है। अकेले हाथ करघा उद्योंग का उदाहरण लिया जाता तो इसमें करीब १ करोड़ से अधिक श्रमिक श्रम साधना कर रहे है। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी में जिसमें एक श्रेणी भवन निर्माण कार्य है जिसमें अपनी जिविका चलाने के लिए लाखों की तादाद में श्रमिक कार्यरत है।

भवन निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों में जहाँ दैनिक मजदुरी भोगी श्रमिक कार्यरत है वही कुछ श्रमिक ऐसे भी है जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत अपना श्रम प्रदान कर रहे है। भवन निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों की बहुमुल्य संख्या ऐसी है जो राज्यशासन के नियमित जीविकोपार्जन श्रमिक है। सामान्यतः भवन निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक ठेकेदारी प्रथा के अधिन अपना श्रम प्रदान कर रहे है। ठेकेदारी प्रथा के अंर्तगत आने वाले श्रमिकों की मजदुरी की दरे नीची होने के साथ उन्हे अन्य सुविधायें जो सामान्यतः संगठीत उद्योगों के श्रमिकों को प्राप्त होती है, नही प्राप्त हो रही है।

असंगठीत श्रमिकों को प्रतिकुल परिस्थीतियो में श्रमदान करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है।

भवन निर्माण कार्य में संलग्न असंगठीत श्रमिकों कों संगठीत उद्योगों में लगे श्रमिकों की तुलना में नीचा जीवन स्तर जीते हुए अपनी जीविका का उपार्जन करना पड़ता है। संगठीत श्रमिक उन मौद्रिक लाभ, वस्तुगत लाभ एंव सामाजिक कल्याण विषयक सुविधाओ के जो संगठीत क्षेत्रो के मजदुरों को वैधानिक नियमानुसार उपलब्ध है, हकदार है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानविय शक्ति का बहुत महत्व है। क्योंकी निर्माणी उद्योंगों अथवा उत्पादन प्रक्रिया में क्षेत्र के लिए लगने वाली श्रम शक्ति की पूर्ती यह मानविय शक्ति में से ही की जाती है। किसी भी प्रकार के निर्माणी एंव उत्पादन के क्षेत्र में भुमि, श्रम, पुंजी, एवं संगठन इन चारप्रमुख घटकों का अत्यंत महत्व है। श्री सेमिग्नन के अनुसार मनुष्य ने किसी भी प्रक्रिया को करने के पुर्व प्रकृति ने मुफ्त में किया गया दान यानें भुमी है।

किसी भी देश का विकास यह उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और उस देश की मानवीय श्रम शक्ति यह दों घटकों पर आधारित रहती है। मानविय श्रम शक्ति यह दों घटकों पर आधारीत रहती है। मानवीय श्रम शक्ती का प्राकृतिक संसाधन के अनुपात में जितना ज्यादा उपयोग किया जायेगा उतने अनुपात में उस देश का आर्थिक विकास होता है। यदि कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से समृध्द हो परंतु उन संसाधनो का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ती उपलब्ध न हो तो वह प्राकृतिक संसाधन अनुभवहिन साधनो की तरह पड़े रह जायेंगें। इसलिए किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए नैसर्गिक साधन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ती का उपलब्ध होना भी आवश्यक है।

निर्माणी या उत्पादन कार्य मे श्रम की जितनी आवश्यकता होगी उतनी श्रम शक्ती का उपलब्ध होना जरूरी है। क्योंकी श्रम के बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव नही है। जिस प्रकार से देश के आर्थिक व्यवस्था में श्रम को जीतना स्थान प्राप्त हुआ है उतना स्थान उत्पादन प्रक्रिया के अन्य घटको प्राप्त नही हुआ है।

उत्पादन के अन्य घटको को द्वितीय स्थान देकर श्रम को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। जिससे भारत देश में उत्पादन एंव निर्माणी क्षेत्र में श्रम को ही प्रधान माना गया ऐसा दिखाई देता है। श्रम का प्रत्यक्ष संबंध श्रमिकों से आत है कि किसे श्रमिक कहां जाएं क्योंकि सभी व्यक्तीयो कों श्रमिक या कार्मिक व्यक्ती नही कहा जा सकता है। कर्मचारी इस शब्द का अर्थ जो व्यक्ती धन कमाने के उद्देश से मानसिक और शारीरिक श्रम करते है उस व्यक्ती को श्रमिक कहां जा सकता है।

प्रसिध्द अर्थशास्त्री श्री एम.जी. रेनॉल्डस इनके मतानुसार जिस व्यक्ती का जीवनयापन का साधन केवल श्रम विक्रय है ऐसे लोगो का समावेश श्रमिक इस श्रेणी में आता है। श्रम यह श्रमिकों की काम करने की आंतरिक शक्ती है जो उनसे अलग नही की जा सकती है। जहाँ श्रमिक है वही श्रम अस्तित्व में रहता है।

औद्योगिक श्रम के लक्षण :

सैध्दान्तिक दृष्टि से तो औद्योंगिक श्रम से हमारा आशय उन सभी श्रमिकों से होना चाहिए जो बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्यमों जिनमें कुटीर उद्योग भी है, में कार्य करते है। किन्तु भारत में इस पद का प्रयोग सीमित रूप से किया जात है और उन सभी श्रमिकों कों, जिन पर व्यवस्थित कारखानों में फैक्ट्री अधिनियम लागू होता है, औद्योगिक श्रम का अंग मान लिया जाता है। वे श्रमिक जो कुटीर उद्योगों में काम करते है, इनमें शामिल नहीं किए जाते। चूँकि हमारे देश में कारखाना उद्योगों की प्रगति बहुत धीरे धीरे हुई, इसलिए औद्योगिक श्रम का विकास भी धीरे-धीरे हुआ है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, १९९७ – ९८ में कारखानों की कुल संख्या १३.६ लाख थी परंन्तु २००३ - ०४ में कारखानों की संख्या कम होकर १२.९ लाख हो गयी। इसी प्रकार, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या भी जो १९९७ – ९८ में ७६.५ लाख थी गिरकर २००३ - ०४ में ६०.९ लाख हो गयी। चूँकि अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र मिलाकर श्रमिकों की कुल संसख्या २००४ - ०५ में ४२.३० लाख का अनुमान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ६१ वें रौंद ने लगाया इस का यह अभिप्राय है कि औद्योगिक श्रमिकों का कुल कारखाना - रोजगार देश में २००३ - ०४ में अनुमानित कुल श्रमिकों की संख्या का केवल १.४३ प्रतिशत था। वस्तुतः यह बहुत छोटा है और भारत में औद्योगिक श्रम के छोटे आकार की ओर संकेत करता है।

परन्तु अपने संगठन और राष्ट्रीय आय में योगदान के कारण औद्योगिक श्रम देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ पर सन्तुष्ट औद्योंगिक श्रम देश का गौरव है, वहाँ असंतुष्ट औद्योगिक श्रम से तो राष्ट्रीय आय में कमी ही होगी।

भारत के औंद्योगिक श्रम के कुछ विशिष्ट लक्षणों के कारण मजदूर संघ व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। प्रथम, बहुत से औद्योगिक श्रमिक, मूलतः ग्रामवासी है। इनमें से बहुत से लोग नोकरी की तलाश में स्थायी या अस्थायी रूप में शहरों में आकर बस जाते हैं। इनमें से बहुत से भूमि के साथ अपना सम्बन्ध कायम रखते है और इस कारण वे कभी शहरों में चले जाते हैं और कभी गांव में लौट आते हैं। श्रम का प्रवासीपन हमारे औंद्योगिक श्रम कि विशेषता है। पिछले कुछ वर्षो में ही औद्योगिक श्रम के एक नए वर्ग का विकास हुआ है, जिसकी जड़े कृषि में नही बल्कि जो स्थायी रूप में नगरों और कस्बों में ही रहता है।

दुसरे औद्योंगिक श्रमिक अधिकतर अशिक्षित है और परिणामतः वह उद्योगों की समस्याओं से परिचित नही होता। इस श्रमिक को अपनी

समस्याओं का भी पूर्ण आभास नहीं होता भारत मे मजदूर संघ आन्दोलन के कमजोरी रहने का यह मुख्य कारण है।

तीसरे भारत में औद्योगिक श्रम प्रदेश धर्म जाति भाषा आदि के आधार पर बँटा हुआ है। पिछले वर्षो से ये भेदभाव बलहीन होते जा रहे हैं और आर्थिक आधार पर औद्योगिक श्रम संगठित होता जा रहा है।

चौथे भारतीय श्रमिक काफी समय तक एक ही नोकरी पर नहीं रहते। श्रम का आधिक्य अनुपस्थितिता, अनुशासनहीनता आदि मुख्य समस्याएँ है। इनका एक कारण तो यह है कि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जहाँ वे अपेक्षतः स्वतन्त्र परिस्थितियों में पलते हैं या कुछ हद तक उनमें शिक्षा का अभाव और अवकाश की चाह इसके लिए उत्तरदायी है।

श्रमिकों का अभाव :

ऐसे श्रमिक संगठीत नही रहते है इसलिए उन्हे असंगठीत श्रमिक ही कहना होगा। असंगठीत श्रमिकों से आशय ऐसे श्रमिकों से है जिनका उनके हितों की रक्षा हेतु कोई औंपचारिक तालमेल या संगठन नही है। ऐसे असंगठीत श्रमिक अपनी मजदुरी व सेवा संबंधी शर्तो का निर्धारण प्रमुखता से व्यक्तीगत करार या समझौते के आधार पर करते है। इसका प्रमुख कारण यह है कि असंगठीत श्रमिकों की मजदुरियों की दरो एवं सेवा शर्तो के लिए सरकार की ओर से कोई ऐसे ठोस कानुन नही बनाये गये है। वे इन श्रमिकों पर लागु नही हो रहे है। इस वर्ग के श्रमिक दिन-हीन अस्वस्थ निम्न जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहे है इन श्रमिकों का योजनाबध्द तरीको से शोषण होता है यदि शासन ने प्रभावी नियंत्रण नही लगाये तो यह शोषण भविष्य में भी जारी रहेगा और प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज की संरचना में यह बाधक सिध्द होगा।

श्रम अर्थशास्त्र : परिभाषा और क्षेत्र

श्रम अर्थशास्त्र की परिभाषाः श्रम अर्थशास्त्र एक विस्तृत वाक्यांश है जिसका विगत कुछ दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साहित्य में प्रचार होने लगा है। कहा जाता है कि श्रम अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन के एक प्रमुख अंग के रूप में अर्थशास्त्र के अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत श्रम एंव उसकी समस्याओं और उससे संबंधित सिध्दातों आदि का अध्ययन किया जाता है। परंतु श्रम अर्थशास्त्र को हम केवल अर्थशास्त्र का एक अंग नही मान सकते क्योंकि श्रम अर्थशास्त्र पर अर्थशास्त्र के अतिरिक्त समाजविज्ञान, मनोंविज्ञान, राजनितीशास्त्र व नितिशास्त्र आदि अनेक सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव पड़ा है। श्रम की समस्याएं केवल आर्थिक समस्याएं ही नही बल्कि राजनितिक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक समस्याएं भी है। यद्यापि श्रम अर्थशास्त्र में भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति अनेक विज्ञानों का प्रभाव पड़ा है परंतु इसका अपना एक अलग अस्तित्व हैं। श्रम अर्थशास्त्र सामाजिक उत्पादन में श्रम की बढ़ती हुई भूमिका तथा प्रस्थिति की ओर संकेत करता है।

आर्थिक अध्ययन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में श्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत श्रम एंव इसकी समस्याओं तथा उससे सम्बन्धित सिध्दान्तो आदि का अध्ययन किया जाता है।

श्रम अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है :

कार्टर तथा मार्शल ने श्रम अर्थशास्त्र को किसी औद्योगिकरण की ओर बढती हुई अथवा औद्योगीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार के संगठन संस्थाओं और आचरण के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है।

लीडर डी रोबर्ट : “श्रम अर्थशास्त्र में श्रम समस्याओं के वर्गीकरण एंव विश्लेषण तथा श्रम संघो के विकास एंव भूमिका के साथ श्रम–बाजार की विशेषताओं का विवेचन किया जाता है।”

डेल योडर ने इसे "मानव शक्ति अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। उनके अनुसार श्रम अर्थशास्त्र मुख्यतः जन शक्ति एंव साधनों के अनुकूलतम उपयोग एंव सुरक्षा से सम्बन्धित है।"

प्रोफेसर सी.एन.वकील : श्रम अर्थशास्त्र के अन्तर्गत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में मानवीय कल्याण पर समुचित ध्यान देते हुए दुसरे साधनों के सम्बन्ध में मानवीय साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग की दशाओं का अध्ययन किया जाता है।

ब) अध्ययन का क्षेत्र एंव उद्देश :

शोध प्रबंध का शिर्षक : "नागपूर शहर के भवन निर्माण श्रमिकों की सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति का अध्ययन"

अध्ययन का क्षेत्र : लघू शोध प्रकल्प के अध्ययन के लिए नागपूर शहर के चारों ओर तेजी से चल रहे भवन निर्माण कार्य का चयन किया है।

अध्ययन का उद्देश :

असंगठित श्रमिकों से आशय ऐसे श्रमिकों से है जिनका अपने हितो की रक्षा हेतु कोई औपचारिक तालमेल या उचित संगठन नही है। ऐसे श्रमिक अपनी मजदूरी एंव सेवा संबंधी शर्तो का निर्धारण प्रमुख रूप से व्यक्तिगत करार या समझौतो के आधार पर करते है। इसका प्रमुख कारण यह है की ऐसे श्रमिकों की मजदुरियों की दरे एवं शर्तो के लिए सरकार की और से कोई ठोस कानुन नही बनाये है और कुछ कानुन भी बनाये गये है तो वे इन श्रमिकों पर लागु नही हो रहे है। इस वर्ग के श्रमिक दिन-हीन अस्वस्थ निम्न जीवन जीने के लिए बाध्य हों रहें है। इन श्रमिकों का योजनाबध्द तरीके से शोषण होता है। यदि शासन ने प्रभावी नियंत्रण नही लगाये तो यह शोषण भविष्य में भी जारी रहने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

मानव की सभी आवश्यकताओं में निवास की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य जीवन में निवास यह मानवीय परिवारों की पहली आवश्यकता है और यह एक भौतिक वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। निवास की व्यवस्था से संबंध यह है की मनुष्य कों आराम से रहने मिले एंव वहाँ वह अपने आपको सुखी और समाधानी महसूस कर सके अतः इस प्रकार से वहाँ निवास की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए नयी इमारतों एवं आधारभुत सुख सविधाओं का विकास किया जाना समाविष्ट है।

भारत में १९ वी शताब्दि के अंत तक अधिकांशः श्रमिक असंगठित रूप से ही श्रम साधना करते है। २० वी शताब्दि के प्रारंभ में परिस्थितीयों में कुछ परिवर्तन प्रतिबिम्बीत हुए। देश की जनसंख्या में वृध्दि दृष्टिगोचर हुई। देश में सरकारी एवं निजी उपक्रमों की प्रतिस्थापना के परिणाम स्वरूप कुछ श्रमिक को ही रोजगार संबंधी वास्तविक सुविधाये प्राप्त हो सकी है। संगठित क्षेत्र में श्रम करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके ऐसे ही श्रमिकों को सेवा संबंधी शर्तो एंव अन्य प्रासंगिक लाभो की उपलब्धि हो सकी। शेष किन्तु अधिकांश श्रमिकों को अस्थायी एंव असुरक्षित स्वभाव वाला रोजगार प्राप्त होता रहा जिसमें प्रमुख रोजगार का क्षेत्र कृषि ही रहा।

भारत सरकार की ओर से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांन्त औद्योगिक एंव शासकिय प्रतिष्ठानों मे कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी कार्यदशाये एंव अन्य सुख - सुविधाओं मे सुधार हेतु अनेक वैधानिक एंव अन्य प्रयास किये गये किन्तु असंगठित श्रमिकों का विशाल तबका इन सन्दर्भो में दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। इन असंगठित श्रमिकों के प्रति नियोजन एंव शासन दोनो ही का दृष्टीकोण उदासीनपूर्व रहा। केवल कृषि में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओ के समाधान हेतु कुछ प्रयास किये गये किन्तु अन्य कार्यो में लगे हुए श्रमिकों की लगभग उपेक्षाही दृष्टीगोचर हुई।

शासन की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप असंगठित श्रमिक विभिन्न कठिनाईयो एवं शोषण का शिकार बन गये है। श्रमिकों को जहां कम मजदूरी प्राप्त होती है वही उनके समक्ष रोजगार के अवसर भी सिमीत होते है। अर्थात वर्ष के बहुत बडे भाग में उन्हे काम नही मिल पाता। जहाँ तक कल्याण संबंधी सुविधाओं तथा सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रश्न है इन दिशा में भी असंगठित श्रम के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नही है न तो असंगठित श्रमिकों की पदोन्नती की कोई सुविधा है और नही वार्षिक वेतन वृध्दि की सुविधा। यदि कोई श्रमिक नियोक्ता से इस सन्दर्भ में कोई भी बात करता है तो नियोक्ता उसे काम पर लगाने से ही इन्कार कर देता है।

बेकारी की समस्या से बचने के लिए अधिकांश श्रमिक इस बात का प्रयोग करते है की वे किसी ठेकेदार के अधिन रहकर कार्य करे। किन्तु ठेकेदारी की प्रथा में भी बहुत अच्छी स्थिती नही है। क्योंकि अधिकांश ठेकेदार उन्हें न तो संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के समान मजदूरी तथा अन्य सुविधाए देते है न ही वार्षिक वेतन वृध्दि एवं पदोन्नती दी जाती है। कार्य के घंटो एंव संवैतनिक छुट्टी के संदर्भ में भी स्थिती अच्छी नही है। क्योंकि अधिकांश श्रमिकों को १० से १२ घंटे तक भी कार्य करने की लिए बाध्य होना पडता है।

स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात भारतीय संविधान के तहत आवास निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ बहुत ही तेजी से करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाने लगा ताकि आर्थिक गतिविधी को तेजी से सुधारा जा सके। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी अनेक वास्तुओ का निर्माण किया गया लेकिन जानकारी के अनुसार उनकी संख्या नगण्य रही। उनके निर्माण में अनेक पारंगत एवं कुशल कारीगरों को खोजागाया होगा ऐसा प्रतित होता है क्योंकि जो बडे भवनों का तथा महलो का निर्माण हुआ उसे देखने से ज्ञात होता है कि उन्हें बनवाने में कितने प्रकार की श्रम शक्ति को उपयोग में लाया गया होगा। एंव उस समय निर्माण सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी क्योंकी

जनसंख्या का प्रमाण भी कम था एवं आर्थिक शक्ति सिमीत मात्रा में थी जिससे निर्माण प्रक्रिया भी कम मात्रा में थी। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उतने ज्यादा उपलब्ध नही हो सके तथा श्रमिकों कों वर्ष के दौरान कुछ समय पर ही काम मिल पाता था। बाकी समय वे अपनी स्वंय ही खेतीबाढी का काम ही कर पात और अपना जीवनयापन करते रहते रहना पडा जिससे उन्हे अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिती का सुधार करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नही होता था एंव अपना सारा जीवन उन्हे निर्धनता, गरीबी एंव बेरोजगारी के वातावरण में गुजारने को मजबुर होना पडा। इसके दुष्परिणाम दिखाई दिये जैसे अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, स्वास्थ हानी, सामाजिक जीवन में अपमान की स्थिती, कुरितीयों का शिकार जैसी अनेक बिमारियो से वे त्रस्त होते चले गये। फलस्वरूप उन्हें सामाजिक विकास के रूप में विकसित होने का अवसर प्राप्त नही हुआ, उनकी प्रवासी प्रवृत्ती भी कुछ हद तक जिम्मेदार कही जा सकती है। जिससे वे एक नही हो सके क्योंकि उनमें समाजवाद्, जातिवाद, बोलीभाषा, कुरिती इतनी अधिक मात्रा में व्याप्त थी की वे कभी भी संगठित नही हो पाये और उनकी इस प्रवृत्ति के कारण उन्हे संगठित होने के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कुछ राजनितिक प्रयास किये गये लेकिन उसमे भी आशातीत सफलता नही प्राप्त हो सकी परिणामस्वरूप शासन के प्रयास भी इस दिशामें असफल होते दिखाई देने लगे। वैसे भी अपनी सामाजिक एंव आर्थिक परेशानी के चलते उन्हे जीवनयापन करने के लिए अपने क्षेत्र से निकट उपलब्ध हो रहे शहरो की ओर पलायन की भुमिका अपनानी पडती है। कभी-कभी वे अपने परिवारो को लेकर निकलते है या कभी वे स्वयं अकेले ही शहरो में जाकर रोजगार की तलाश करने लगते है। यद्यपि उन्हे कार्य की कोई विशेष जानकारी नही होती है सिर्फ कृषि का कार्य करने के कारण शारिरीक मेहनत का कार्य ही वे अच्छी ढंग से कर पाते है। जिसके आधार पर उन्हे अकुशल कारीगर की तरह काम मिल जाता है। चुकि वे बिखराव की निती के कारण संगठित नही हो पाते है और न ही उनके संगठित होने की निकट भविष्य में संभावना

दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप वे विभिन्न कुठांओ से ग्रस्त होकर मात्र जीवनयापन के उद्देश से कार्य में लगे रहते है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में नागपूर शहर के भवन निर्माण श्रमिकों का सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति का अध्ययन इस शिर्षक को इसी उद्देश से चुना गया है। वास्तव में इन श्रमिकों को कौनसी समस्याओ का सामना करना पडता है। और इन समस्याओ के समाधान के लिए शासकीय अथवा गैर शासकीय आधार पर क्या प्रयास किये गये तथा क्या किया जा सकता हैं। ताकि इन श्रमिकों की समस्याओ का समाधान हो सके जिससे वे कुठांओ की दलदल से निकलकर एक उत्तरदायी नागरीक के रूप मे स्वस्थ, सुन्दर एंव दायित्वपूर्ण जीवन यापन कर सके।

क) अध्ययन की पध्दती :

प्रस्तुत शोध प्रबंध हेतु नागपुर शहर को चुना गया है तथा अध्ययन के लिए चुने गये श्रमिकों में से निर्देशन पध्दती से २५० श्रमिकों का चयन किया गया है। क्योंकि नागपूर शहर में भवन निर्माण करने वाली संस्थाओ की प्रमुख संख्या करीब ३५३ है जिसमें २५००० श्रमिक निरन्तर कार्यरत है। इसमें से करीब १ प्रतिशत श्रमिकों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

संशोधन की प्रक्रिया को प्रांरभ करने के पुर्व समस्या से संबंधीत सभी जानकारी को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है समस्याओ का स्वरूप वैसे तो बहुत व्यापक होता है फिर भी उसे मर्यादित करना आवश्यक होता है क्योंकि अमर्यादित एंव अस्पष्ट समस्याओं पर संशोधन किया जाना संभव नही होता है इसलिए समस्या या विषय को सिमीत किया जाना आवश्यक होता है।

किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए एक संशोधन योजना तैयार करनी पडती है। संशोधन के विषय के चयन से लेकर संशोधन के निष्कर्ष, सुझाव, उपाय, अथवा संशोधन के अध्ययन की प्रसिध्दि प्रक्रियाँ

तक अनेक प्रकार की गतीविधिओ से गुजरना पडता है और इन पायदानो से संबधित कुछ प्रश्न रहते है उनसे संबंधित तथ्यों को हल करने के उद्देश से संशोधन कर्ता को अनेक निर्णय लेने पडते है जिसके फलस्वरूप एक संशोधन आलेख या संशोधन योजना तयार की जाती है।

ड) नागपुर शहर का संक्षिप्त परिचय :

नागपुर यह उपराजधानी है और इस शहर की स्थापना अठारहवी सदी के प्रारंभ में गोंड राजा बख्त बुलंद ने नाग नदी के किनारे की एंव उससे इस शहर का नाम नागपुर रखा गया पेशवाओ के कार्यकाल से नागपुर भोसले घरानो के समय में इसे राजधानी के रूप में दर्जा प्राप्त था। १८१८ में पेशवो का राज्य समाप्त होने बाद अंग्रेजी सत्ता का उदय हुआ उस समय १८६१ में तत्कालिन मध्य प्रदेश की राजधानी नागपूर बनाई गयी।

१८६७ में यहाँ रेल व्यवस्था का प्रारंभ हुआ एंव नागपूर के चहुमुखी विकास की शुरवात हुयी। भारत स्वतंत्र होने पर १९५३ में राज्य पुर्नरचना होने तक यह मध्य प्रदेश की राजधानी थी। तत्पश्चात यह शहर दुभाषी मुंबई राज्य में समाविष्ट किया गया। एंव १९६० में महाराष्ट्र राज्य का अंग बन गया। महाराष्ट्र राज्य का प्रतिवर्ष विधान मंडल अधिवेशन शरदऋतु में नागपुर में आयोजित किया जाता है इसलिए इसे उपराजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का कुछ कार्यभार यहां से भी कार्यान्वित किया जाता है।

यह स्थान देश के मध्य भाग में स्थित होने के कारण भौगोलिक दृष्टी से हवाई मार्ग, लोहमार्ग, रस्ते, उसी तरह सन्देशवहन की सुलभता को देखते हुऐ वहां कई स्थानक बनाये गये जो यहां की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। यही कारण है की यहां व्यापारीक गतिविधियो को पूरा करने की दृष्टि से व्यापारी केन्द्र बनाये गये जिससे व्यापार को बढावा मिला है। रोजगार के अवसर प्राप्त हुये। नागपुर के आसपास के विस्तृत क्षेत्रो में कपास एंव

संत्रो की उपज ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है तथा सारे देश में नागपुर संत्रा नगरी के रूप में प्रसिध्द हुआ। उसी तरह यहां अन्य उद्योग भी कार्यरत है जैसे कपडा मिले, धागो की मिले, हॅण्डलुम व्यवसाय की साडिया, आरा मशिने आदि कारखानो की भी यहां उपलब्धता है यहाँ के हॅण्डलुम व्यवसाय की साडियाँ, कपडा और संत्रा मंडी प्रसिध्द है। नागपुर में औद्योगिक विकास निगम के तहत अनेक लघु एंव बृहत आकार के उद्योग, लोह एंव इस्पात उद्योग, धातुओ के द्वारा निर्मित अनेक वस्तु निर्माण, यातायात के साधन आदि उत्पादन का काम किया जाता है। नागपूर में औद्योगिक इकाई होने से यहां अनेक झुग्गी झोपडीयाँ अस्तित्व में आई जो श्रमिकों की आवास समस्या का परिणाम कहा जा सकता है। नागपुर में शासकीय दुध आपूर्ती योजना भी है। और यहां १९२३ में नागपूर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जिसमे यहां शिक्षा का अच्छा विकास हुआ। परिणामस्वरूप यहां अनेक महाविद्यालयों की भी स्थापना हुयी। यहां पर मनोचिकित्सक, अस्पताल, विदर्भ साहीत्य संघ का कार्यालय, अनेक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाये है। नागपुर महानगर पालिका का महानगर पालिका आयुक्त के द्वारा संचालन किया जाता है। पुलिस आयुक्त के द्वारा कानुन एंव सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है।

नागपुर में विधान भवन सचिवालय, रिझर्व बॅंक, महानगर पालिका की अन्य इमारत स्थित है। यहा नागपुर टाईम्स, दैनिक हितवाद, लोकमत टाईम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाईम्स ऑफ इंडिया ये अंग्रजी समाचार एंव तरूण भारत, लोकमत, नागपूर पत्रिका, लोकसत्ता ये मराठी भाषी समाचार पत्र और नवभारत, लोकमत समाचार एंव युगधर्म ये हिन्दी समाचार पत्र नियमित प्रसारित किये जाते है। उसी प्रकार से अन्य अनेक धार्मिक पुजा स्थल एंव दर्शनिय स्थान है।

नागपूर में प्राणिसंग्रहालय, वस्तुग्रहालय, उच्च न्यायालय, सिताबर्डी किला, रमण विज्ञान केंन्द्र बन गया है। यहां विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, अभिमत विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयो की अनेक शाखाये, पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, स्वास्थ चिकित्सा, महाविद्यालय, चित्रकला महाविद्यालय, अभियांत्रिकी एंव कृषि महाविद्यालय आदि स्थित है।

नागपूर शहर की जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या (लाखो में)
१९०१	१२७७२४
१९११	१०१४१५
१९२१	१४५१९३
१९३१	२१५१६५
१९४१	३०१९५७
१९५१	४४९०९९
१९६१	६४३६५९
१९७१	८६७२६९
१९८१	११४००००
१९९१	१६२४७५२
२००१	२०५१३२०

नागपूर शहर का नक्शा

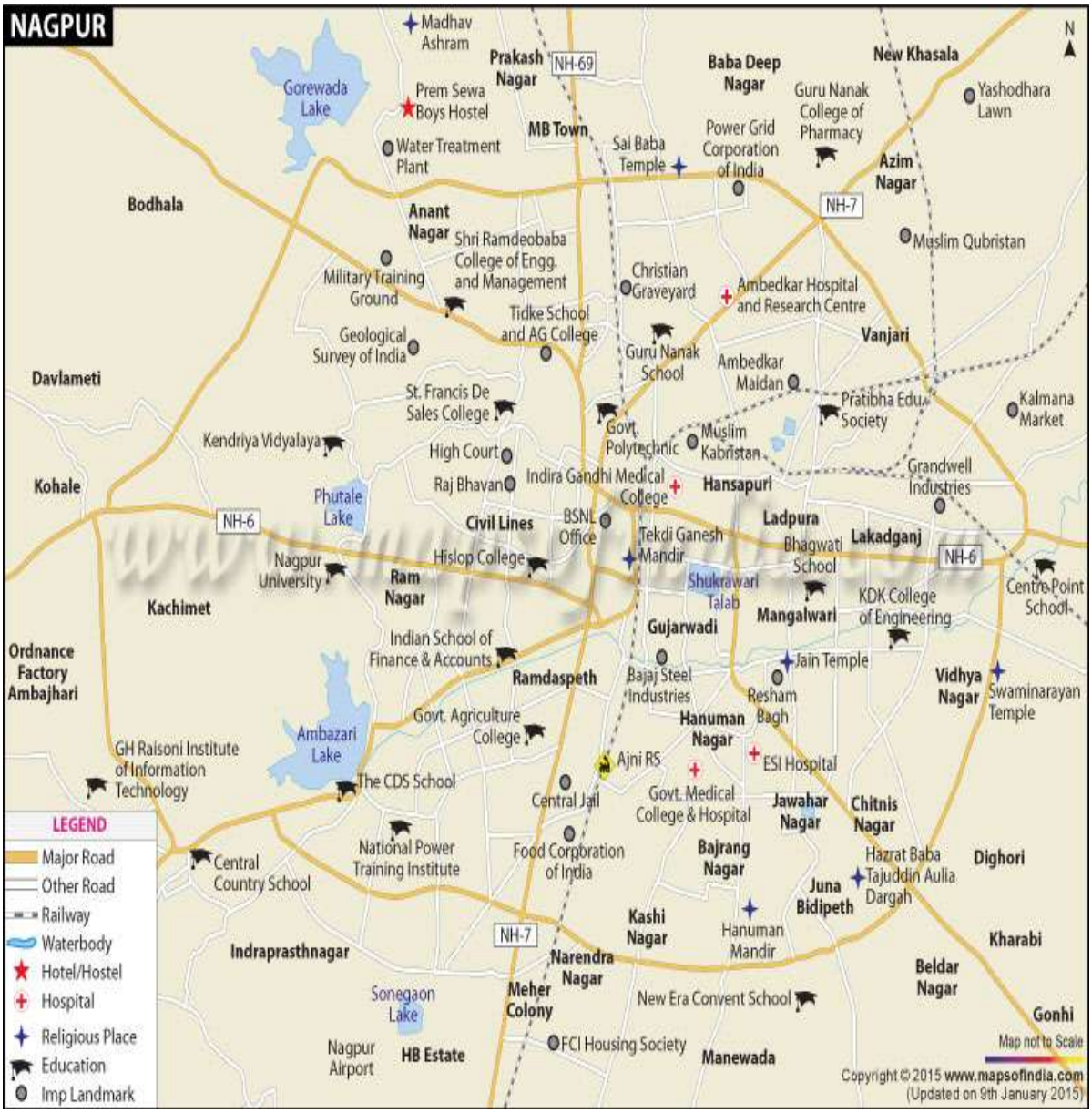

अध्याय - २

संशोधन पध्दति

अ) प्राथमिक आंकडों का संकलन

ब) द्वितियक आंकडों का संकलन

क) परिकल्पना

(परिकल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष)

ड) परिकल्पना की परिभाषाएँ

इ) परिकलल्ना का महत्व

अध्याय - २

संशोधन पध्दति

अ) प्राथमिक आकडों का संकलन :

इस सन्दर्भ में निमार्ण कार्य स्थल पर जाकर प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एंव आकडो का संकलन किया उसी तरह वर्तमान परिवेश में भवन निमार्ण श्रमिको के कल्याण एंव सामाजिक सुरक्षा जैसे सरकारी सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत अनेक प्रावधान, मसलन कर्मचारी बीमा, कर्मचारी भविष्य निधी, महिलाओं को प्रसुति सुविधा, स्वास्थ सेवा सुविधा, बोनस, न्युनतम मजदूरी, काम की सुरक्षा इत्यादि में संबंधित जानकारी श्रमिक संगठन से सलग्न नेताओं से संकलित की गई एंव केंद्र एंव राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एंव आर्थिक स्थिती के सन्दर्भ में जो प्रावधान और प्रयास किये गये वह जानकारी श्रम अधिकारीयो से साक्षात्कार के माध्यम से संकलित की गई है। नागपुर शहर में निजी भवन निर्माताओं की कुल संख्या ३५३ तकरीबन है। इनमें से कुछ भवन निर्माण करने वाले व्यवसायी से श्रमिकों की आय, आवास की व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के सन्दर्भ मे किये प्रयास के बारे में चर्चा कर जानकारी एकंत्रित की गई है। अंतः कुल २५० श्रमिकों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

१) प्रत्यक्ष स्त्रोत (Direct Sources) -

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तथ्य-संकलन के प्रत्यक्ष स्त्रोत वे होते हैं जिनके अन्तर्गत शोधकर्ता या तो स्वंय अध्ययन-क्षेत्र में जाकर अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करता है अथवा कार्य के लिए एक अध्ययनकर्ता जिन अनेक प्रविधियों के उपयोग द्वारा तथ्यों का संकलन करता है, उन्हें हम तथ्य-संकलन का प्रत्यक्ष स्त्रोत कहते है। इनमें से प्रमुख स्त्रोतों तथा उनकी प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है।

अ) अवलोकन (Observation) – अवलोकन वह प्रमिधि है जिसके अन्तर्गत अध्ययनकर्ता विषय से सम्बन्धित क्षेत्र में जाकर स्वंय ही विभिन्न घटनाओं और दशाओं को पक्षपातरहित रूप से देखता है और इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करता है। यह प्रविधि उसी दशा में अधिक उपयोगी होती है जब अध्ययन का क्षेत्र सीमित हो तथा अध्ययन किया जाने वाला विषय लोगों की मनोवृत्तियों से सम्बन्धित न हो। उदाहरण के लिए, एक समूह में व्यक्तियों के रहन-सहन, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक समारोहों तथा समस्याओं से सम्बन्धित तथ्य एकत्रित करने के लिए अवलोकन एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इस स्त्रोत के द्वारा उपयोगी तथ्य केवल तभी एकत्रित किये जा सकते हैं जब अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष हो। तथ्य-संकलन के प्रत्यक्ष स्त्रोत के रूप में अवलोकन की प्रक्रिया भी तीन मुख्य भागों मे विभाजित है जिनमें से अध्ययन-विषय की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरीके को उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें हम सहभागी अवलोकन, अर्द्ध-सहभागी अवलोकन तथा असहभागी अवलोकन कहते हैं।

१. **सहभागी अवलोकन** - के अन्तर्गत अध्ययनकर्ता को स्वयं उस समूह अथवा समुदाय का अंग बनना आवश्यक होता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। अध्ययनकर्ता जब अध्ययन किये जाने वाले समूह में रहता है और उसकी विभिन्न गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है तो वह समूह की सभी गुप्त और महत्वपूर्ण विशेषताओं से परिचित हो जाता है।

२. **अर्द्ध-सहभागी अवलोकन** – के अन्तर्गत शोधकर्ता एक लम्बी अवधि के लिए अध्ययन किये जाने वाले समूह के सदस्य के रूप में नहीं रहता बल्कि कुछ विशेष अवसरों पर तथ्यों का संकलन करने के लिए वह समूह के निकट सम्पर्क में आता है और घटनाओं का अवलोकन करने के पश्चात् पुनःअपने को उस समूह से पृथक् कर लेता है।

३. **असहभागी अवलोकन** – के लिए अनुसन्धाकर्ता किसी भी स्तर पर न तो अध्ययन-समुदाय के जीवन में सम्मिलित होता है और न ही समुदाय के

लोगों के निकट सम्पर्क में आता है। वह बाहर से आये एक अज्ञात दर्शक के रूप में घटनाओं का अवलोकन करके तथ्यों का संकलन करता है। वास्तविकता यह है कि अवलोकन चाहे किसी भी विधि के द्वारा किया जाये लेकिन यह तथ्यों के संकलन का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

ब) अनुसूची (Schedule) – अनुसूची अध्ययन-विषय से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं ही उस सूची में अंकित कर लेता है। वास्तव में, अनुसूची अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के प्रत्यक्ष सम्पर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी आधार पर अनुसूची को प्राथमिक तथ्यों के संकलन का एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष स्त्रोत माना जाता है। इस स्त्रोत की मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के साथ ही अध्ययनकर्ता द्वारा घटनाओं का स्वयं भी अवलोकन करना सम्भव हो जाता है।

क) साक्षात्कार (Interview) – प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने में साक्षात्कार एक प्रत्यक्ष स्त्रोत है। इसके अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता अध्ययन-विषय से सम्बन्धित व्यक्तियों से मिलकर अध्ययन के विभिन्न पक्षों पर उनसे स्पष्ट वार्तालाप करता है। यही वार्तालाप तथ्य-संकलन का स्त्रोत होता है। अनेक सामाजिक घटनाएँ इतनी जटिल होती हैं कि केवल अनुसूची से सम्बन्धित प्रश्नों की सहायता से ही उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। इन्हें समुचित रूप से समझने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों से विस्तार से बातचीत करना आवश्यक होता है। साक्षात्कार के अन्तर्गत प्रश्नों अथवा वार्तालाप के विभिन्न पक्षों का कोई निश्चित क्रम होना आवश्यक नहीं होता। इसके फलस्वरूप उत्तरदाताओं के कथन की बीच-बीच में इस प्रकार परीक्षा भी होती रहती है कि संकलित तथ्यों का सत्यापन किया जा सके।

२) अप्रत्यक्ष स्त्रोत (Indirect Sources) –

प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए कभी-कभी अध्ययनकर्ता ऐसे स्त्रोतों का भी उपयोग करता है जिनकी सहायता से अध्ययन-क्षेत्र में जाये बिना अथवा उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क के बिना ही तथ्यों का संकलन किया जा सके। ऐसे स्त्रोतों को हम प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के अप्रत्यक्ष स्त्रोत कहते हैं। पार्टेन ने ऐसे स्त्रोतों के अन्तर्गत रेडियो अपील, टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार तथा प्रतिनिधि प्रविधियों को विशेष महत्व प्रदान किया है। वास्तव में, तथ्य संकलित करने के अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्त्रोतों में चार स्त्रोत प्रमुख हैं जिन्हे संक्षेप में निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है।

अ) प्रश्नावली (Questionnaire) – प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की वह सूची है जिसे उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा इस आशय से भेजा जाता है कि वे सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसे अध्ययनकर्ता के पास वापस भेज दें। इस प्रकार प्रश्नावली एक ऐसा स्त्रोत है जिसमें अनुसन्धानकर्ता तथा उत्तरदाताओं के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं हो पाता लेकिन फिर भी इसके द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संग्रह करना सम्भव हो जाता है। यह स्त्रोत केवल तभी उपयोगी होता है जब अध्ययन-क्षेत्र इतना विस्तृत हो कि अध्ययनकर्ता सभी उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क करने की स्थिति में न हो तथा साथ ही उत्तरदाता भी इतने शिक्षित हों कि वे विभिन्न प्रश्नों को समझकर उनका समुचित ढंग से उत्तर दे दिये जायें तो उनका सत्यापन करना अथवा वास्तविकता को समझ सकना बहुत कठिन हो जाता है।

ब) रेडियो अथवा टेलीविजन अपील (Radio or Television Appeals) – विकसित और विकासशील देशों में रेडियो और टेलीविजन भी प्राथमिक तथ्यों के संकलन का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इनके द्वारा नियमित रूप से अथवा किन्हीं विशेष अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करके श्रोंताओं से यह अपील की जाती है कि वे उससे सम्बन्धित अपने विचारों अथवा प्रतिक्रियाओं को अमुक पते पर भेज दें। उदाहरण के लिए, वॉयस ऑफ

अमेरिका, ब्रिटिश ब्रॉडकॉस्टिग कॉरपोरेशन रेडियो सीलोन तथा विविध भारती आदि अनेक ऐसे संगठन हैं निके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था श्रोताओं को एक विशेष जानकारी देकर तथ्यों को संकलित कर सकती है। इस प्रविधि के द्वारा बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों को भी एक विशेष के प्रति बहुत कम समय में जानकारी दी जा सकती है और विषय को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि उससे सम्बन्धित विचारों को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अक्सर सर्वोत्तम उत्तरों के लिए कुछ प्ररस्कारों की घोषणा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप, एक निश्चित अवधि के अन्दर विषय से सम्बन्धित बहुत अधिक उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। विगत वर्षो में परिवार नियोजन, सहकारिता तथा विलम्ब विवाह आदि से सम्बन्धित मनोवृत्तियों का अध्ययन करने में यह विधि बहुत सफल सिद्व हुई है। इस विधि की एक अन्य उपयोगिता बहुत कम समय और कम व्यय में ही अध्ययन-कार्य को पूर्ण कर लेना है।

क) टेलीफोन साक्षात्कार (Telephonic Interviews) – तथ्य संकलन का यह स्त्रोत भी वर्तमान समय में बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है। विशेषकर महानगरों में, जहाँ अनुसन्धानकर्ता सरलता से उत्तरदाताओं के पास नही जा सकता, टेलीफोन के द्वारा चुने हुए व्यक्तियो से सम्पर्क स्थापित करके एक विशेष विषय से सम्बन्धित उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क न होने के कारण इस स्त्रोत को भी तथ्य-संकलन का अप्रत्यक्ष स्त्रोत माना जाता है। इस स्त्रोत के द्वारा भी तुलनात्मक रूप से कम समय में बहुत अधिक व्यक्तियों से सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं लेकिन इन सूचनाओं की प्रामाणिकता अक्सर सन्देहपूर्ण होती है। अनुसन्धानकर्ता भी टेलीफोन द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिन निष्कर्षो को प्रस्तुत करता है, उनका सत्यापन करना सम्भव नहीं होता क्योंकि यह सूचनाएँ लिखित रूप में नही होतीं।

ड) प्रतिनिधि प्रविधिया (Panel Techniques) – वर्तमान समय में तथ्यों का संकलन करने के लिए प्रतिनिधि प्रविधि को भी एक प्रमुख स्त्रोत के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यावहारिक रूप से अधिकांश समाजों में रेडियो, टेलीविजन तथा टेलीफोन की सुविधा इतनी कम होती है कि इनकी सहायता से कोई विशेष अध्ययन कर सकना बहुत कठिन होता है। इसके पश्चात् भी यदि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बडा हो तो प्रतिनिधि प्रविधि के द्वारा तथ्यों का संग्रह सरलतापूर्वक किया जा सकता है। यह वह प्रविधि है जिसके अन्तर्गत एक बडे समूह में से कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा सूचना देने वाले दलों का चयन करके उनके द्वारा दी गयी जानकारी को ही सम्पूर्ण समाज की प्रतिनिधि जानकारी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। सूचना देने वाले यह व्यक्ति अथवा दल वे होते हैं जो या तो अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा उन्हें अपने समूह के लोगों की मनोवृत्तियों, विचारों और रूचियों का काफी ज्ञान होता है। ऐसे लोगों को अक्सर एक एक डायरी दे दी जाती है जिससे वे अध्ययन विषय से सम्बन्धित विचारों को ज्ञात करके उन्हें नोट करते रहें और बाद में यह डायरी अध्ययनकर्ता को सौंप दें। इसके फलस्वरूप, अध्ययनकर्ता को कम समय में ही एक व्यापक क्षेत्र से बहुत अधिक सूचनाएँ प्राप्त हो जाती है। परिवर्तनशील दशाओं से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन करने के लिए यह स्त्रोत बहुत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सिद्व हुआ है। इसके बाद भी इस प्रविधि अथवा स्त्रोत बडा दोष यह है कि यदि प्रतिनिधि व्यक्तियों अथवा दलों का चयन त्रुटिपूर्ण हो जाता है तो अक्सर उपयोगी तथ्यों का संकलन नहीं हो पाता।

वास्तविकता यह है कि तथ्य संकलन के अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्त्रोत केवल उन्हीं समाजों में अधिक उपयोगी हो सके हैं जो भौतिक क्षेत्र में बहुत विकसित हैं। भारत जैसे देश में आज भी प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए प्रत्यक्ष स्त्रोत ही अधिक उपयुक्त हैं। वास्तव में, तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष स्त्रोत केवल उपयोगी तथ्य ही प्रदान नहीं करते बल्कि अध्ययनकर्ता की पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति पर नियन्त्रण लगाये रखने में भी सहायक सिद्व होते है। इस आधार

पर भी प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए अप्रत्यक्ष स्त्रोतों की अपेक्षा प्रत्यक्ष स्त्रोतों को ही अधिक उपयुक्त समझा जाता है।

ब) द्वितियक आकडो का संकलन :

१. विविध समितियो और आयोगों के व्दारा प्रकाशित अध्ययन, अहवाल या प्रकाशनो से जानकारीयों का संकलन किया गया।

२. श्रम कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की गयी।

३. श्रम संगठनो व्दारा समय - समय पर प्रकाशित सामग्री का अवलोकन एंव निरीक्षण।

४. श्रम अर्थशास्त्र एंव औद्योगिक सम्बन्ध पर लिखित एंव प्रकाशित ग्रन्थो का अवलोकन कर प्राप्त जानकारीका संकलन एंव विश्लेषण।

५. नियतकालीकाओं में प्रकाशित विभिन्न लेख एंव समाचारो की सहायतासे प्राप्त जानकारी का संकलन।

१) व्यक्तिगत प्रलेख (Personal Documents) -

व्यक्तिगत प्रलेखों के अन्तर्गत वह समस्त लिखित सामग्री सम्मिलित की जाती है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने विषय में अथवा सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देखकर प्रस्तुत की जाती है। ऐसी लिखित सामग्री का सदैव प्रकाशित होना आवश्यक नहीं होता बल्कि यह पाण्डुलिपियों, पत्रों अथवा डायरियों के रूप में अप्रकाशित भी हो सकती है। अनेक परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रलेखों के अन्तर्गत एक व्यक्ति के निजी विचारों, आदर्शो, मूल्यों तथा भावनाओं का भी समावेश हो सकता है। इसके पश्चात् भी व्यक्तिगत प्रलेख इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते है कि इनके द्वारा एक विशेष अवधि में व्यक्तियों के रहन सहन, चिन्तन, व्यवहार-प्रतिमानों तथा सामाजिक मूल्यों को समझना सम्भव हो जाता है।

पारिभाषिक से व्यक्तिगत प्रलेख की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जॉन मैज ने लिखा है कि "व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी कार्यो, अनुभवों के बारे में स्वयं लिखा गया एक वर्णन है।" लगभग इसी आधार पर जहोदा का कथन है कि "द्वितीयक स्त्रोतों के अन्तर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो साधारणतया सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर स्वयं उन्ही के द्वारा लिखे गये होते है तथा जिनमें उनके निजी अनुभवों का समावेश होता है।" इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखे गये प्रलेख सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्त्रोत होते है। इन प्रलेखों को भी निम्नांकित चार प्रमुख भागों मे विभाजित किया जा सकता है।

क) जीवन इतिहास (Life Histories) – जीवन इतिहास एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख है जिसे तथ्य–संकलन के द्वितीयक स्त्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जॉन मैज ने लिखा है कि "वास्तविक अर्थ मे जीवन इतिहास शब्द का तात्पर्य किसी व्यापक आत्मकथा से होता है। परन्तु सामान्य अर्थो में इसका प्रयोग किसी भी जीवन सम्बन्धी सामग्री के लिए किया जा सकता है।" इससे स्पष्ट होता है कि जीवन इतिहास चाहे किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया हो अथवा एक व्यक्ति के जीवन इतिहास चाहे किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया हो अथवा एक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की व्याख्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गयी हो, यह तथ्य–संकलन का एक प्रमुख द्वितीयक स्त्रोत है। जीवन इतिहास के अन्तर्गत कुछ प्रमुख व्यक्तियों अथवा महापुरूषों के जीवन की विशिष्ट घटनाओं का संकलन मात्र नहीं होता बल्कि इसके द्वारा एक विशेष समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक घटनाओं को समझना भी सम्भव हो जाता है। जीवन इतिहास मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते है–स्वाभाविक आत्मकथाएँ, किसी व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा प्रेरित आत्म–अभिलेख तथा संकलित जीवन इतिहास। वास्तव में, जीवन–इतिहास घटनाओं का एक रोचक और उपदेशपूर्ण वर्णन ही नहीं होता बल्कि सामाजिक

अध्ययनों के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते है। जीवन इतिहास की सहायता से एक समय विशेष की सामाजिक घटनाओं और समस्याओं को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। यह सर्वविदित है कि भारत में अनेक समाज सुधारकों के जीवन इतिहास से ही सामाजिक अध्ययनकर्ताओं को हिन्दू समाज में व्याप्त रूढियों और कुरीतियों का व्यापक अध्ययन करने की प्रेरणा मिल सकी। जीवन इतिहास के इस महत्व के पश्चात् भी सामाजिक अध्ययनों में इनके उपयोग की कुछ सीमाएँ भी है। सर्वप्रथम, जीवन इतिहास में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढा–चढाकर प्रस्तुत करने के लिए अक्सर घटनाओं को अतिशयोक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जीवन इतिहास यदि किसी राजनीतिक नेता से सम्बन्धित होता है तो उसमें प्रशंसा और कभी–कभी चाटुकारिता का तत्व बहुत प्रबल हो जाने के कारण ऐसा वर्णन वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाता। अधिकांश आत्मकथाओं के प्रकाशन की सम्भावना होने के कारण लेखक अपने जीवन से सम्बन्धित कमजोरी तथ्यों को अक्सर छिपाने का प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त, जीवन इतिहास इस दृष्टिकोण से भी एक दुर्बल स्त्रोत है कि इसमें समाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता की जाँच नहीं की जा सकती।

ख) डायरियाँ (Diaries) – डायरी एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख है जिसमें एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की घटनाओं का आलेखन और विश्लेषण करता है। डायरी यदि निष्पक्ष रूप से लिखी गई हो तो इसमें व्यक्ति के सभी अनुकूल और कटु अनुभवों एवं व्यवहारों का स्पष्टीकरण होता है। डायरी में लिखा गया विवरण गोपनीय होता है, अतःव्यक्ति अपने जीवन के नितान्त गोपनीय और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इसमें लिपिबद्ध करने में संकोच नहीं करतां यही कारण है कि अनेक गोपनीय और आंतरिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत डायरियों को एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्त्रोत के रूप में देखा जाता है। इस बारे में जॉन मैज ने लिखा है कि “डायरियाँ सबसे अधिक रहस्योद्घाटन करने वाली होती हैं क्योकि एक ओर व्यक्ति को इनके जन–साधारण के सामने प्रदर्शित हो जाने का डर नहीं होता

तथा दूसरी ओर इनमे घटनाओं और क्रियाओं के घटित होने के समय ही उनका बहुत स्पष्टता से साथ आलेखन कर लिया जाता।" द्वितीयक तथ्य के संकलन में डायरी का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि गोपनीय तथ्यों को प्राप्त करने में यह स्त्रोत सबसे अधिक उपयोगी है। डायरी में लिखित तथ्य तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय होते है क्योंकि लेखक में इनके प्रदर्शन की कोइ भावना नहीं होती। इन लाभों के पश्चात् भी तथ्य संकलन के एक स्त्रोत के रूप में डायरियों का सबसे बडा दोष यह है कि इनमें लिखित घटनाएँ बिल्कुल भी क्रमबद्व नहीं होती। व्यक्ति तनाव और संघर्ष की स्थिति को डायरी में बहुत विस्तार के साथ नोट कर लेता है जबकि सामान्य दशा में प्राप्त किये गये अनुभवों को वह या तो बहुत संक्षेप में लिखता है अथवा कभी-कभी बिल्कुल ही छोड देता है। ऐसी स्थिति में डायरी से प्राप्त विवरण के आधार पर किसी व्यवस्थित तथ्य को खोज सकना अध्ययनकर्ता के लिए बहुत कठिन हो जाता है।

ग) **वैयक्तिक पत्र (Personal Letters)** – व्यक्तिगत पत्रों का लिखा जाना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना है। लेकिन कभी कभी इन पत्रों के द्वारा इतने महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हो जाते हैं कि उनके आधार पर अत्यधिक उपयोगी निष्कर्ष देना सम्भव हो जाता है। व्यक्तिगत पत्रों की प्रकृति गोपनीय होती है। इसके फलस्वरूप, हम जिन व्यक्तियों को अपने अधिक निकट समझते हैं उनके सामने पत्रों द्वारा अपनी भावनाओं, जीवन की विशेष घटनाओं, प्रेम, संघर्ष, अनुभवों और योजनाओं को स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं करते। यह सर्वविदित है कि भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय देश के बडे-बडे नेताओं के बीच जो पत्राचार हुआ था उसके आधार पर आज अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को समझ सकना सम्भव हो सका है। अनेक सामाजिक विषय ऐसे होते हैं जिनकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति पत्रों में ही होती है। उदाहरण के लिए, पारिवारिक तनाव, वैवाहिक सम्बन्ध, यौनिक मनोवृत्तियाँ, विवाह विच्छेद, पृथक्करण, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध आदि इस प्रकार के विषय हैं जिनसे सम्बन्धित तथ्यों

और मनोवृत्तियो को व्यक्तिगत पत्रों की सहायता से सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। वैयक्तिक पत्रों में तुलनात्मक रूप से काफी विश्वसनीयता होती है क्योंकि पत्र लिखने वाला व्यक्ति उसे कभी भी यह समझकर नहीं लिखता कि किसी विशेष अध्ययन के लिए उसके पत्रों का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद भी सामाजिक अध्ययनों में पत्रों की उपयोगिता बहुत सीमित होती है। इसका कारण यह है कि एक और व्यक्तिगत पत्रों को प्राप्त कर सकना बहुत कठिन होता है तो दूसरी ओर यह समझ सकना भी बहुत कठिन होता है कि किसी पत्र में लिखे गये विवरण का सन्दर्भ क्या है। इस स्थिति में केवल आंशिक सूचना अथवा तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष तक पहुँच सकना बहुत कठिन हो जाता है।

घ) संस्मरण (Memoirs) – अनेक व्यक्ति अपनी यात्राओं, जीवन के रोमांचक अनुभवों और महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में संस्मरण प्रकाशित करते हैं अथवा समय समय पर इन्हें दूसरे लोगों को सुनाते रहते है। वास्तव में, इनमें से अनेक संस्मरण सामाजिक शोध के लिए शोध तथ्य के संकलन का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत होते है। इस कथन की प्रामाणिकता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि अतीत में कोलम्बस, फाहियान, हेनसांग तथा मैगस्थनीज जैसे व्यक्तियों द्वारा लिखित संस्मरणों के आधार पर उपयोगी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सका। ब्रिटिश काल में अनेक अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाले जनपद संस्मरण ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर लिखे जाने के पश्चात् भी आज तथ्य संकलन का महत्वपूर्ण स्त्रोत माने जाते हैं। इन संस्मरणों में एक समय विशेष की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं, भाषा तथा रहन–सहन को समझने में भी यह संस्मरण अत्यधिक उपयोगी होते हैं। यह सच है कि संस्मरणों में भी क्रमबद्धता का अभाव होने के साथ ही व्यक्तिगत पक्षपात की सम्भावना रहती है लेकिन तथ्यों–संकलन के एक द्वितीयक स्त्रोत के रूप में इनकी उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

व्यक्तिगत प्रलेखो के उपर्युक्त सभी स्वरूपों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक शोध क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रलेखो का विशेष महत्व है। इनके द्वारा केवल सामाजिक घटनाओं के विषय में ही विस्तृत ज्ञान प्राप्त नहीं होता बल्कि अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दृष्टिकोण और मनोवृत्तियों को समझने में भी इनमे पर्याप्त सहायता मिलती है। मनोवैज्ञानिक शोध मे ऐसे प्रलेख सबसे अधिक उपयोगी सिद्व हुए हैं। व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में यदि जीवन-इतिहास,डायरियों,पत्रों अथवा संस्मरणों को प्रकाशन के इरादे से न लिखा जाय तो इसका महत्व और भी बढ जाता है। लेखक का उद्देश जब अपने द्वारा लिखित तथ्य का प्रकाशन करना नही होता तो ऐसी सामग्री कही अधिक विश्वसनीय और सत्यता के निकट हो जाती है। व्यक्तिगत प्रलेखो के महत्व को स्पष्ट करते हुए मोजर का कथन है कि "व्यक्तिगत प्रलेख तब कही अधिक मूल्यवान होते है जब इन्हे सम्बन्धित व्यक्ति से अनुरोध करके प्राप्त न किया जाय। कुछ विशेष सामाजिक सर्वेक्षणों में प्रारम्भिक खोजों के स्तर पर यह परिकल्पना का निर्माण करने और अध्ययनकर्ता का मार्ग निर्देशन करने में भी महत्वपूर्ण होते है।" इस कथन से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत प्रलेखो का महत्व प्राथमिक सूचनाओं का सत्यापन करने से उतना सम्बन्धित नहीं है जितना कि किसी अध्ययन के लिए उपयोगी आधार खोजने से।

सामग्री संकलन के द्वितीयक स्त्रोत के रूप मे व्यक्तिगत प्रलेखो की अपनी कुछ सीमाएँ भी है। १. सर्वप्रथम, किसी विशेष व्यक्तिगत प्रलेख को उपलब्ध कर सकना एक अत्याधिक कठिन कार्य है। इस सम्बन्ध में लॉन मैज ने लिखा है कि यह निर्धारित कर सकना बहुत कठिन कार्य है कि किसी विशेष प्रलेख को कहाँ से प्राप्त किया जाय, प्रलेख को प्राप्त करने की अनुमति कहाँ तक विश्वसनीय हैं। २. यह समझ सकना भी बहुत कठिन है कि कोई व्यक्तिगत प्रलेख कहाँ तक विश्वसनीय है। ३. व्यक्तिगत प्रलेखों से प्राप्त तथ्य इतने अव्यवस्थित होते है कि उनमें से उपयोगी सामग्री को प्राप्त कर समना कभी-कभी असम्भव हो जाता है। ४. अधिकांश वैयक्तिक प्रलेखो में व्यक्तिगत

अभिनति का समावेश होता है। ५. वैयक्तिक प्रलेखों से प्राप्त सामग्री का सांख्यिकीय विश्लेषण भी नही किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जहोदा का कथन है कि "व्यक्तिगत प्रलेख सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिए अधिक उपयुक्त नही होते।" इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत प्रलेख पूर्णतया दोषमुक्त नहीं होते। एक शोधकर्ता के लिए यह आवश्यक होता है कि वह व्यक्तिगत प्रलेखो की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनका प्रकार उपयोग करे कि अध्ययन की वस्तुनिष्ठता बनी रहें।

२) सार्वजनिक प्रलेख (Public Documents) –

सार्वजनिक प्रलेख तथ्यों के संकलन का एक प्रमुख द्वितीयक स्त्रोत हैं। सार्वजनिक प्रलेखो के अन्तर्गत ऐसी प्रकाशित तथा अप्रकाशित सामग्री सम्मिलित की जाती है जिसका संकलन किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है। कभी–कभी कुछ सूचनाएँ यद्यपि वैयक्तिक रूप से संकलित की जाती है लेकिन इसका उद्देश्य यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तुत करना होता हैं, तो उन्हें भी हम सार्वजनिक प्रलेखों के अन्तर्गत सम्मिलित करते है। इस दृष्टिकोण से अध्ययन की सुविधा के लिए सार्वजनिक प्रलेखो को दी प्रमुख भागों मे विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है–प्रकाशित प्रलेख तथा अप्रकाशित प्रलेख।

क) परिकल्पना :

सामाजिक शोध के अन्तर्गत तथ्यों का नियन्त्रित और वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करने में उपकल्पना अथवा परिकल्पना की एक महंत्वपूर्ण भूमिका है। शाब्दिक रूप से परिकल्पना शब्द दो शब्दों के योग से बना है – 'परि' तथा 'कल्पना'। 'परि' का अर्थ है 'चारों ओर' तथा 'कल्पना' का अर्थ है 'एक सामान्य अनुमान'। इस प्रकार किसी भी अध्ययन को जो सामान्य अनुमान चारों से प्रभावित किए रहता है, उसी को हम परिकल्पना अथवा उपकल्पना कहते हैं। वास्तविकता यह है कि शोधकर्ता कोई भी अनुसन्धान

कार्य आरम्भ करने से पहले ही विषय के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित कुछ सामान्य अनुमान अवश्य लगा लेता है, ऐसे सामान्य अनुमान का उद्देश्य आगामी अध्ययन के लिए एक निश्चित दिशा का निर्धारण करना है जिससे शोधकर्ता इधर-उधर न भटककर एक सुनिश्चित आधार पर तथ्यों को एकत्रित कर सके। उदारहण के लिए, यदि हमारा उद्देश्य बाल-अपराध के कारणों को ज्ञात करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो अध्ययन के पूर्व ही हम यह उपकल्पना बना सकते हैं कि टूंटे हुए परिवार अथवा दोषपूर्ण संगति बाल-अपराध का प्रमुख कारण है। ऐसी स्थिति में हम प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि अध्ययन के आरम्भ में जिस उपकल्पना का निर्माण किया गया था, वह किस सीमा तक सही अथवा गलत है। इस दृष्टिकोण से उपकल्पना किसी भी अध्ययन को एक निश्चित दिशा देने में सहायक होती है। गुडे तथा हाट ने लिखा है, **"उपकल्पना सिद्धान्त और अनुसन्धान के बीच की एक आवश्यक कडी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है।"**

यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वैज्ञानिक शोध का अन्तिम लक्ष्य उपकल्पना का निर्माण करना न होकर सत्य की खोज करना है। उपकल्पना केवल एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिसकी सहायता से सत्य की खोज में आगें बढा जा सकता है। उपकल्पना के द्वारा ही सामाजिक अनुसन्धान में कार्य-कानण सम्बन्धों की एक पूर्व-सम्भावना की जा सकती है। यही कारण है कि सभी विद्वान उपकल्पना के निर्माण को वैज्ञानिक पद्धति के सबसे पहले चरण के रूप में स्पष्ट करते हैं।

परिकल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष

१. देश के आर्थिक विकास में भवन निर्माण के उद्योग के योगदान के मद्देनजर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पायाभुत सुविधाओं के कार्य की गति को देखते हुए इस उद्योग में संलग्नित श्रमिको को सामाजिक

सुरक्षा, एंव श्रम कल्याण की दिशा में उन्हे और अधिक योगदान और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

२. भवन निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होनेवाली आय उनके परिवारों के आकार के अनुसार प्राप्त होनी चाहिए ताकि उनके जीवन स्तर को ऊचाँ उठने में मदत हो सके।

३. भवन निर्माण श्रमिकों को कार्य के एंव भृति के अलावा कुछ अन्य मुलभुत सुविधाएँ जैसे आवास की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वच्छ हवा एंव पानी की सुविधा मिलनी चाहिए जो उन्हें अल्प प्रमाण में प्राप्त होती है। जिससे उनका सामाजिक स्तर निम्नस्तरिय हो गया है।

४. भवन निर्माण श्रमिकों को सरकार, भवन निर्माता, श्रम संगठन, समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा एंव मुलभुत सुविधा का लाभ किस हद तक प्राप्त हुआ है।

५. भवन निर्माण श्रमिकों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है। तथा उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य का प्रशिक्षण उपलब्ध नही कराया जाता है। जिससे उनमें हिनभावना का उदय होता है और वे पदोन्नती से वंचित रह जाते है।

आकडो का सारणीयन एंव विश्लेषण :

संम्बधित विषय के अनुसार प्राथमिक एंव व्दितियक आकडों का संकलन किया गया जिसके तहत प्राप्त जानकारी को सांख्यिकीय उपकरण एंव पध्दती की सहायता से प्रतिशत एंव अनुपात के आधार पर जाँच कर उचित अनुमान लगाया गया है। आवश्यकतानुसार मानचित्रो व्दारा प्रदर्शित करने प्रयत्न किया है। जिसे अध्ययन का उचित सार हासील किया जा सके।

परिणामो का विवेचन :

इस विषय के सन्दर्भ में अनेक निष्कर्ष एंव सुझाव, आकडो का संकलन करने के पश्चात दर्शाये गये है।

ड) परिकल्पना की परिभाषाएँ :

विभिन्न विद्वानों ने उपकल्पना की प्रकृति को विभिन्न रूप से स्पष्ट किया है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं द्वारा उपकल्पना के अर्थ तथा उद्देश्यों को अग्रांकित रूप से समझा जा सकता है।

1. "The hypothesis is the necessary link between theory and the investigation which lesads to the discovery of additions to knowledge.
   - Goode and Hatt, Method in Social Research, p. 57

लुण्डबर्ग (G.A.Lundberg) के शब्दों में, "उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अपने बिल्कुल प्रारम्भिक स्तरों पर उपकल्पना एक अनुमान, कल्पनात्मक विचार अथवा पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकती है जो बाद में किसी भी क्रिया अथवा अनुसन्धान का आधार बन जाती है।"

गुडे तथा हाट (Goode and Hatt) के अनुसार, "उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्व करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। लगभग इन्हीं शब्दों में बोगार्डस ने लिखा है कि उपकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गयी एक मान्यता है।"

पी.वी.यंग (P.V.Young) ने कुछ भिन्न शब्दों में उपकल्पना को परिभाषित करते हुए की है कि "एक अस्थायी लेकिन केन्द्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसन्धान का आधार बन जाता है, उसे हम एक कार्यकारी उपकल्पना कहते हैं।" इसका तात्पर्य यह है कि उपकल्पना का महत्व अनुसन्धान के आरम्भ में ही नहीं होता बल्कि अनुसन्धान के सभी स्तरों पर यह किसी न किसी रूप में अध्ययन का आधार बनी रहती है।

उपर्युक्त परिभाषाएँ स्पष्ट करती हैं कि उपकल्पना किसी विषय से सम्बन्धित एक सामान्य अनुमान अथवा विचार है जिसके सन्दर्भ में ही सम्पूर्ण अध्ययन किया जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर एक उपकल्पना अनुमान का मार्ग–निर्देशन करती है, अध्ययन के बीच में यह अध्ययनकर्ता को

इधर–उधर भटकने से रोकती है तथा अध्ययन के अन्त में यह उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत करने तथा पूर्व–निष्कर्षो का सत्यापन करने में सहायता देती है। अध्ययन के द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर यदि कोई उपकल्पना सत्य प्रमाणित होती है तो असे एक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और यदि वह सत्य प्रमाणित नहीं होती तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। इसी आधार पर परिकल्पना को अक्सर कार्यकारी परिकल्पना भी कहा जाता है।

इ) परिकल्पना का महत्व :

किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में उपकल्पना की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। उपकल्पना मे महत्व को स्पष्ट करते हुए जहोदा और कुक ने लिखा है कि "उपकल्पनाओं का निर्माण तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है।" इसी प्रकार गुडे और हाट का कथन है कि "अच्छे अनुसन्धान में उपकल्पना का निर्माण करना सर्वप्रमुख चरण है।" वास्तविकता यह है कि कोई भी सामाजिक अनुसन्धान उपकल्पना के अभाव में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। उपकल्पना एक प्रकार का प्रकाश–स्तम्भ है जो अध्ययनकर्ता को दिशा–निर्देश देता है तथा उसे व्यर्थ की सूचनाओं के संग्रह से रोकता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में उपकल्पना के महत्व अथवा कार्यो को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है।

१. अध्ययन की दिशा का निर्धारण (Providing Right Direction to the Study) – उपकल्पना की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए पी.वी.यंग का कथन है कि "उपकल्पना से अनुसन्धानकर्ता ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने से बच जाता है जो बाद में अध्ययन–विषय के लिए व्यर्थ सिद्व होते है।" वास्तव में, प्रत्येक सर्वेक्षण और अनुसन्धान के लिए बहुत अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। उपकल्पना की सहायता से जब अध्ययन को एक उचित दिशा मिल जाती है तो अध्ययनकर्ता भी व्यर्थ के परिश्रम, समय और व्यय से बच जाता है।

२. अध्ययन–क्षेत्र को सीमित करने में सहायक (Helpful in Delimition the Field of Study) – उपकल्पना द्वारा अध्ययन–क्षेत्र को इस प्रकार सीमित करना सम्भव हो जाता है कि अनुसन्धानकर्ता अपना ध्यान अध्ययन के एक विशेष पहलू अथवा कुछ विशेष तथ्यों पर ही केन्द्रित कर सके। वास्तव में, प्रत्येक अध्ययन विषय के बहुत–से पहलू हो सकते हैं। यदि अध्ययनकर्ता सभी पहलुओं को एक साथ लेकर अध्ययन करना आरम्भ कर दे तो किसी भी पहलू की गहराई में जाकर तथ्यों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। अध्ययन की वैज्ञानिकता के लिए अध्ययन–क्षेत्र का सीमित हो आवश्याक है जो उपकल्पना की सहायता से ही सम्भव हो सकता है। लुण्डबर्ग के शब्दों में, "उपकल्पना के प्रयोग से अध्ययन–क्षेत्र सीमित हो जाता है और अध्ययनकर्ता गहराई में जाकर विषय का अध्ययन करने में सफल हो सकता है।"

1. "…..the formulation and verification of hypothesis is the objective of scientific inquiry."

   -Jahoda and Cook, Reaserach Methods in Social Relations,p.39

2. "The formulation of the hypothesis is a central step in good research."

   - Goode and Hatt,op.cit,p.73

3. P.V.Young,op.oit.,p.99.

4 G.A.Loundberg op.cit.,p. 199.

३. उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक (Helpful in Collecting Relevant Data) – किसी भी सामाजिक घटना अथवा समस्या का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता के सामने अनेक प्रकार के तथ्य आते है। कभी–कभी उन तथ्यों को छोडकर व्यर्थ के तथ्यों के संकलन में लग जाता है। इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण अध्ययन अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक बन सकता है। इस स्थिति में "परिकल्पना की सहायता से यह निश्चित करना आसान हो जाता है कि किन तथ्यों को एकत्रित किया जाय और किन्हें सरलता से छोडा जा सकता है।" इसका तात्पर्य यह है कि उपकल्पना ही वह महत्वपूर्ण आधार

है जो अध्ययनकर्ता पर नियन्त्रण बनाये रखकर अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में सहायता देता है।

४. तर्कसंगत निष्कर्षो में सहायक (Helpful in getting Logical Conclusions) – आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उपकल्पना वह मान्यता है जिसके द्वारा अनुसन्धान–कार्य आरम्भ करने से पहले ही एक कामचलाऊ निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। यही। निष्कर्ष सत्य है अथवा असत्य, इसका परिक्षण बाद में एकत्रित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तथ्यों के आधार पर यदि उपकल्पना से सम्बन्धित निष्कर्ष सही प्रमाणित होता है तो उसे एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि उपकल्पना का सावधानी से निर्माण किया जाये तो यह उपययुक्त और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालाने में अत्यधिक सहायक होती है।

५. सिद्धान्तों के निर्माण में योगदान (Contribution in the Construction of Theories) – सामाजिक शोध का अन्तिम उद्देश्य सिद्धान्तों का निर्माण करना होता है। इस कार्य में उपकल्पना की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, उपकल्पना का निर्माण साधारणतया किसी पूर्व–स्थापित सिद्धान्त के आधार पर होता है। एक शोधकर्ता जब नई परिस्थितियों के सन्दर्भ में किसी पुराने सिद्धान्त की सार्थकता को देखने का प्रयत्न करता है तो उपकल्पना उसके इस कार्य को बहुत सरल बना देती है। उपकल्पना की सहायता से जो सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं वे नये सिद्धान्तों का निर्माण करने में भी अत्यधिक सहायक होते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि किसी भी शोध उपकल्पना का महत्व केन्द्रीय है। यही कारण है कि सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित कोई भी शोध–कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें किसी–न–किसी उपकल्पना को आधार मानकर तथ्यों को एकत्रित न किया जाय।

अध्याय – ३

चुने हुऐं श्रमिकों की सामाजिक पृष्ठभुमि

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

अ) आयु के अनुसार वर्गीकरण

ब) मादक पदार्थो का उपयोग

क) व्यवसाय की पृष्ठभुमी

ड) मनोरजन के साधन

अध्याय ३

चुने हुऐं श्रमिको की सामाजिक पृष्ठभुमि

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज के बाहर रहकर वह सुखद जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति के जीवन पर उसका विभिन्न प्रकार से प्रभाव पडता है। उसके सोचने, समझने, व्यवहार, कार्यप्रणाली, कार्यक्षमता आदि पर सामाजिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पडता है। व्यक्ति के आस-पास का वातावरण, उसकी आर्थिक स्थितियाँ, उसकी कार्यक्षमता एवं उसके दृष्टिकोण आदि को प्रभावित करती है।

इस संदर्भ में डॉ. जोशी का मत है कि दुनिया में, जहां भी आधुनिक ढंग का औद्योगिक समाज बन सका है वहां पहले कोई न कोई बडा सांस्कृतिक आंदोलन चला आया है। यह भी देखा गया है कि आर्थिक विकास और नई सांस्कृतिक चेतना का प्रसार एक दुसरे को बराबर प्रभावित करते है। जब आर्थिक उन्नति एक सांस्कृतिक चुनौति का रूप लेती है, तब खुशहाली जुटाने के काम में इंसान की ओछी और स्वार्थी प्रवृत्तियाँ ही नही बल्कि उँची और आदर्श प्रवृत्तिया भी सक्रिय होती है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुत अध्याय में चुने गये श्रमिकों की सामाजिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण का प्रयास किया गया है।

अ) आयु के आधार पर वर्गीकरणः

जैसा कि पूर्व में ही कहा जा चुका है कि प्रस्तुत अध्ययन हेतु २५० श्रमिकों को चुना गया है। इन श्रमिकों में, विभिन्न आयु वर्ग के श्रमिक सम्मिलित है। इस तथ्य को तालिका ३.१ में दर्शया गया है।

तालिका–३.१

श्रमिकों का आयु के आधार पर वर्गीकरण

आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत (%)
१५–२०	६३	२५ %
२०–३०	७८	३१ %
३०–४०	७०	२८ %
४०–५०	३७	१५ %
५०–६०	०२	०१ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषणः

सारणी ३.१ से स्पष्ट है कि १५ से २० आयु वर्ग के २५ (६३) प्रतिशत श्रमिक पाये गये है किन्तु कोई भी श्रमिक १७ वर्ष से कम आयु का नहीं था। इसके पश्चात ३० से ४० वर्ष के आयु वर्ग में २८ (७०) प्रतिशत तथा २० से ३० वर्ष के आयु वर्ग में सर्वाधिक ३१ (७८) प्रतिशत श्रमिक हैं। ५० से ६० वर्ष के आयु वर्ग में मात्र ०१ प्रतिशत श्रमिक कार्यरत है।

निष्कर्षः–

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चूँकि भवन निर्माण का कार्य, शारीरिक श्रम तथा शक्ति पर आधारित है। ऐसी स्थिती में न तो नियोक्ता ही उन्हें काम पर लगना उचित समझते है और न ही श्रमिक इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वैसे भी हमारे देश में कुपोषण की समस्या के कारण ५० वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्तियों की कार्यक्षमता इस योग्य नही रह जाती कि वे शारीरिक श्रम तथा शक्ति वाला कार्य कर सके।

श्रमिकों का आयु के आधार पर वर्गीकरण दर्शक रेखाचित्र

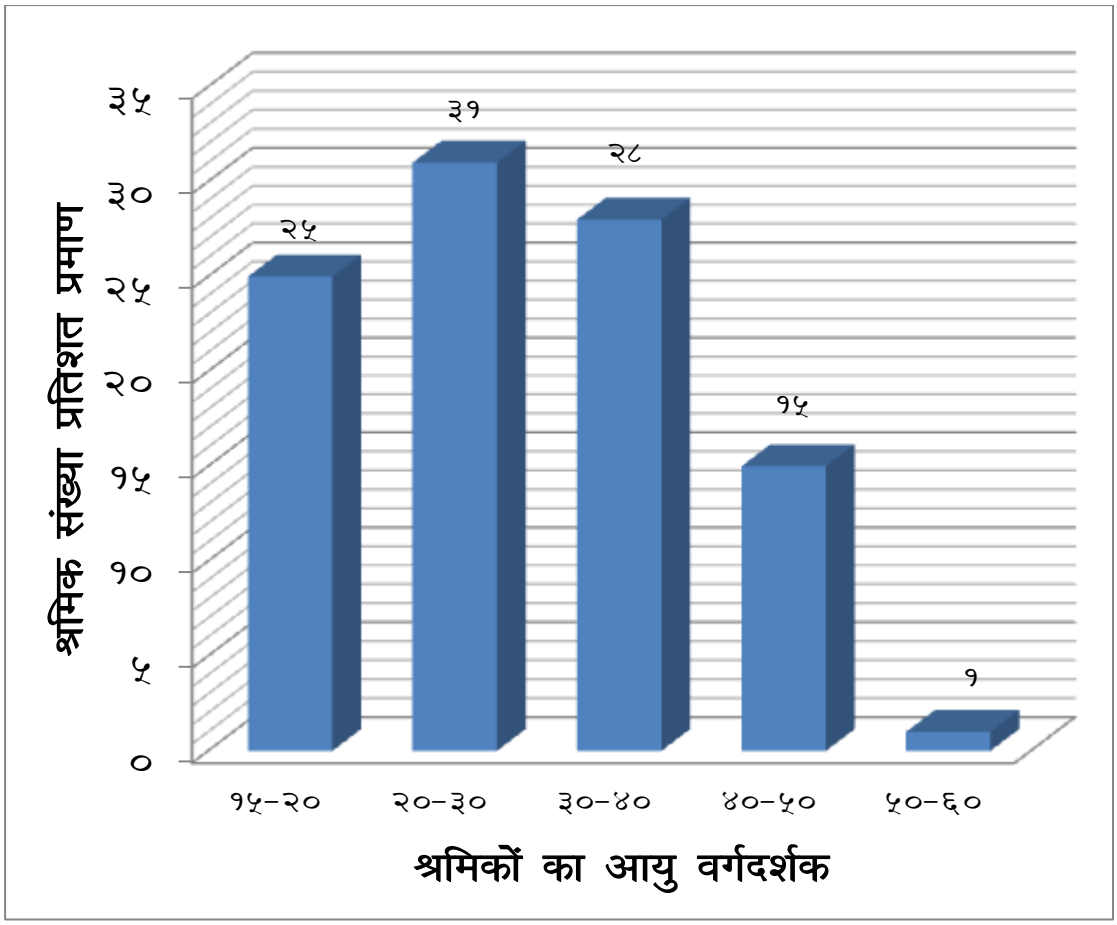

ब) मादक पदार्थों का उपयोगः

मादक द्रव्यों के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण :

हमारे देश में समाज स्पष्टतः दो वर्गो में विभक्त दिखाई देता है। एक वर्ग ऐसा देखने को मिलता है जो मादक द्रव्यों के प्रयोग से पूर्णतः मुक्त है किन्तु दूसरा वर्ग जिसकी संख्या अधिक है विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों के प्रयोग का अभ्यस्त है। इस वर्ग में आने वाले व्यक्ति या तो धनिक वर्ग के व्यक्ति है या निम्न वर्ग के व्यक्ति है।

चूने हुए श्रमिकों में भी अधिकांश श्रमिक किसी न किसी मादक पदार्थ के अभ्यस्त है। इसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका –३.२

मादक पदार्थो का प्रयोग दर्शक तालिका

मादक पदार्थ	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
बीडी, तम्बाकु, पान	७५	३० %
कुछ नही	३८	१५ %
शराब, पान, तम्बाकु सभी अ) सप्ताह में एक बार–३० ब) सप्ताह में दो बार–२१ क) रोज–४२ ड) कभी कभी–४४	१३७	५५ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका ३.२ से विदित होता है कि कुल श्रमिकों में से १५ प्रतिशत श्रमिक किसी भी मादक द्रव्यों का उपयोग नही करते जबकी ३० प्रतिशत श्रमिक बीडी, पान, तम्बाकु का उपयोग करते हैं। पान तथा तम्बाकु का उपयोग करणे वालों में महिला श्रमिक भी शामिल हैं। जबकि शराब पिने वालों में महिला श्रमिकों की संख्या नगण्य है। यह एक आदर्श की बात है कि जहां एक ओर श्रमिकों की आयु इतनी कम है कि वे अपनी अनिवार्य आश्यकताओं की पूर्ति में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। वहां दूसरी ओर एक बडी संख्या में यानि ५५ (१३७)श्रमिक मादक द्रव्यों के उपयोग पर अपनी आय खर्च कर देते है।

निष्कर्ष :

इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता कि अधिकांश भवन निर्माण श्रमिक अपनी आय में से एक बडी राशि शराब, पान एवं तम्बाकु पर व्यय

करते है जिसका विपरित परिणाम उनके परिवार की आर्थिक स्थिती पर पडता है।

मादक पदार्थो का प्रयोग दर्शक रेखाचित्र

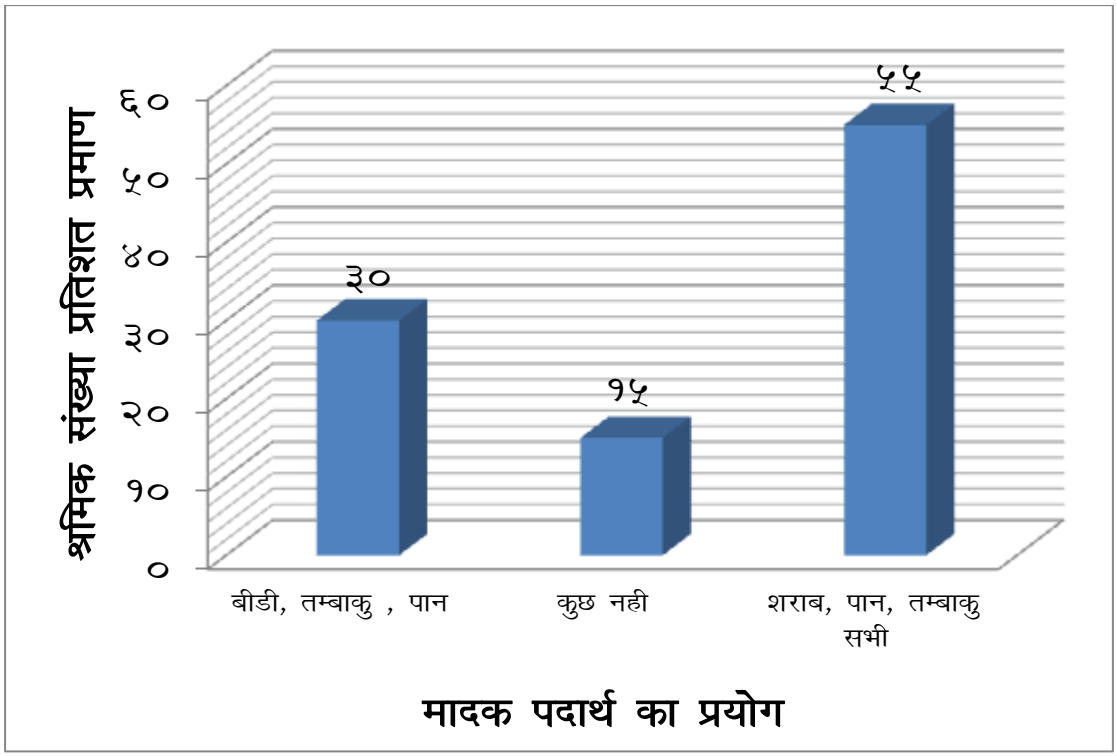

क) व्यवसाय की पृष्ठभूमी

व्यवसाय की पृष्ठभूमीः

सामान्यतः हमारे देश में व्यक्ति अपना व्यवसाय वही चुनते हैं जो कि उनके परिवार में पहले से ही अपनाया गया हो किन्तु वर्तमान समय में बढती हुई जनसंख्या एवं बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप यह धारणा बदल रही है अब व्यक्ति को आवश्यक नहीं कि अपने पैतृक व्यवसाय को ही चुने। बल्कि संभव है कि यह अन्य व्यवसाय में भी जा सकता है। चुने गये श्रमिकों मे इस स्थिती को निम्नलिखित तालिका में बताया गया है।

तालिका–३.३

व्यवसाय की पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकरण

व्यवसाय पूर्व स्थिती	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
पूर्व से ही	१४०	५६ %
पूर्व से नहीं	७७	३१ %
कोई मत नहीं	३३	१३ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत :व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषणः

तालिका ३.३ से विदित होता है कि ५६(१४०) प्रतिशत श्रमिक ऐसे है कि जिनके परिवारों में पूर्व से ही यह कार्य किया जा रहा था। ३१(७७) प्रतिशत श्रमिक ऐसे हैं जिनके परिवारों में यह व्यवसाय नहीं होता था तथा उन्हें बाध्य होकर इस कार्य को अपनाना पडा जबकि १३(३३) प्रतिशत लोगों ने कोई मत नहीं दिया।

निष्कर्षः

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन उद्योगों के श्रमिक परिवार में जो व्यवसाय पहले से ही किया जा रहा हो वे उसे ही अपनाते हैं एवं व्यवसाय बदलने में उन्हे ज्यादा रूचि नहीं है।

व्यवसाय की पृष्ठभूमि दर्शक रेखाचित्र

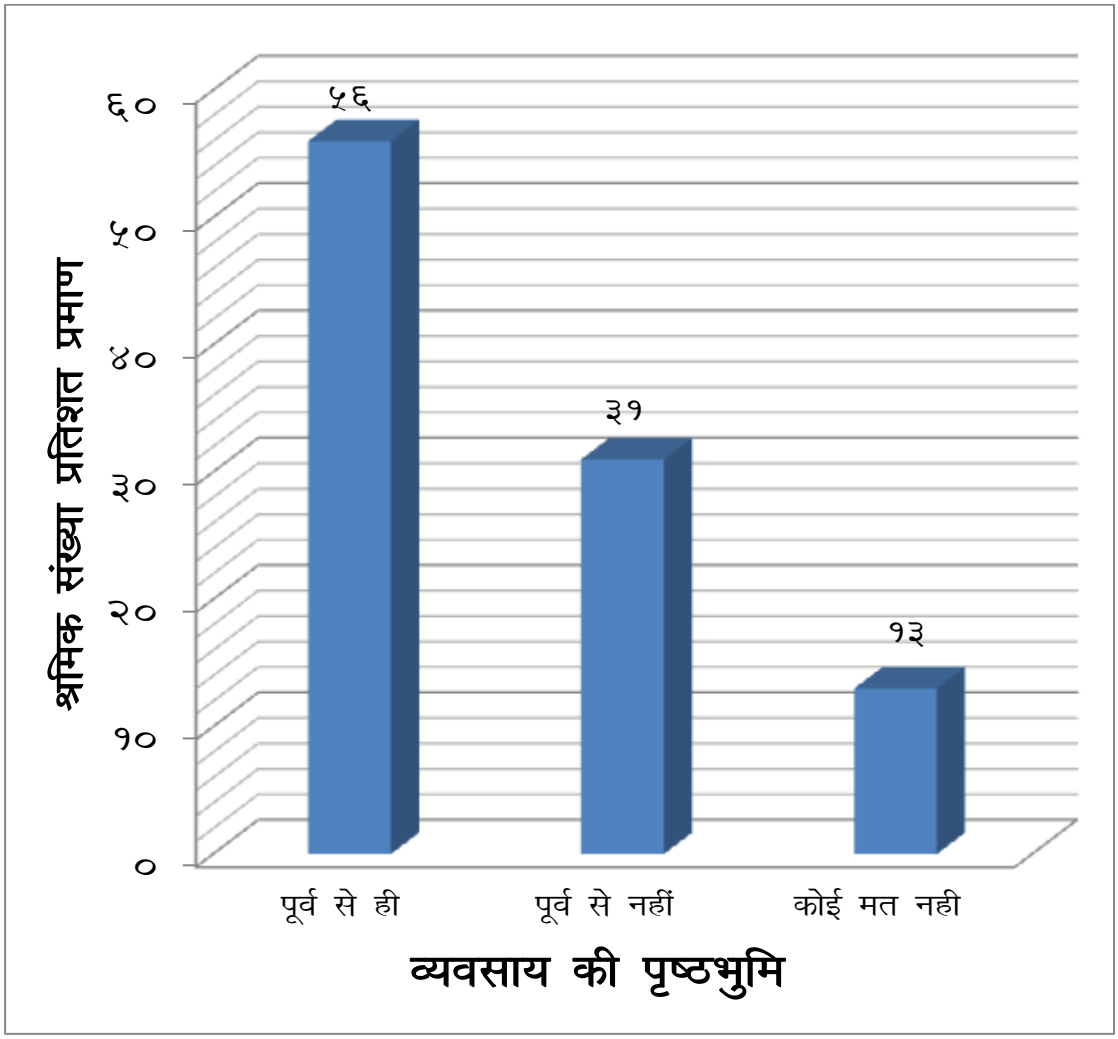

ड) मनोरंजन के साधन :

मनोरंजनः

वर्तमान समय में सिनेमा मनोरंजन का एक सबसे सुलभ तथा सस्ता साधन है। व्यक्ति अपनी कार्य की व्यस्तताओं तथा मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिये सिनेमा देखने के प्रति आकर्षित होता है। चुने गये श्रमिकों में भी सिनेमा देखने की प्रवृत्ति देखने को मिली। इस तथ्य को निम्न तालिका में बताया गया है।

तालिका ३.४

सिनेमा देखने की प्रवृत्ति दर्शक तालिका

सिनेमा देखने वालो की संख्या (महीने में)	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
एक बार	०५	०२ %
दो बार	६०	२४ %
तीन बार	१७	०७ %
चार बार	१२३	४९ %
पाँच बार	२०	०८ %
बिल्कुल नहीं	२५	१० %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषणः

तालिका ३.४ से स्पष्ट है कि अधिकांश श्रमिक सिनेमा देखने के शौकीन है। मात्र १०(२५) प्रतिशत श्रमिक सिनेमा नहीं जाते। २(५) प्रतिशत लोग महिने में एक बार सिनेमा देखते है। जबकी सर्वाधिक ४९(१२३) प्रतिशत श्रमिक माह में चार बार सिनेमा देखते है। पाँच बार सिनेमा देखने वाले श्रमिकों की संख्या ०८ (२०) प्रतिशत है।

निष्कर्षः

यह एक आश्चर्य का विषय है कि श्रमिक जिनकी आय सीमित है वे सिनेमा के उपर इतना व्यय कैसे कर लेते है। किन्तु श्रमिकों का मत था कि कार्य की थकान मिटाने के लिये देखना जरूरी होता है।

सिनेमा देखने की प्रवृत्ति दर्शक रेखाचित्र

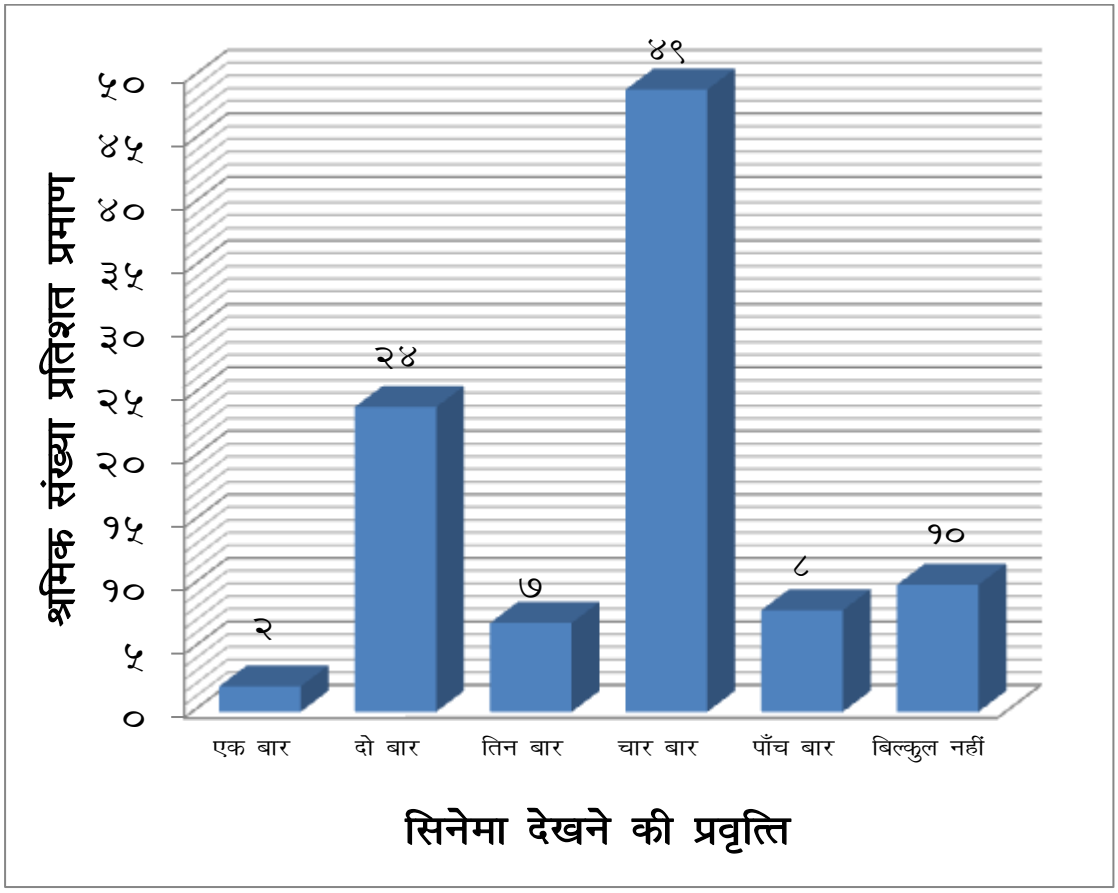

द्वितियक स्त्रोतः

भारत में श्रम बाजार का विकास :

श्रम बाजार के अध्ययन में श्रम शक्ति के व्यासायिक एवं औद्योगिक बंटवारे का विश्लेषण किया जाता है। किसी देश में रोजगार पध्दति वहां के श्रम बाजार की रचना बताती है। दूसरे विश्व युध्द के दौरान रोजगार एवं श्रम शक्ति सम्बन्धी विषयों ने बहुत मांग और पूर्ति मे प्रभावपूर्ण सहसम्बन्ध की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। युध्द के बाद श्रम और रोजगार सम्बन्धी विषयों का सभी देशों में महत्व इसलिए और बढ गया है क्योंकि यह अनुभव किया जाता है कि रोजगार संबंधी नीतियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी महत्व रखती हैं।

इस समय रोजगार सम्बन्धी आर्थिक आकडे भारत में कारखानों, खानों, बागानों और रेलों के सम्बन्ध में मिलते हैं। कारखानों के विषय में आकडे राज्य सरकारें। व्दारा कारखाना कानून, १९४८ के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ निर्माणी उद्योगों की वार्षिक गणना की रिपोर्टो से भी रोजगार सम्बन्धी कुछ आंकडे प्राप्त होते है। अन्य क्षेत्रों के बारे में विश्वस्त एवं व्यवस्थित रोजगार सम्बन्धी आंकडे लगभग नहीं मिलते हैं यद्यपि प्रमुख बदंरगाहों, ट्राम्बे कम्पनियों, डाक व तार, सरकारी रोडवेज, पब्लिक वर्क्स एवं प्रमुख नगर महापालिकाओं के बारे में कुछ सुचना लेबर ब्युरो द्वारा इण्डियन लेबर इयर बुक में प्रकाशन के लिए इकट्ठा की जाती है। भारत में रोजगार केंन्द्रो एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य से सम्बन्धि मत सूचना पुनर्वास एवं रोजगार निदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। कृषी श्रम के विषय में भारत सरकार द्वारा करायी गयी अखिल भारतीय कृषी एवं ग्रामीण श्रम जांचो के फलस्वरूप काफी आकडे मिलते हैं। इसके अलावा कृषी, व्यापार, कुटीर उद्योग और भवन एवं निर्माण के बारे में रोजगार सम्बन्धी जो सूचना मिलती है वह जनगणना की रिपोटो से प्राप्त की जा सकती है। जिन क्षेत्रों के बारे में रोजगार सम्बन्धी सूचना नियमित रूप से इकट्ठा प्रकाशित की जाती है उनमें भी कुछ अधुरापन है। यही नहीं, ज्यादातर आंकडे वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं जिससे बीच का अन्तर काफी लम्बा हो जाता है। यदि मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन करना हो तो यह आंकडे मासिक आधार पर तुरन्त ही मिलना चाहिए । वास्तव में सभी क्षेत्रों के लिए आकडों को नियमित इकट्ठा करना बहुत आवश्यक समझा जाना चाहिए और रोजगार सम्बन्धी आंकडो में जो खास कमियां हैं उनकों पूरा करना चाहिए ।

नीचे की तालिका में भारत में १९०१ से २००१ तक श्रमिक वर्ग के अलग–अलग क्षेत्रों में बंटवारों को दिया गया है।

तालिका : भारत मे श्रम शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में बंटवारा (प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	सहाय्यक क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
१९०१	७१.८	१२.६	१५.६
१९३१	७४.८	१०.४	१५.०
१९६१	७२.३	१०.६	१६.०
१९९१	६७.४	१२.१	१०.५
२००१	५३.४	एन.ए.	एन.ए.

स्त्रोतः भारत की जनगणना, २००१

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि भारत में काम करने वाली जनसंख्या का लगभग ५३ प्रतिशत से अधिक भाग कृषि एवं सम्बन्धित व्यवसायों में लगा है। सहायक तथा सेवा क्षेत्रों का इतनी तेजी से विस्तार नहीं हो सका है। जिससे भुमि पर से अतिरिक्त को वहां से हटाकर उनमें लगाया जा सके।

देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में काम करनी वाली जनसंख्या के बंटवारे के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल, प. बंगाल, तमिलनाडू, पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का अनुपात अखिल भारत के अनुपात की तुलना में कम है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उडीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, आन्ध्र प्रदेश तथा जम्मू व काश्मीर में प्राथमिक क्षेत्र पर काम करने के लिए निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात ज्यादा है। दिल्ली मे सहायक व सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का अनुपात काफी उंचा है।

अध्याय – ४

श्रमिकों की आय

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

अ) मजदुरी के आधार पर वर्गीकरण

ब) परिवार के अन्य सदस्यों की आय

क) श्रमिक परिवार के प्रतिव्यक्ती औसत आय

ड) पैतृक सम्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण

अध्याय – ४

श्रमिकों की आय

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

श्रमिकों की आय :

किसी भी व्यक्ति के जीवन में आय का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आय मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। वास्तव में देखा जाय तो आय ही वह धुरी है जिसके चारों और सम्पूर्ण श्रम समस्याएं एंव अर्थशास्त्र केन्द्रित है। मनुष्य का जीवन स्तर, कार्य क्षमता, दृष्टिकोण, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि पर इसका गहरा प्रभाव पडता है। प्रत्येक व्यक्ति आय प्राप्ति हेतु कुछ न कुछ कार्य करता है। चाहे वह उत्पादन कार्य में लगे चाहे व्यवसाय में अथवा सेवाओं में। उद्योग या व्यवसाय में व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है जबकि सेवाओं में लगे व्यक्ति अपनी आय, मजदूरी या वेतन के व्दारा प्राप्त करते है।

प्रस्तुत अध्याय में श्रमिकों की आय के बारे में विचार किया गया है जो कि उन्हें मजदूरी व्दारा प्राप्त होती है। मजदूरी का श्रमिकों की दृष्टि से बहूत महत्व है। डॉ. भगोलीवाल के शब्दों में "समाज में श्रमिकों की सापेंक्षिक स्थिति उद्योग से उनका लगाव एवं प्रबंधको के प्रति उनका दृष्टिकोण उनका नैतिक स्तर एवं उत्पादकता के प्रति उनमें प्रेरणायें उनका जीवन स्तर तथा वास्तव में उनके जीवन बिताने का ढंग सभी मजदूरियाँ व्दारा निश्चित होते है।"

चूँकि मजदूरी का बहुआयामी महत्व है। अतः यह आवश्यक है कि मजदूरी संबंधी नीति का निर्धारण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए इस दृष्टि से प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी के भूगतान की व्यवस्था अनिवार्य एवं उचित प्रतीत होती है। न्युनतम के भुगतान को समझाते हुए उचित

मजदूरी समिती का मत था कि एक न्युनतम मजदूरी न सिर्फ जीवन की अनिवार्य जरूरतों के लिये है बल्कि श्रमिकों की कुशलता की रक्षा के लिये भी व्यवस्था है। इस दृष्टि से न्युनतम मजदुरी में शिक्षा, चिकित्सा संबंधी जरूरतों एवं सुविधाओं के लिये भी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये।

इस प्रकार हम देखते है कि श्रमिक को कम से कम न्यूनतम मजदूरी की अवश्य ही व्यवस्था की जाये। आगामी पृष्ठों में चुने हुए श्रमिकों की मजदूरी तथा आय का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

अ) मजदूरी के आधार पर वर्गीकरण :

चुने गए श्रमिकों में विभिन्न मजदूरी पाने वाले व्यक्ति सम्मिलित है। इन श्रमिकों का मजदूरी के आधार पर वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दिया है।

तालिका ४.१

श्रमिकों का दैनिक मजदूरी के आधार पर वर्गीकरण

दैनिक मजदूरी (रूपयों में)	श्रमिक की संख्या	प्रतिशत (%)
२०० – २५०	११०	४४ %
२५० – २७५	७५	३० %
२७५ – ३००	३३	१३ %
३०० – ३२५	१४	०६ %
३२५ – ३५०	१२	०५ %
३५० – ४००	०६	०२ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तलिका ४.१ के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चुने गये श्रमिकों में से ४४ प्रतिशत श्रमिकों की दैनिक आमदनी २५० रूपये तक है तथा २५० से २७५ रूपये मजदूरी पाने वाले ३० प्रतिशत श्रमिक है। इस प्रकार २७५

रूपये मजदूरी पाने वाले श्रमिकों का प्रतिशत ७४ हो जाता है। ३५० से ४०० रूपये मजदूरी वाले वर्ग में ०२ प्रतिशत श्रमिक है, जबकि ३०० से ३२५ रूपये के बीच में आय पाने वाले व्यक्तियों की संख्या ०६ (१४) प्रतिशत होती है। तालिका से यह बात स्पष्ट ज्ञात होती है कि अधिकांश श्रमिक मजदूरी के बहूत ही निम्न स्तर पर जीवनयापन करने को बाध्य हो रहे है। क्योंकि वर्तमान मंहगाई के समय में २०० रूपये से २५० रूपये तक की आय उनकी अनिवाय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी अपर्याप्त होती है। आय की कमी तब और अधिक प्रतीत होती है जब हम बढती हुई कीमत की ओर ध्यान देते हैं जो कि वर्तमान समय में धिक तेजी से बढ रही है।

निष्कर्ष :

इस विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि सरकार ने इस वर्ग के श्रमिकों की आर्थिक दशाओं को सुधारने के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है। जबकि आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जनसंख्या में वृध्दि के साथ निर्माण क्रियाओं का विस्तार हो रहा है तथा इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ रही है साथ ही भवन निर्माण का कार्य अधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य है।

श्रमिकों का दैनिक मजदूरी के आधार पर वर्गीकरण दर्शक रेखाचित्र

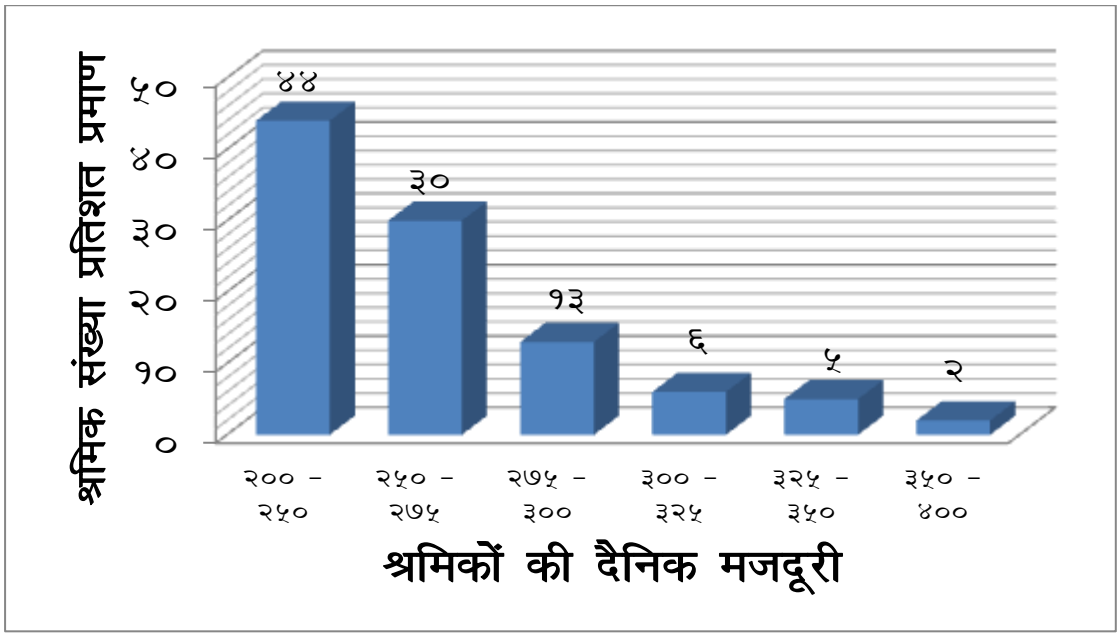

श्रमिकों की मासीक आय के आधार पर वर्गीकरण :

आय यह एक प्रवाह है जो उपभोग के समय व्यय होता है या पुंजी में वृध्दि करता है। किसी भी संम्पति के उपभोग में से या मानवीय श्रम के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त होनेवाली आय याने यह लाभ कहलाता है। कोई भी श्रमिक मेहनत के परिणाम स्वरूप ही फल पाता है इसलिए इस मद को अध्ययन में शामिल किया गया।

तालिका ४.२

श्रमिकों की मासिक आय दर्शक तालिका

मासिक आय (रूपयों में)	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
५००० – ६०००	११०	४४ %
६००० – ७०००	७५	३० %
७००० – ८०००	३३	१३ %
८००० – ९०००	१४	०६ %
९००० – १००००	१२	०५ %
१०००० – ११०००	०६	०२ %
योग	२५०	१००%

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि चुने गये श्रमिकों में से ४४ प्रतिशत ११० श्रमिकों को आय ५००० - ६००० रू. के बीच है। ३० प्रतिशत ७५ श्रमिकों की आय ६००० - ७००० रू. है। ०६ प्रतिशत १४ श्रमिकों की आय ८००० - ९००० रू. है। तथा ०५ प्रतिशत १२ श्रमिकों की आय ९००० - १०००० रूपये।

निष्कर्ष :

इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश श्रमिक अशिक्षित और अप्रशिक्षित होने से उन्हें कम मजदुरी प्राप्त होती है तथा कुछ ऐसे श्रमिक होते है जिन्हें कुशलतापूर्ण कार्य का ज्ञान रहता है उन्हें ही सिर्फ अच्छी मजदुरी प्राप्त होती है, क्योंकि वे ठेकेदारों के अधिन रहकर अपना कार्य करते है इसलिए ठेकेदार श्रमिकों से ज्यादा आय अर्जित करते है ऐसा अध्ययन में दिखाई दिया।

श्रमिकों की मासिक आय दर्शक रेखाचित्र

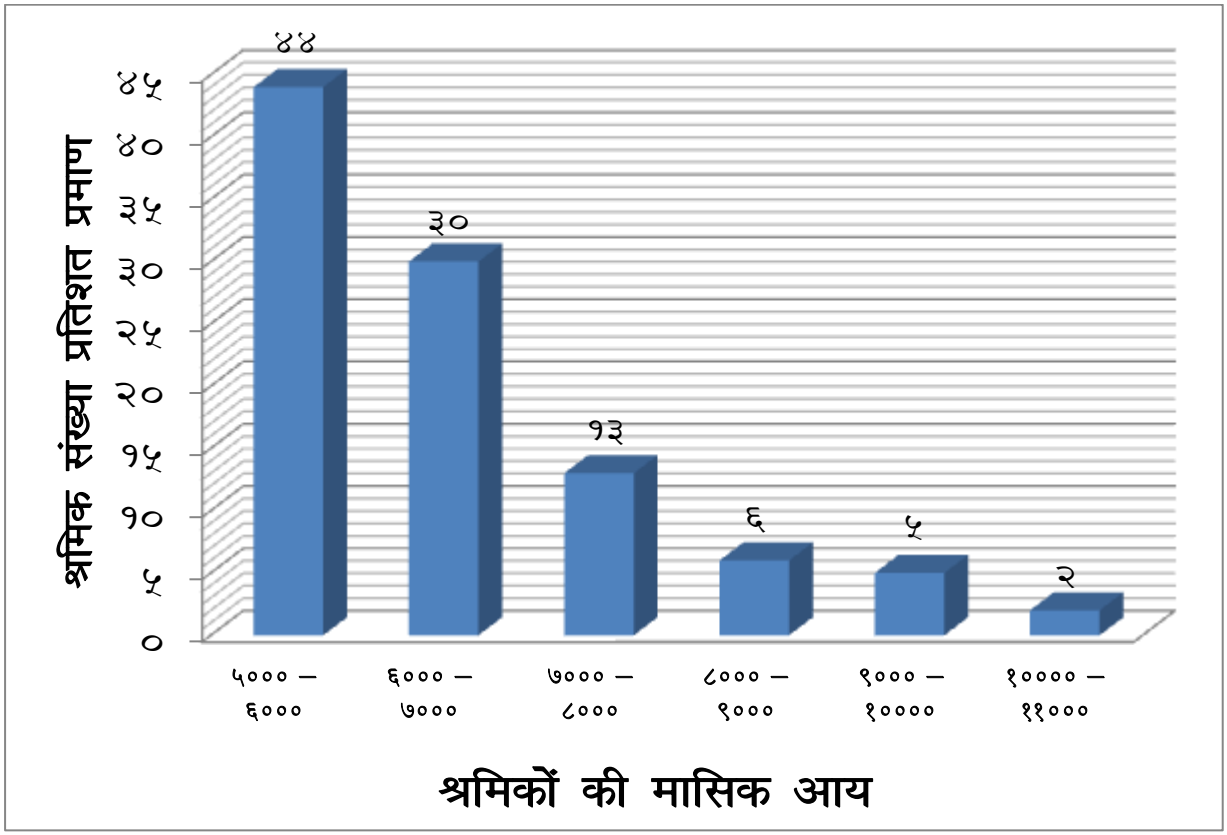

परिवार के अन्य सदस्यों की आय के आधार पर वर्गीकरण :

परिवार के अन्य सदस्यों का परिवार की आय में उस समय बहुत बडा योगदान होता है जबकि परिवार की आय बहुत सीमित होती है। चुने हुए परिवारों के सदस्यों व्दारा भी अपने परिवारों की आय में बडी मात्रा में योगदान दिया जाता है। इस तथ्य को तालिका ४.३ में दर्शाया गया है।

तालिका ४.३

परिवार के अन्य सदस्यों व्दारा अर्जित आय तालिका (मासिक)

आय (रूपयों में)	श्रमिक परिवारो की संख्या	प्रतिशत (%)
२००० – २५००	७५	३० %
२५०० – ३०००	५०	२० %
३००० – ३५००	३७	१५ %
३५०० – ४०००	२९	१२ %
४००० – ४५००	२४	०९ %
४५०० – ५०००	२०	०८ %
५००० से अधिक	१५	०६ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका ४.३ से ज्ञात होता है कि चुने हुए श्रमिक परिवारों में से २५० परिवारों में अन्य सदस्यो व्दारा परिवार की आय में कुछ न कुछ योगदान दिया जाता है। २००० – २५०० रूपये तक का आर्थिक योगदान २५० श्रमिक परिवारों में से सर्वाधिक अर्थात ७५ या ३० प्रतिशत परिवारों को प्राप्त हो रहा था। जबकि ५००० से अधिक योगदान देने वालों की संख्या १५ या ०६ प्रतिशत है। २५०० रूपये तक तथा ३००० रू. तक का योगदान पानेवाले परिवार क्रमश : ७५,५० है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश श्रमिक परिवार के अन्य सदस्यों व्दारा अर्जित मासिक आय अत्यंत कम है।

परिवार के अन्य सदस्यों व्दारा अर्जित आय दर्शक रेखाचित्र

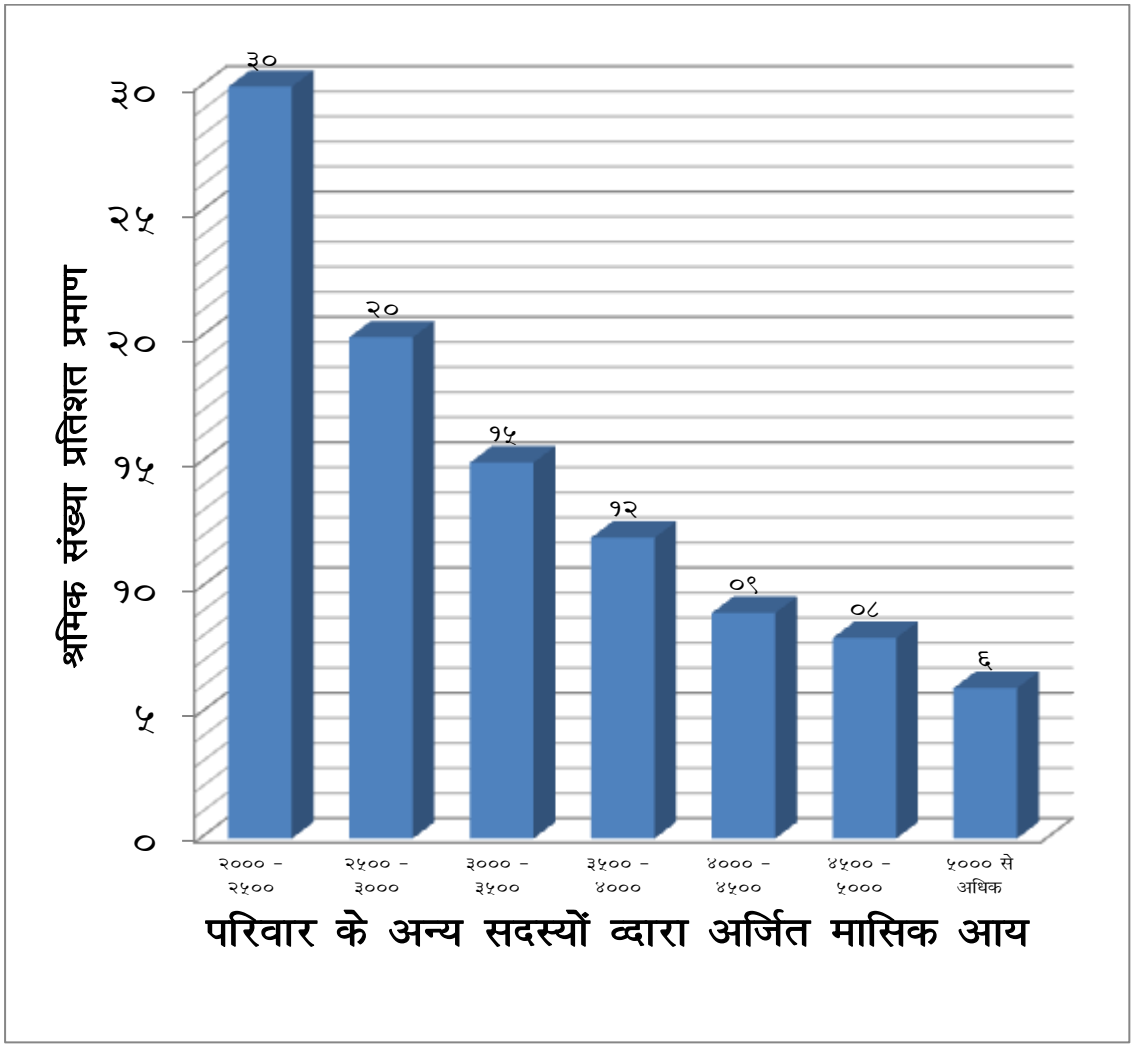

क) श्रमिक परिवार की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय

श्रमिक परिवार की प्रति औसत मासिक आय वर्गीकरण :

यदि हम श्रमिक परिवारों को प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय के आधार पर विश्लेषण करते है तो उससे हमें इस बात का ज्ञान होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक महीने में कि कितनी राशि व्यय करने हेतु उपलब्ध होती है। इससे हमें श्रमिकों के जीवन स्तर के बारे में भी एक सामान्य जानकारी मिलने में सहायता मिलती है। तालिका ४.४ में चुने हुए श्रमिक परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय को दर्शाया गया है।

तालिका ४.४

श्रमिक परिवार की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय तालिका

औसत मासिक आय (रूपयों में)	श्रमिक परिवारो की संख्या	प्रतिशत (%)
१५०० – २०००	११०	४४ %
२००० – १२५०	७५	३० %
२५०० – १५००	३३	१३ %
३००० – ३५००	१४	०६ %
३५०० – २०००	१२	०५ %
४००० – ४५००	०६	०२ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका ४.४ के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चुने हुए श्रमिक परिवारों में मात्र ४४ प्रतिशत ऐसे है जिनकी औसत प्रति व्यक्ति मासिक आय २००० रूपये तक है। सर्वाधिक ३० प्रतिशत परिवार २००० रूपये से २५०० रूपये आय वर्ग में आते है। इसके पश्चात् २५००-३००० रूपये आय वर्ग का क्रम आता है, ऐसे १३ प्रतिशत श्रमिक परिवार है। ४०००-४५०० रूपये आय वर्ग में ०२ प्रतिशत परिवार आते हैं।

निष्कर्ष :

अधिकांश श्रमिक परिवार प्रति व्यक्ति औसत आय की दृष्टी से आय के निम्न स्तर पर ही अपने जीवन यापन के लिये बाध्य है। यही कारण है कि अधिकांश श्रमिकों का जीवन स्तर बहुत नीचा है।

श्रमिक परिवार की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय दर्शक रेखाचित्र

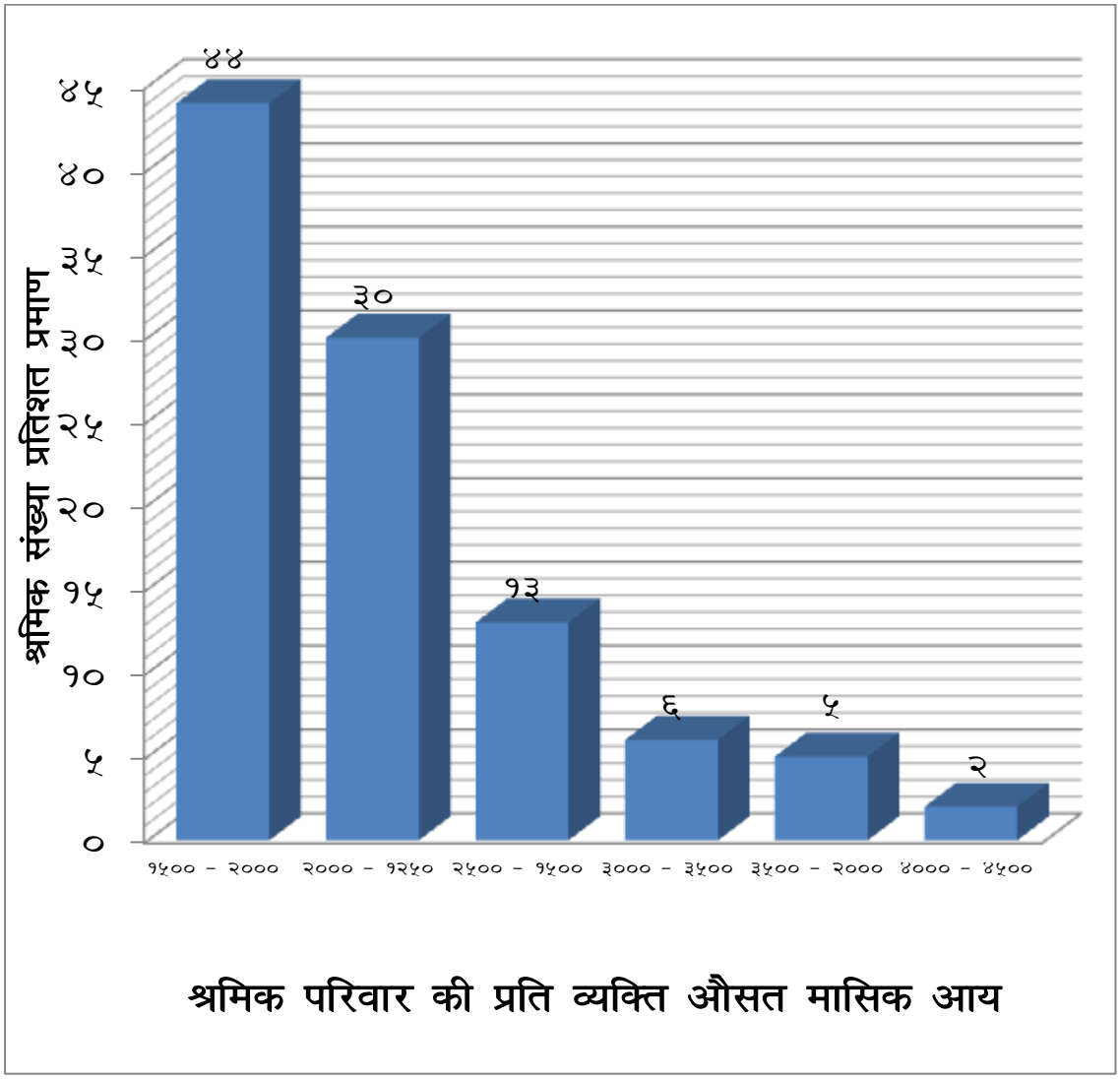

ड) पैतृक सम्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण :

भारत वर्ष में सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि यहां व्यक्तियों में पैतृक सम्पत्ति के प्रति विशिष्ट लगाव पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपनी पैतृक सम्पत्ति से अलग नहीं होना चाहता। कभी–कभी तो लोग पैतृक सम्पत्ति पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिये उस सम्पत्ति की कीमत से अधिक राशि व्यय कर देते है। चुने हुए श्रमिक परिवारों के पास कुछ न कुछ पैतृक सम्पत्ति उपलब्ध है। इसे तालिका ४.५ में स्पष्ट किया गया है।

तालिका ४.५

श्रमिकों का पैतृक सम्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण

पैतृक सम्पत्ति	श्रमिक की संख्या	प्रतिशत (%)
मकान तथा खेत	४८	१९ %
मकान तथा गाय, भैंस आदि	१०७	४३ %
केवल गाय, भैंस आदि	४५	१८ %
कुछ नहीं	५०	२० %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका ४.५ से ज्ञात होता है कि चुने हुये श्रमिकों में से ८० प्रतिशत श्रमिक परिवारों के पास पैतृक सम्पत्ति उपलब्ध है। इनमें से १९ प्रतिशत के पास मकान तथा खेत, ४३ प्रतिशत परिवारों के पास मकान, गाय, भैंस आदि तथा १८ प्रतिशत परिवारों के पास गाय, भैंस आदि उपलब्ध है। दूसरे वर्ग के १०७ परिवारों मे से ७५ परिवार ऐसे थे जिनके पास केवल मकान थे। उनके पास गाय, भैंस आदि नहीं थे। मात्र २० श्रमिक परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्वयं की कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं हैं। वास्तव में देखा जाय तो यह श्रमिक परिवार पैतृक सम्पत्ति विहीन इसलिये है कि किसी समय पर ये लोग दूर–दराज के गांव से आकर यहां पर बस गये है। यहां पर यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि श्रमिको के पास पैतृक सम्पत्ति उपलब्ध है किन्तु उससे विशेष आय प्राप्त नहीं होती है। जिनके पास मकान है वह कच्चा है तथा स्वयं रहने के काम आता है। तथा खेतों से मात्र जीवन यापन हेतु कुछ अनाज मिल जाता है। क्योंकि खेत भी बहुत छोटे आकार के है।

निष्कर्ष :

सम्पत्ति श्रमिकों की आय का महत्वपूर्ण साधन नहीं है। तथा औसत रूप में भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिक आर्थिक दृष्टि से बहुत नीचे स्तर पर हैं।

श्रमिकों का पैतृक सम्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण दर्शक रेखाचित्र

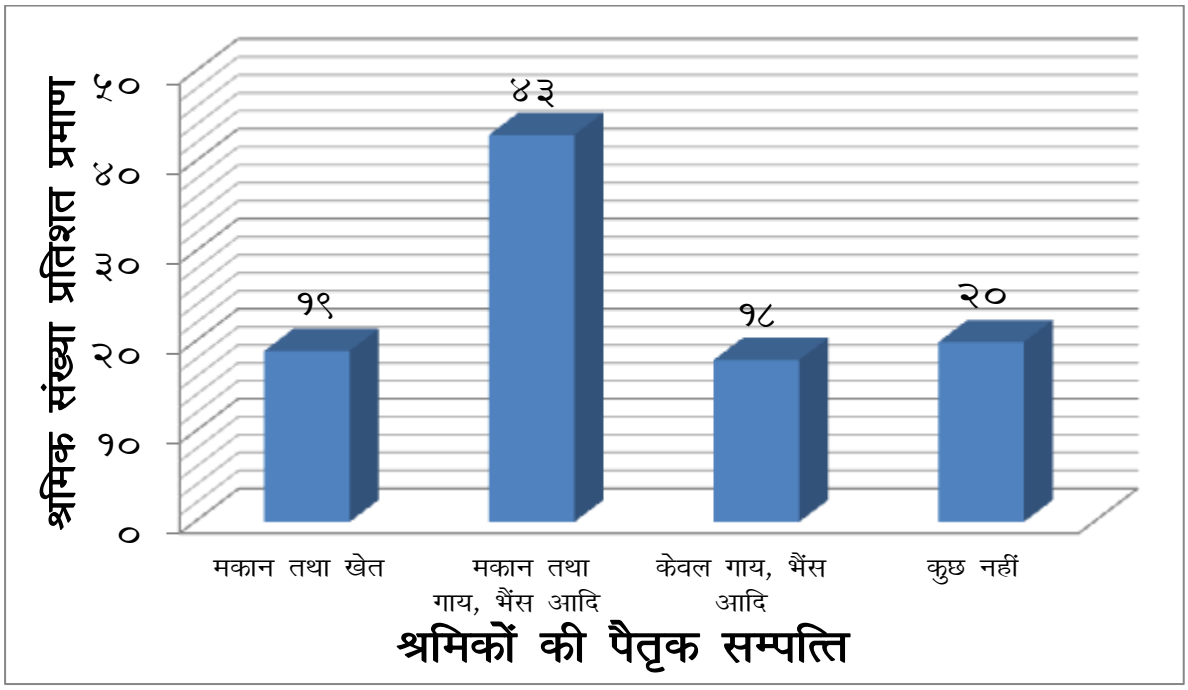

कार्य मिलने के दिन :

इस क्षेत्र में रोजगाररत श्रमिकों के सामने बडी समस्या इस बात की है कि उन्हें वर्ष में पूरे दिन कार्य नही मिलता है। कोई भी श्रमिक ऐसा नहीं मिला, जिसे वर्ष में ३०० से अधिक दिनों तक कार्य मिला हो। जब श्रमिकों को कार्य नहीं मिलता है तो उस अवधि में वे आय से भी वंचित रहते है। परिणामस्वरूप उनके आय तथा उपभोग पर भी बुरा प्रभाव पडता है।

भारत सरकार - राष्ट्रीय श्रम आयोग प्रतिवेदन, १९६९, पृष्ठ

अध्याय – ५

श्रमिकों द्वारा उपभोग व्यय

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

अ) श्रमिक परिवारों की औसत आय एंव व्यय

ब) श्रमिकों के उपभोग पर मासिक व्यय वितरण

क) श्रमिकों की ऋणग्रस्तता

ड) श्रमिकों की बचत प्रवृत्ति एंव संपत्ति निर्माण

अध्याय – ५

श्रमिकों द्वारा उपभोग व्यय

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

अ) श्रमिक परिवारों की औसत आय एवं व्यय :

बेरोजगारी के दिनों में श्रमिकों व्दारा किया गया कार्य :

सामान्यतः जब बरसात का मौसम अथवा गर्मी का मौसम होता है तो भवन निर्माण के कार्य में शिथिलता आ जाती है। परिणाम स्वरूप इन दिनों में श्रमिकों को कार्य नहीं मिलता है। अतएंव अन्य कार्यकर अपना जीवनयापन करना होता है। इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका ५.१

बेकारी के दिनों में श्रमिकों का जीवनयापन वर्गीकरण

अजिविका का साधन	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
रिक्शा चलाना	३८	१५ %
उधार लेकर	२५	१० %
पूर्व संचित राशि का उपयोग	३३	१३ %
आभूषण गिरवी रखकर	२२	०९ %
अन्य सदस्यों पर आश्रित	२८	११ %
घरेलू कार्य	५२	२१ %
कृषि कार्य	३५	१४ %
होटल पर कार्य	१७	०७ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका ५.१ के विश्लेषण से स्पष्ट हो ता है कि जब श्रमिको को भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्य उपलब्ध नहीं होता तो उन्हें अपनी

आजीविका चलाने के लिये बाध्य होकर दूसरे व्यवसायों में जाना पडता है। तालिका ५.१ के अनुसार सबसे अधिक २१ प्रतिशत श्रमिक घरेलू कार्यों में लग जाते है। जिनमें मुख्यतः चौका बर्तन का कार्य है। जो अधिकांशतः महिला श्रमिकों व्दारा किया जाता है। दूसरे क्रम पर रिक्शा चलाने का कार्य है। जिसे पुरूष श्रमिक करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य में १४ प्रतिशत श्रमिक कार्य करते है। जबकि पूर्व संचित राशि का उपयोग करके जीवन यापन करने वालों की संख्या १३ प्रतिशत है। १० प्रतिशत श्रमिक ऐसे हैं जो अपने नियोक्ता से उधार लेकर जबकि ११ प्रतिशत श्रमिक परिवार के अन्य सदस्यों की आय पर ही आश्रित रहते हैं। कुछ श्रमिक अपने आभुषण, बर्तन आदि गिरवी रखकर कार्य चलाते हैं। जबकि कुछ श्रमिक होटल पर कार्य करके आजीविका के लिए बाध्य होते है।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष के रूप में कहां जा सकता है कि असंगठित श्रमिकों में रोजगार की स्थिती संतोषजनक नहीं हैं। तथा इस वर्ग के श्रमिकों के रोजगार के नियमितता हेतु शासन को सघन प्रयास करना चाहिए ।

बेकारी के दिनों में श्रमिकों का जीवनयापन दर्शक रेखाचित्र

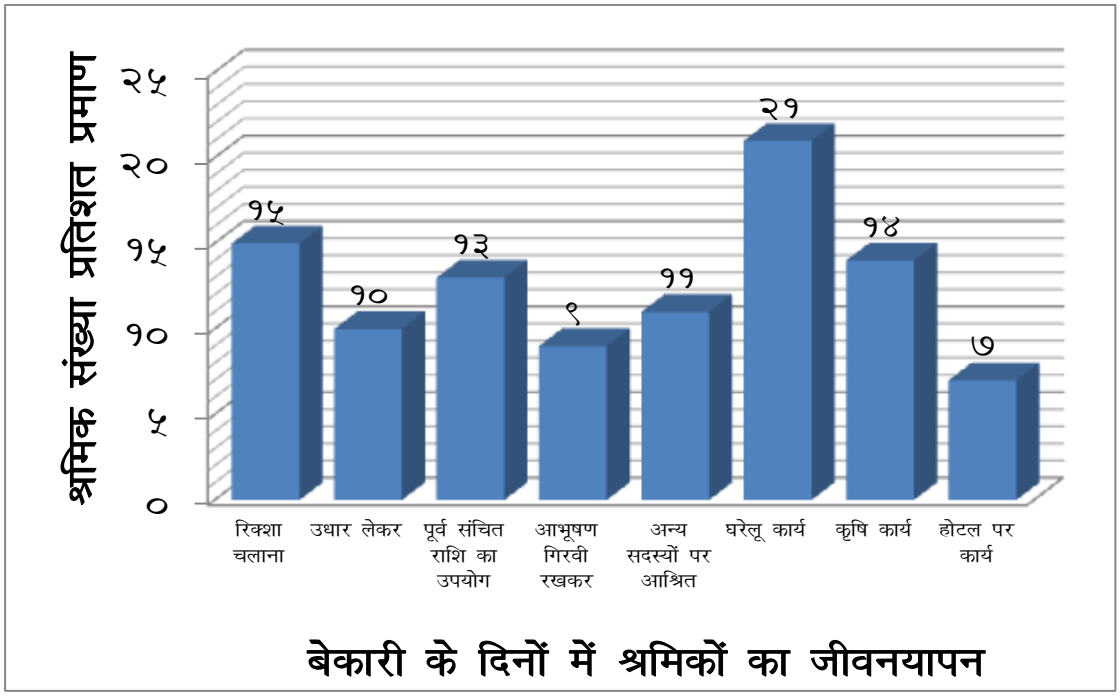

ब) श्रमिकों के उपभोग पर मासिक व्यय वितरण :

श्रमिकों के आय में से मासिक व्यय के आधार पर वर्गीकरण :

श्रमिक अपनी मासिक आय में से कितनी राशि जीवन आवश्यक मदों पर महिने में व्यय करता है। इस तथ्य का पता लगाने का कार्य संशोधन कर्ता ने प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन में शामिल किया है। श्रमिकों ने कहा कि वे अपनी आय को विभिन्न मुद्दों पर असमान अनुपात में व्यय करते है। जैसे रोटी, कपडा, मकान एवं अन्य

तालिका ५.२

श्रमिकों की आय में से मासिक व्यय दर्शानेवाली तालिका

मासिक व्यय (रूपयों में)	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
६००० – ६५००	७०	२८ %
६५०० – ७०००	१०	०४ %
७००० – ७५००	६०	२४ %
७५०० – ८०००	२५	१० %
८००० – ८५००	२५	१० %
८५०० – ९०००	६०	२४ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है। कि चुने गये श्रमिकों में से २८ प्रतिशत श्रमिक प्रतिमाह ६०००-६५०० रू, ०४ प्रतिशत श्रमिक ६५००-७००० रू, २४ प्रतिशत श्रमिक ७०००-७५०० रू, १० प्रतिशत श्रमिक ७५००-८००० रू, १० प्रतिशत श्रमिक ८०००-८५०० रू, तथा २४ प्रतिशत श्रमिक ८५००-९००० रू. प्रतिमाह व्यय करते है।

निष्कर्ष :

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश श्रमिक महगाई की दर से मासिक आय का ९० प्रतिशत हिस्सा आवश्यक मदों पर व्यय कर देते है। जिससे आय की बचत करना संभव नही होता।

श्रमिकों की आय में से मासिक व्यय के आधार पर वर्गीकरण दर्शक रेखाचित्र

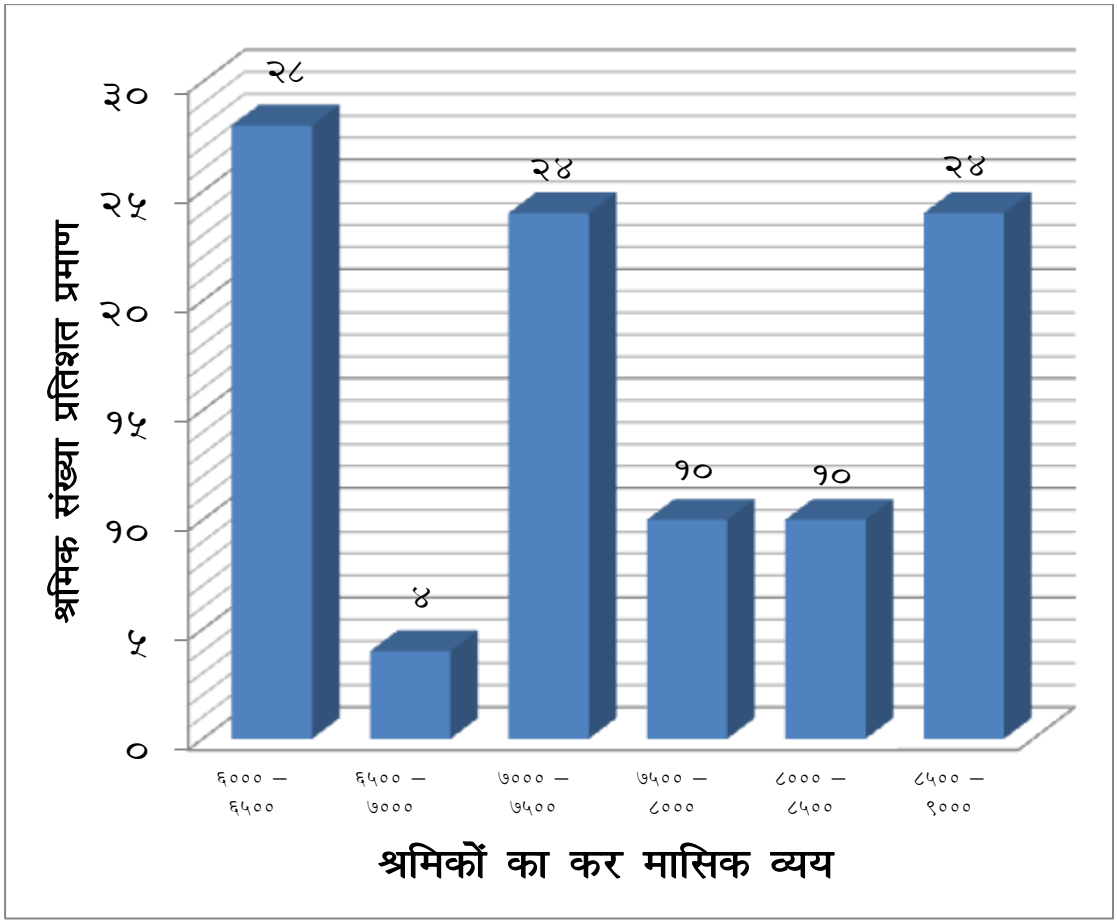

क) श्रमिकों की ऋणग्रस्तता :

श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के आधार पर वर्गीकरण :

श्रमिकों के आर्थिक जीवन की एक बहुत ही उल्लेखनीय विशेषता उनमें व्याप्त व्यापक ऋणग्रस्तता का पाया जाना है। जिसने श्रमिक वर्ग के रहन सहन के स्तरों को ज्यादा गिराया है। श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के बहुत से कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी आकस्मिक खर्च को

पुरा करने के लिए श्रमिकों के पास कुछ नहीं बचता। कभी वे बीमार पड जाते है या थोडे समय के लिए बेकार हो जाते है। या किसी दुसरी आपत्ति के समय वे ऋण लेने को मजबूर हो जाते है और इस तरह वे हमेशा के लिए ऋण मे जकड जाते है। दुसरा कारण श्रमिकों का प्रवासी स्वभाव जैसे विवाह, मृत्यु, आदि मौके पर खर्च होना है। इसलिए इसे अध्ययन में शामिल किया गया है।

तालिका ५.३

श्रमिकों की ऋणग्रस्तता दर्शक तालिका

ऋणग्रस्तता	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
ऋण लेते है	२१३	८५ %
ऋण नही लेते है	३७	१५ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश ८५ प्रतिशत श्रमिक ऋण लेते है तथा १५ प्रतिशत श्रमिक ऋण नही लेतेहै।

निष्कर्ष :

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रमिकों का काम बगैर ऋण लिऐ नही चलता है।

श्रमिकों की ऋणग्रस्तता दर्शक रेखाचित्र

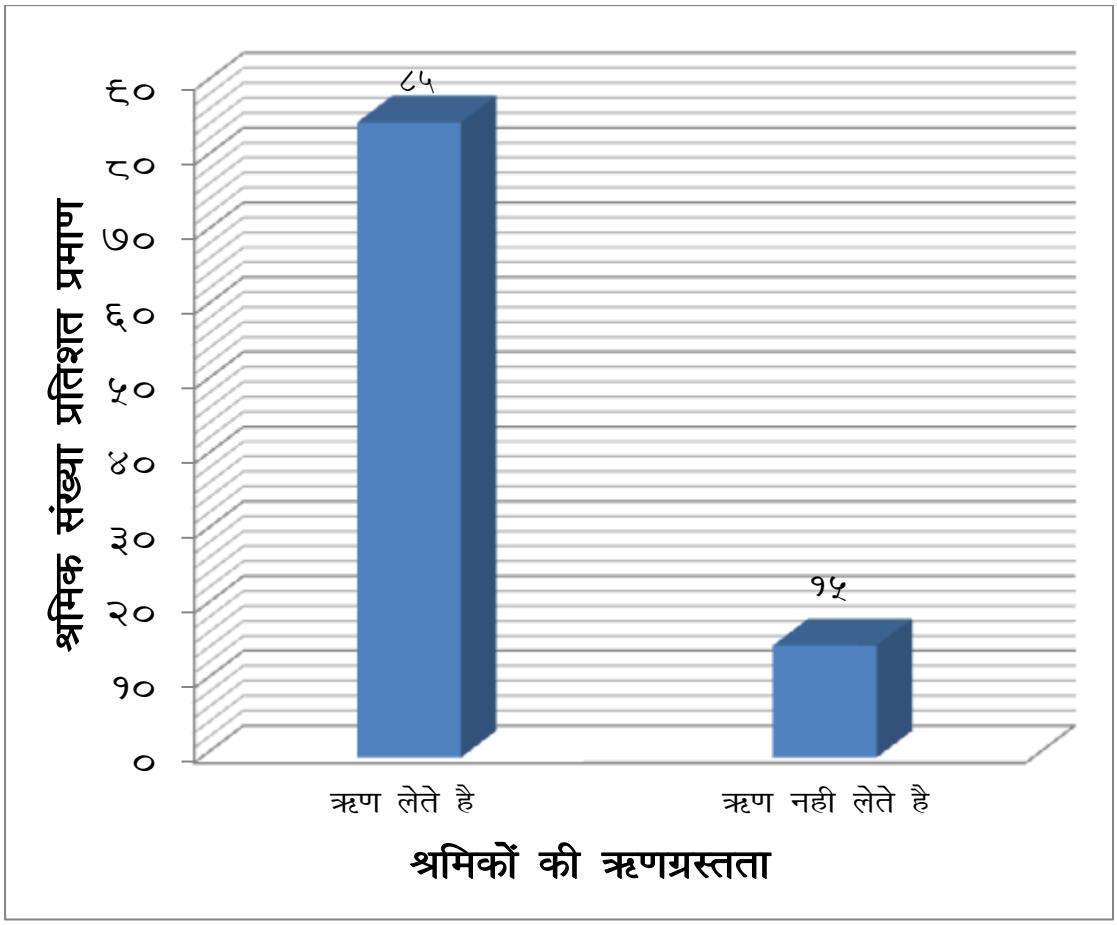

श्रमिकों व्दारा बचत के आधार पर वर्गीकरण :

कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों कों पूरा करने के उददे्श से बचत करने का सोचता है। ताकि भविष्य में कोई भी अनहोनी घटना होने पर बचत में से व्यय की पूर्ति कुछ हद तक करने में अपने आपको सक्षम पा सके। परन्तु श्रमिकों में बुरी आदतों, अशिक्षा एंव आवश्यक व्यय का आकार बडा होने से वे अपनी आय में से उचित बचत नही कर पाते है। परिणाम स्वरूप उन्हें ऋण का सहारा अपनाने को मजबूर होना पडता है। जिस से वे स्थानिय सावकारों के चगुंल में फंस जाते है। इस बात का अध्ययन करने के लिए संशोधनकर्ता ते बचत प्रवृत्ति के बारे में श्रमिकों से जानने का प्रयास किया है।

तालिका ५.४

बचत प्रवृत्ति दर्शक तालिका

बचत प्रवृत्ति	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
बचत करते है	४५	१८ %
बचत नही करते है	२०५	८२ %
योग	२५०	१००

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है। कि तथा ८२ प्रतिशत श्रमिक बचत नहीं करते है।

निष्कर्ष :

इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि चुने गये श्रमिकों में बचत करने कि प्रवृत्ति एंव जागरूकता नहीं है।

बचत प्रवृत्ति दर्शक रेखाचित्र

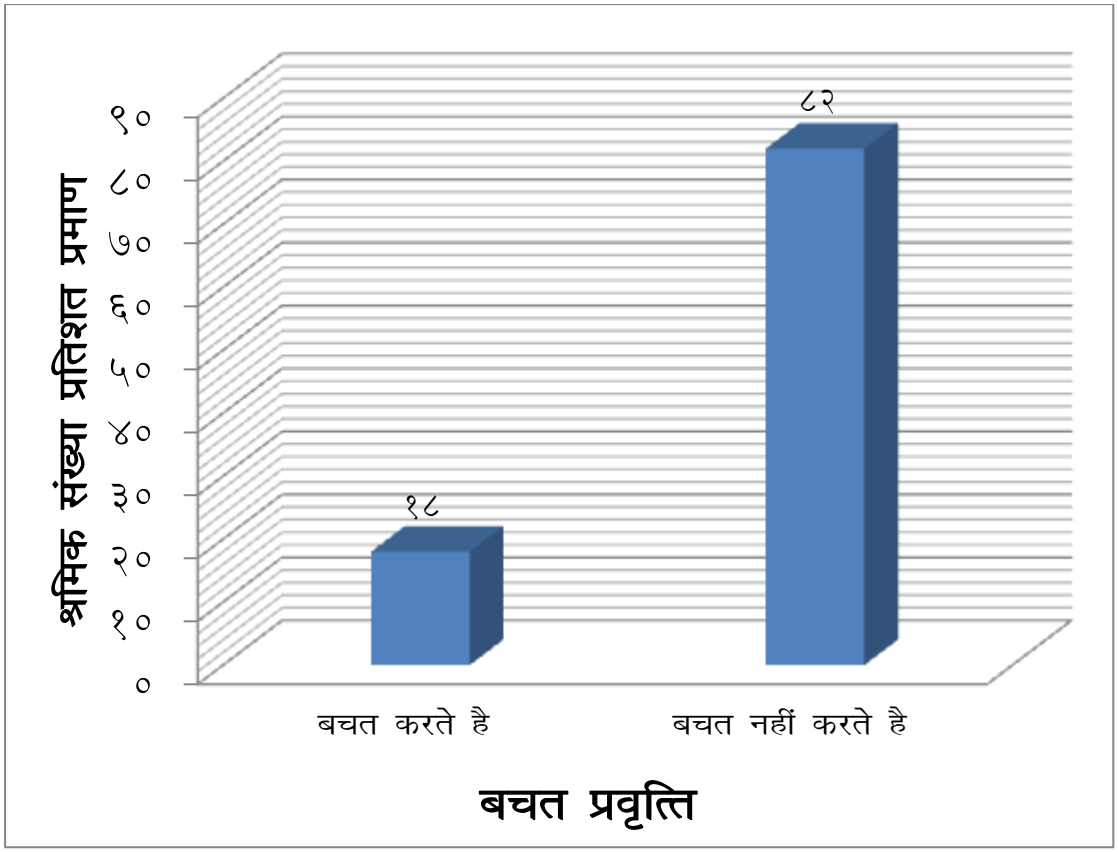

अध्याय – ६

सामाजिक सुरक्षा

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

अ) आवास के उपलब्ध साधन

ब) सुरक्षा बीमा की व्यवस्था

क) दावों का निपटारा

ड) हितों की रक्षा

अध्याय – ६

सामाजिक सुरक्षा

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

अ) आवास के उपलब्ध साधन :

आवास संबंधी समस्या :

आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यताओं मे से एक है। मनुष्य ही नहीं जानवरों के लिये भी किसी न किसी प्रकार के आवास की आवश्यकता होती है किन्तु मनुष्य को आवास के साथ ही उसमें कुछ सुविधाओं का होना भी अपेक्षित है। यदि आवास सुविधाजनक होता है तो वहॉ मनुष्य की मानसिक स्थिती ठीक रहती है वहीं उसकी कार्यक्षमता पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पडता है।

आवास समस्या के महत्व को बताये हुए श्री अग्रवाल ने लिखा है कि “अच्छे आवासों का मतलब घरेलु जीवन आनंद एवं स्वास्थ की संभावना से है। बुरेघर, गंदगी, नशा, बीमारी, तथा अपराध को जन्म देते है। और अंत में अस्पतालों, जेलखानों तथा पागलखानों की स्थापना जरूरी बनाते हैं। जिनमें हम मानवीय परित्यक्तों का जो अक्सर समाज की अपनी अपेक्षा का परिणाम होते हैं छिपाने का प्रयत्न करते है।

वास्तव में अच्छी आवास व्यवस्था के महत्व को प्रायः सभी ने स्वीकार किया। अच्छी आवास व्यवस्था के अन्तर्गत मकान के अंदर तथा बाहर की स्वच्छता तथा वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मकान खुले हवादार सभी सुविधाओं से युक्त एवं स्वच्छ वातावरण में बने होते है तो उससे श्रमिक की कार्यक्षमता में अनिवार्य रूप से वृध्दि होती है। किन्तु अनुपयुक्त मकान की स्थिती में श्रमिक में असंतोष का वातावरण निर्मित होता है साथ ही उसकी कार्यक्षमता के उपर भी बुरा असर पडता है। श्रम परिवर्तन

अनुपस्थिति तथा अनुशासन हीनता की घटनाओं में भी वृध्दि होने लगती है। साथ ही श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। जिसका कि मृत्यु दर पर भी असर पडता है।

हमारे देश में औद्योगिकरण में वृध्दि के साथ ही आवास व्यवस्था का भी महत्व बढता चला जा रहा हैं तथा संगठित क्षेत्र में आवास की स्थिती को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु असंगठित क्षेत्रों की स्थिती अत्यंत दयनीय हैं। क्योंकि नियोक्ता व्दारा उन्हें आवास संबंधी सुविधायें नहीं दी जाती। परिणामतः उन्हें स्वयं ही उसकी व्यवस्था करनी होती है। वही दुसरी ओर उन्हें सभ्य नागरिक जीवन की सुविधाओं के अभाव में तथा मकानों की स्थिती को देखते हुए, यदि यह कहा जाये कि इस क्षेत्र के श्रमिकों को गंदी बस्तियों की शाखा में जाना पडता है तो कथन अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा। इस संदर्भ में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने अपनी रिपोर्ट में जो बातआज से लगभग ५० वर्ष पूर्ण कही थी वह आज भी सत्य है कि श्रमिकों को कैसे आवासों में रहना पडता है। अधिकांश मकान बिना नींव खिडकिंयों, पर्याप्त हवा की सुविधा के बनाए जाते है। उनमें अक्सर एक छोटा कमरा होता है, एक ही दरवाजा होता है जो छोंटा होता है जिसमें से घुसने के लिये उन्हे बहुत निचे झुकना पडता है। कमरें में व्यवस्था हेतु पुराने टिन तथा टाट उपयोग में लाये जाते हैं जो कमरे को और अधिक अंधकारमय बना देते है तथा हवा को रोकते हैं। श्रमिक इस प्रकार के मकानों में जन्म लेते हैं, सोते हैं, खाते है, जीवित रहते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

---

१. भारत सरकार - रायल कमीशन ऑफ लेबर प्रतिवेदन, १९२९, एस.सी. , पृष्ठ- २७१-७२

२. एस.सी.अग्रवाल : भारत में औद्योंगिक आवास व्यवस्था, पृष्ठ - ४४

नागपूर शहर में चुने गयें श्रमिकों की आवास व्यवस्था :

प्रस्तुत अध्ययन हेतु चुने गये हुए श्रमिकों की आवास समस्या का जहां तक प्रश्न है, स्थिती संपूर्ण देश की असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों से भिन्न नहीं है कुल चुने गये श्रमिकों में से आधे श्रमिकों के पास स्वयं के मकान है शेष श्रमिकों को किराये के मकान मे रहना पडता है।इस तथ्य को तालिका ६.१ में बताया गया है।

तालिका ६.१

चुने गये श्रमिकों की आवास स्थिती दर्शक तालिका

मकान का स्वाभित्व	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
स्वयं का (झुग्गी झोपड्डी)	१३३	५३ %
किराये का	८२	३३ %
सरकारी भूमि पर (अतिक्रमण)	३५	१४ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका ६.१ से स्पष्ट है कि चुने गये श्रमिकों में से ५३ प्रतिशत श्रमिकों के पास स्वंय के मकान उपलब्ध है। ७ प्रतिशत परिवारों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके मकान बना रखे है। किन्तु मकानों के संदर्भ में वास्तविक स्थिती का ज्ञान केवल मकानों के स्वामित्व के आधार पर ही नहीं हो सकता, वास्तव में मकानों के स्वरूप के आधार पर ही आवास की समस्या का पता आसानी से लग सकता है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश श्रमिक परिवार कार्यस्थल पर या निकट की झुग्गी झोपड्डी में निवासीत है जहां मुलभुत सुविधायें बिल्कुल नही हैं।

चुने गये श्रमिकों की आवास स्थिती दर्शक रेखाचित्र

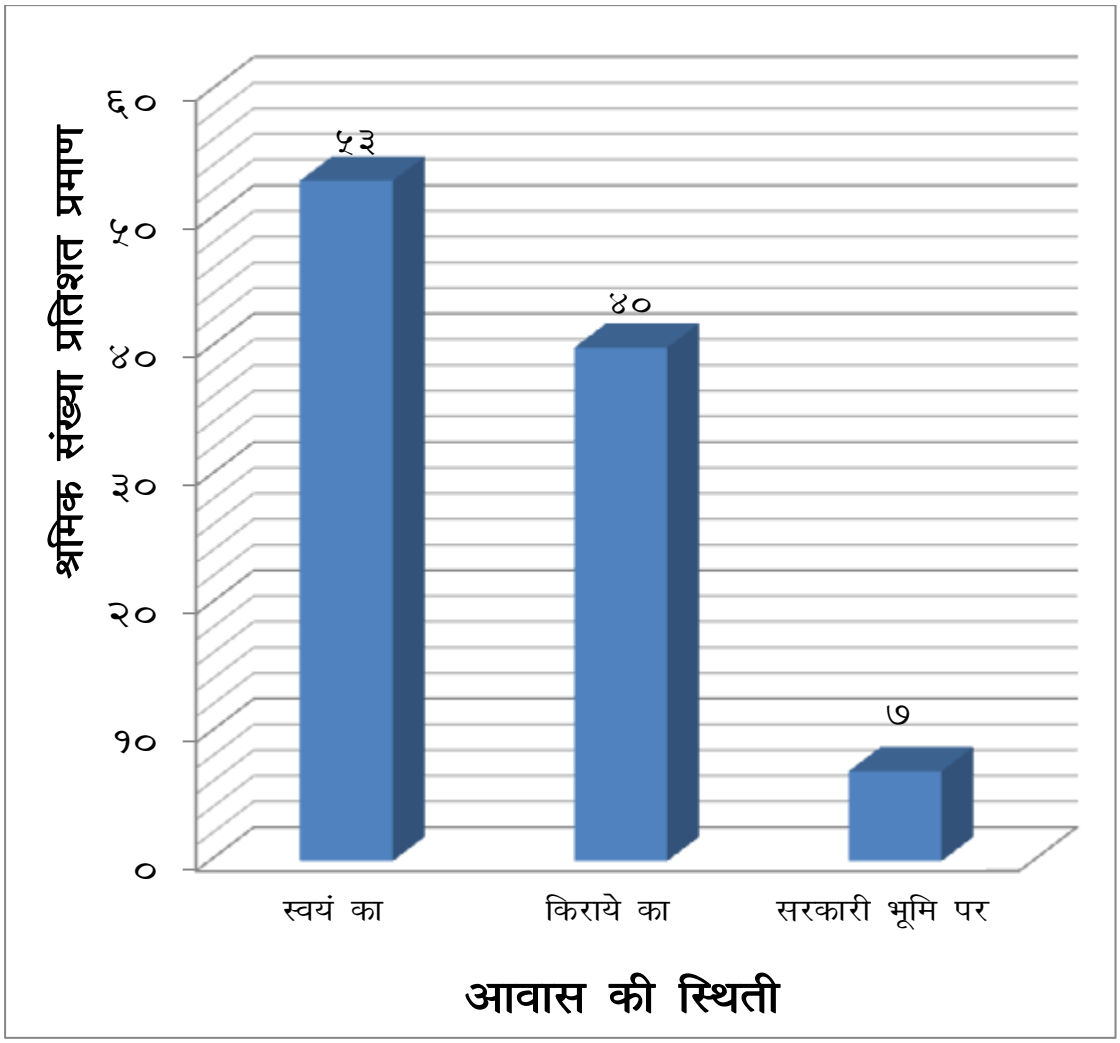

तालिका ६.२

श्रमिकों के आवासो के स्वरूप दर्शक तालिका

आवास का स्वरूप	श्रमिक परिवारों की संख्या	प्रतिशत (%)
पक्का	०५	०२ %
कच्चा	२२०	८८ %
झोपडी	२५	१० %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका ६.२ से स्पष्ट है कि अधिकांश श्रमिक परिवारों के मकान कच्चे अथवा झोपडी के रूप में है। वास्तव में इन्हें हंम एक आवास की श्रेणी में नही रख सकते। अधिकांश मकानों की हालत देखकर यह कल्पना करना कठिन होता है कि व्यक्ति कैसे इन मकानों में निवास करते होंगे।

निष्कर्ष :

उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश श्रमिक परिवार कच्ची झोपड्डी में रहने को मजबुर है।

श्रमिकों के आवासों का स्वरूप दर्शक रेखाचित्र

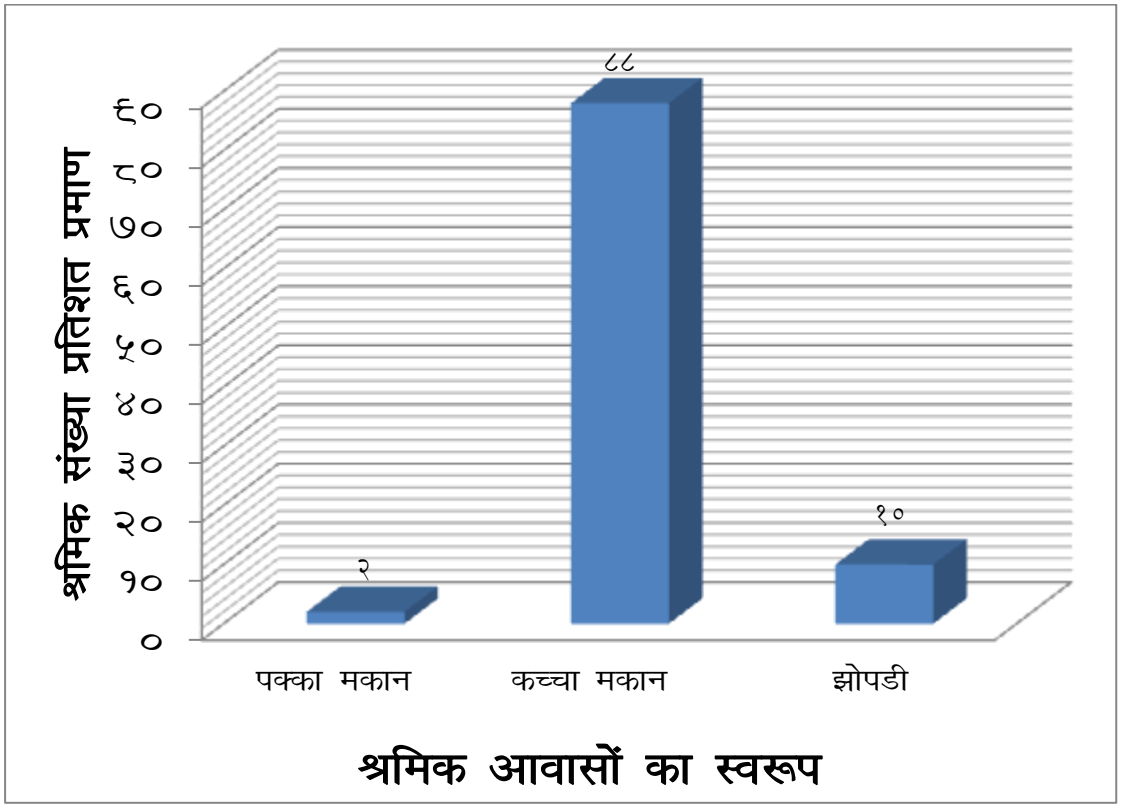

ब) सुरक्षा बीमा की व्यवस्था :

सामाजिक बीमा व्यापारिक बीमा से मूल रूप से अलग है। सामाजिक बीमा का प्रेरणा देने वाला उद्देश्य न्यूनतम जीवन-स्तर बनाये

रखना है, किन्तु व्यापारिक बीमा की दशा में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। यही नहीं जबकि व्यापारिक बीमा एक व्यक्ति के जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा की व्यवस्था करता है, सामाजिक बीमा अलग-अलग स्वभाव और तीव्रता वाली मुसीबतों के खिलाफ व्यवस्था के लिए है। इसके अलावा सामाजिक बिमा में लाभ पाने वालो को मिलने वाले लाभ उनके चन्दे की रकम से, जो इस उद्देश के लिए बनाये गऐ कोष में पडती हैं, कही ज्यादा बडे होते हैं, किन्तु व्यापारिक बीमा में पालिसी लाभ चूकाये गये प्रीमियम के मुताबिक होते हैं। फिर सामाजिक बीमा आमतौर से अनिवार्य होता है, किन्तु व्यापारिक बीमा आवश्यक रूप से ऐच्छिक है।

बीमा का तत्व वह ढंग है जो सहायता के ढंग से अलग है। यह बात बीमाशुदा व्यक्ति व्दारा एक हिस्सा या पूरा प्रीमियम के वास्तविक भुगतान करने में पायी जाती है। प्रीमियम के भुगतान के रूप में बीमाशुदा व्यक्ति आगे चलकर एक अनिश्चित बडे नुकसान को बर्दाश्त करता है। बीमाशुदा व्यक्ति का अंशदान इस स्तर पर रखा जाता है कि वह उसकी भुगतान क्षमता से ज्यादा न हो। सामाजिक बीमा योजनाओं को खासतौर से आधुनिक समय में समाज के कुछ खास वर्गो के सम्बन्ध में लागू होने के लिए के लिए अनिवार्य बना दिया गया है जिसके बहुत से लाभ होते हैं। योजना का जरूरी होना सामाजिक उत्थान को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। यह तकनीकी भाषा में प्रतिकूल चुनाव कही जाने वाली बुराई को रोकती है। यदि एक सामाजिक बीमा योजना ऐच्छिक रखी जाती है तो ऐसे लोग ही, जिनके बीमार पडने की ज्यादा आशा है ऐसा करने के लिए जायेंगे और इस वर्ग के सम्बन्ध में जो बहुत ज्यादा बीमारी लाभ चुकाया जायेगा उससे यह योजना ही बेकार और अव्यावहारिक हो जायेगी। योजना को जरूरी बना देने से यह कठिनाई बच जायेगी। योजना को जरूरी करना इसलिए भी जरूरी होता है जिससे श्रमिक के परिवार को स्वयं उसमें दुरदर्शिता न होने के खिलाफ संरक्षण मिल सके। सामाजिक बीमा की योजनाओं का कम-से-कम खर्च का पूरा या आंशिक नियन्त्रण दिये गये विभिन्न लाभ निश्चित सीमाओं के अन्दर रखे जाते है।

जिसमें कि लाभ पाने वालों को आय की आंशिक या पूरे नुकसान की अवधि में न्यूनतम स्तर पर जीवन बिताने की सुविधा रहे।

सामाजिक बीमा का एक विस्तृत स्वरूप सामान्य सामाजिक देखभाल के रूप में देखा जा सकता है। इस स्वरूप के अन्दर वाले लक्षण हैं कि इसके अन्तर्गत लागू की गयी योजनाओं में जो सहायता मुसीबत या असुरक्षा को दूर करने या उसके हरजाने के लिए दी जाती है उसके लिए वित्त-व्यवस्था राज्य के सामान्य कोषों व्दारा मिलती है और इसके लिए किसी को निश्चित बीमा की कोई किश्त नहीं देना पडेगी। सामान्य देखभाल का एक दुसरा विस्तृत स्वरूप, जिसका उदाहरण रूस में देखने को मिलता है, समाजवादी देखभाल या जिम्मेदारी है जिसका लंक्षण हर नागरिक को ऐसे मूल अधिकार दिया जाना है जिनसे तरह-तरह की मुसीबतों या असुरक्षा का सामना किया जा सके, जैसे रोजगार का अधिकार, स्वास्थ सम्बन्धी देखभाल, शिक्षा, बुढापे के लिए पेंशन, समान कार्य के लिए समान मजदूरी या वेतन तथा सामाजिक, राजनितिक एवं आर्थिक क्षेत्र में बराबरी के मौके दिया जाना।

क) दावो का निपटारा :

क्षतिपूर्ति की दर निम्न प्रकार है।

		न्यूनतम	**अधिकतम**
मृत्यू स्थायी असमर्थता	}	८०,००० रूपये ९०,००० रूपये	४,५६,००० रूपये ५,४८,००० रूपये
अस्थायी असमर्थता	}	५ वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए मजदूरी का ५० प्रतिशत	

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

क्षतिपूर्ति की यही दर कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अन्तर्गत लागू है

१. **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम :** इसके अन्तर्गत अनिवार्य भविष्य निधि, पारिवारीक पेन्शन तथा जमा से सम्बध्द बीमा का प्रावधान है।

२. **प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम :** शिशु के जन्म के पूर्व तथा पश्चात् १२ सप्ताह तक अनुपस्थिति की स्थिति में मजदूरी का भुगतान यह उन पर लागू नहीं होता है जो राज्य बीमा के अन्तर्गत आते हैं।

३. **उपदान अधिनियम :** सेवा निवृत्ति पर अनुग्रह राशि का भुगतान।

नीचे इनकी विस्तार के विवेचना की गयी है।

ड) हितों की रक्षा :

१. कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, १९९३ यह एक्ट १ जुलाई, १९२४ से लागू हुआ और संशोधित किया गया है। इन संशोधन का उद्देश एक्ट के सीमा क्षेत्र को बढाना व व्यवस्था को ज्यादा उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाना रहा है। इस एक्ट के अधीन श्रमिक हरजाने की व्यवस्था किसी रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण श्रमिक की मृत्यु या असमर्थता की मुसीबत को दूर करने के लिए की गयी है तथा इसका खर्चा सिर्फ सेवायोजक को उठाना पडता है। इस तरह यह व्यवस्था औद्योगिक दुर्घटनाओं में श्रमिक के संरक्षण के लिए, सेवायोजक के दायित्व के सिध्दान्त का प्रतिपादन करती है। इसके अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का अधिकार किसी श्रमिक को उसी समय होता है जब कोई दुर्घटना या रोग हुआ हो तथा यह दुर्घटना या रोग काम के अन्तर्गत और काम के दौरान हुआ हो। यह एक्ट आगे बतायी गयी दशाओं में लागू होता है।

दसवी योजना के दौरान श्रमिक बल १५-१९ वर्ष में २.४१ प्रतिशत के आधार पर वृध्दि होने का अनुमान लगाया गया है। इस योजना में श्रमिक बल में ३५.२९ मिलीयन की वृध्दि हो जाएगी। इसके साथ ही कामकाजी आयु वर्ग १५ वर्ष में २.५७ प्रतिशत वार्षिक वृध्दि के साथ इस आयु वर्ग में ५५.२५ मिलियन की वृध्दि हो जाएगी जिनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इस समस्या के समाधान हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कषि एवं सम्बध्द कार्यलाप में ३.५५ मिलियन, कृषि वानिकी में ३.५० मिलियन, बायोमास विद्युत उत्पादन के लिए उर्जा वागान में २.०१ मिलियन, ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं मझोले उद्योगों में ७.०६ मिलियन, शिक्षा एवं साक्षरता क्षेत्र में १.७० मिलियन, सूचना एवं संचार क्षेत्र में ०.७० मिलियन तथा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण संवाओं मे ०.८० मिलियन रोजगार सृजन की व्यवस्था किए जाने का अनुमान है। इस तरह इन क्षेत्रों में दसवीं योजनाकाल में कुल १९.३२ मिलियन रोजगार सृजित किए जाने योजना है। इसके अतिरिक्त अन्य सभाव्य क्षेत्रों में रोजगार सृजित किए जाने का कार्य हुआ है।

इस तरह जिन क्षेत्रों में श्रम-सोखने की क्षमता अधिक है, बेरोजगारी दूर करने के लिए उन क्षेत्रों के विस्तार पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कृषि में बेकारी और कम-रोजगार की समस्या को भारतीय कृषि के पुनर्गठन की विभिन्न योजनाओं व्दारा तथा भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों की स्थापना व्दारा हल किया जा सकता है। औद्योगिक बेकारी के लिए उपाय औद्योगिक कुशलता में वृध्दि तथा देश की समस्या स्वयं पूंजी-निर्माण-बचत एवं विनियोग-के साथ जुडी हुई है। मोसमी बेरोजगारी को विभिन्न व्यवसायों को मिलाकर तथा रोजगार के अवसरों को साल भर के लिए फैलाकर हल किया जा सकता है। देश में लोगों की काम करने की योजना को बढाने या काम न पाने के लिए जिम्मेदार अयोग्यता को घटाने व दूर करने के लिए सरकार सही दिशा में काफी प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए कदम उठा सकती है। बेकारी की अवधि

में कठिनाइयों को कम करने के लिए बेकारी सहायता एवं बेकारी बीमा दोनों ही तरह की योजनाएं चलायी जा सकती हैं। बेकारी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रोजगार केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिसमें श्रमिकों की मांग और पूर्ति में साम्य या बराबरी लायी जा सके तथा सरकारी या आकस्मिक श्रम की बुराईयां कम से कम हो सके। व्यापार चक्रों से पैदा होने वाले दोषों को सरकारी उपायों से रोका जा सकता है। श्रमिकों की मांग को सभी सम्बन्धित व्यवसायों पर, उद्योग को थोडे समय के लिए चलाकर या श्रमिकों की पारियों की अवधियों को कम करके, फैलाया जा सकता है। सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों व्दारा भी श्रमिकों की मांग बढायी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे निर्माणें में लगे हुए व्यक्तियों को रोजगार मिलने पर ये कार्यक्रम इन श्रमिकों की ओर से वस्तुओं के लिए मांग पैदा करके प्राइवेट साहसियों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए व्यापक नियोजन और देखभाल की जरूरत है। शिक्षितों की बेरोजगारी की समस्या को शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन व्दारा हल किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत तकनीकी एवं व्यावसायिक अध्ययनों पर खास जोर देना चाहिए।

संदर्भ : डॉ.टी.एन.भगोलिवाल श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक संबंध, आगरा, २००७ , भारतीय अर्थव्यवस्था, रूद्रदत्त, के.पी.एम. सुन्दरम् – २०१०

अध्याय – ७

श्रमिकों की शिक्षा

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

अ) शिक्षा के साधन

ब) प्रशिक्षण की सुविधा

क) सरकार एंव मालिकों से शिक्षा व्यवस्था के लिए सहायता

अध्याय – ७

श्रमिकों की शिक्षा

(तथ्यो का संकलन, सारणीयन एंव विश्लेषण)

अ) शिक्षा के साधन :

श्रमिकों की शिक्षा के संबंध में अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण :

किसी भी प्रकार की शिक्षा से व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आंकलन शक्ति में वृध्दि होती है जिससे वह श्रमिक जो कार्य कर रहा है उसे वह सही और उचित ढंग से पुरा कर सकता है। अशिक्षा का परिणाम उसके कार्य एंव परिवार पर विपरित प्रभाव डालता है। इसमें भवन निर्माण उद्योंग समुहों का भी कर्तव्य रहता है कि वे उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करे ताकि उनके कार्य पर भी अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड सके जिससे नुकसान से बचा जा सके।

तालिका ७.१

श्रमिकों व्दारा प्राप्त शिक्षा दर्शक तालिका

शिक्षा का स्तर	श्रमिक की संख्या	प्रतिशत (%)
अशिक्षित	५०	२० %
प्राथमिक	१००	४० %
माध्यमिक	६०	२४ %
मॅट्रिक	३०	१२ %
स्नातक	१०	०४ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका से यह स्पष्ट होता है २० प्रतिशत, अशिक्षित ४० प्रतिशत, प्राथमिक २४ प्रतिशत, माध्यमिक १२ प्रतिशत , मॅट्रीक तथा ४ प्रतिशत स्नातक तक की शिक्षा पाये है।

निष्कर्ष :

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ६० प्रतिशत श्रमिक बहुत हि कम शिक्षा प्राप्त कर पायें है और अशिक्षित होंने से वे अपने कार्य में कुशलता प्राप्त करने में असफल रहते हैं। ऐसा ध्यान में आया।

श्रमिकों में शिक्षा की स्थिती दर्शक रेखाचित्र

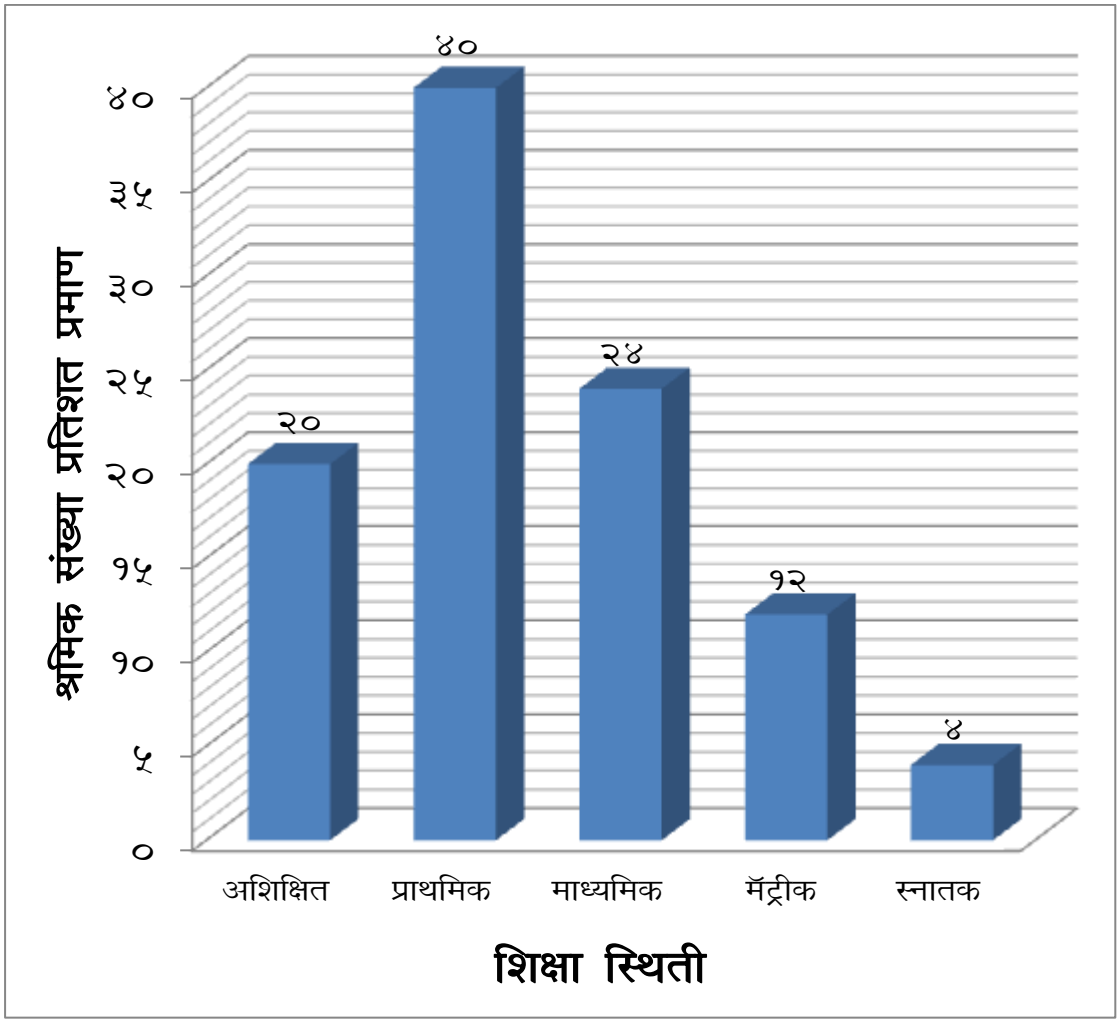

श्रमिकों में शिक्षा का महत्व के आधार पर वर्गीकरण :

आधुनिक युग में शिक्षा के महत्व को ध्यान में लेते हुएं सरकार इस दिशा में अव्यक प्रयास कर रही है उसके लिए अनेक माध्यम उपलब्ध कराये गये है जैसे पाठशाला, रेडीओ, टि.व्ही, सांध्यकालिन पाठशाला, प्रौढ शिक्षा केंन्द्र, संगणक शिक्षा की सुविधा परन्तु फिर भी हमारे देश में साक्षरता का अनुपात समाधानकारक है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अध्ययन के दौरान इस बात का ज्ञान प्राप्त करने की कुतुहलता ने अध्ययन के लिए प्रेरित किया।

तालिका ७.२

शिक्षा का महत्व दर्शक तालिका

शिक्षा का महत्व	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
महत्व देने वाले	५८	२३ %
महत्व न देने वाले	१६२	६५ %
शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ	३०	१२ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

उपरोक्त तालिक से स्पष्ट होता है कि २३ प्रतिशत श्रमिकों ने शिक्षा को महत्व दिया है, ६५ प्रतिशत श्रमिकक शिक्षा को महत्व नही देते हैं एवं १२ प्रतिशत श्रमिक शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ पाये गये।

निष्कर्ष :

वह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश श्रमिक यह मन से नही चाहते है कि शिक्षा का जीवन में अत्यत महत्व है जिससे जीवन में अनेक परिवर्तन आते है तथा व्यक्तित्व निखरता है, जीवनस्तर उँचा उठता है।

शिक्षा का महत्व दर्शक रेखाचित्र

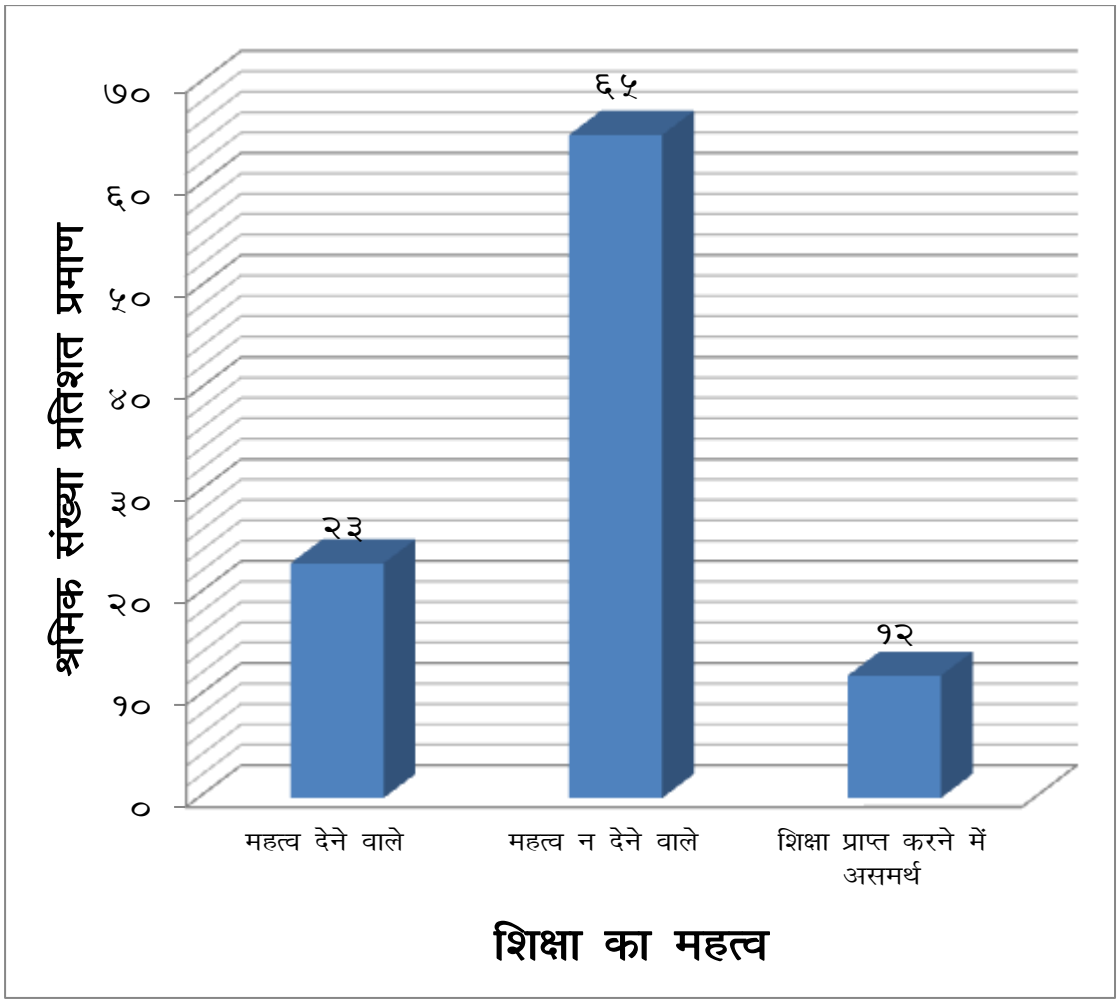

ब)प्रशिक्षण की सुविधा :

श्रमिकों व्दारा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर वर्गीकरण :

किसी भी काम का महत्व यह उस काम के गुणों से मालुम होता है क्योकि किसी कर्मचारी को किसी विशिष्ट कार्य को करने के योग्य बनाने की प्रक्रिया ही प्रशिक्षण है अन्य शब्दो में प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रियां है जिसके माध्यम से व्यक्ति कि योग्यता, कार्यक्षमता तथा निपुणता में वृध्दि की जाती हैं उसी प्रकार भवन निर्माण कार्य में भी गुणात्मक कार्य को विशेष महत्व है इसलिए इस व्यवसाय में कार्यरत श्रमिक प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित इस बात का अध्ययन करने का सन्शोधन कर्ता ने प्रयास किया है।

तालिका ७.३

प्रशिक्षण दर्शक तालिका

प्रशिक्षण	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
प्रशिक्षित	७५	३०%
अप्रशिक्षित	१७५	७०%
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

उपरोक्त तालिका से यह ध्यान में आया कि चुने गये श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिक ७० प्रतिशत अप्रशिक्षित पाये गये एंव सिर्फ ३० प्रतिशत श्रमिक ही अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त कर पाये है।

निष्कर्ष :

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस व्यवसाय में कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नही है।

प्रशिक्षण दर्शक रेखाचित्र

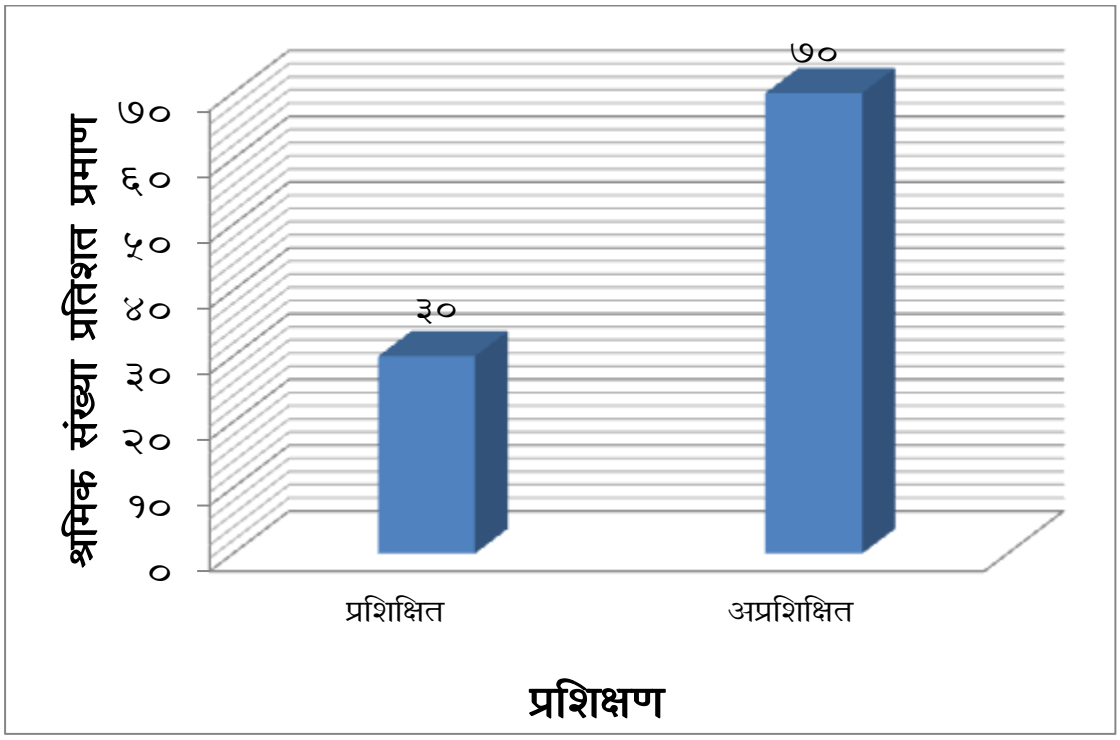

क) सरकार एवं मालिको से शिक्षा व्यवस्था के लिए सहायता :

श्रमिकों की सरकार से अपेक्षा :

प्रत्येक व्यक्ति अपने नियोक्ता अथवा सरकार से कुछ न कुछ अपेक्षा करता है। वर्षो से श्रमिक नियोक्ता को अपने से श्रेष्ठ मानता है। चुने हुये श्रमिकों से जब उनकी नियोक्ता से अपेक्षा के संबंध से पूछा गया तो अधिकांश ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अपने नियोक्ता से कोई अपेक्षा नहीं करते किंतु जब इनसे वही प्रश्न सरकार के संबंध में पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया मिश्रित थी इसे तालिका ७.४ में बताया गया हैं।

तालिका ७.४

श्रमिकों की सरकार से अपेक्षा दर्शक तालिका

सरकार क्या करें	श्रमिक संख्या	प्रतिशत (%)
कीमत नियंत्रण	४०	१६ %
रोजगार के अवसरों का निर्माण	८५	३४ %
आवास व्यवस्था	३२	१३ %
स्वरोजगार हेतु ऋण	८	०३ %
सरकार के प्रति संदेह	१५	०६ %
कोई मत नहीं	७०	२८ %
योग	२५०	१०० %

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण :

तालिका ७.४ से ज्ञात होता है कि चुने गये श्रमिकों में से सर्वाधिक ३४ प्रतिशत श्रमिकों का मत था कि सरकार रोजगार के अवसर

निर्मित करें से कि श्रमिकों को जीवनयापन हेतु यहां वहां न भटकना पडे तथा रूचि एंव योग्यता के विपरीत कोई अन्य कार्य करने को बाध्य होंना पडे।

ऐसे श्रमिकों जो १६ प्रतिशत थे जिनका कि मत था कि सरकार की बढती हुई किमतों पर प्रभावी नियंत्रण करना चाहीए जिससे कि उन्हें जीवनयापन करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पडे। तिसरे क्रम पर आनेवाले १३ प्रतिशत श्रमिकों के मत से सरकार के श्रमिकों एवं गरीब वर्ग के लोंगों के लिये आवास व्यवस्था करना चाहिए। मात्र ३ प्रतिशत श्रमिकों ने स्वरोजगार हेतु सस्ती दर पर ऋण व्यवस्था की अपेक्षा की। जिससे कि वे स्वयं दुकान खोज सकें। ६ प्रतिशत श्रमिक ऐसे थे जिन्होने सरकार के प्रति ही संदेह व्यक्त किया अर्थात् उनके मत में सरकार श्रमिकों का कोई भी मत देने से इंकार कर दिया अर्थात ऐसे श्रमिकों को अपनी वर्तमान स्थिती में ही अपने आपको संतुष्ट रखने को कोई बुराई नहीं देखते।

निष्कर्ष :

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष सरलतापूर्वक निकाला जा सकता है कि भवन निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों की मजदूरियों का स्तर नीचा ही नहीं है बल्कि उनके समक्ष अनेकानेक समस्याएं विद्यमान है। वास्तवमें जब हम विभिन्न समस्याओं की ओर दृष्टिपात करते है कि जब तक इन लोंगों कि आय का स्तर उँचा नहीं उठाया जाता तब तक देश में सामाजिक न्याय पर आधारित समाजवादी समाज की रचना एक अधुरे स्वप्न से अधिक नहीं होंगा चूँकी भवन निर्माण कार्य, जनसंख्या वृध्दी के साथ निरन्तर बढता चला जा रहा है। अतः इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं को शीघ्र ही हल करने केप्रयास करके इस उपेक्षित वर्ग को, राष्ट्रीय धारा के साथ जोडने का प्रयास किया जाय, ताकि हम शोषण मुक्त, गांधीवादी समाज की स्थापना करने में सफल हों सकेंगे। सरकार को इस दृष्टी से एक पृथक कानून का निर्माण करके, उसे कढाई के साथ पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया

तो इस वर्ग के श्रमिकों में एकता, असंतोष सारे विकास प्रयासों को गति देने वाले कार्यक्रमों में बाधक बन सकता है। नैतिकता और न्याय की भी यह मांग है कि इस वर्ग के श्रमिकों की समस्याओं को हल करने हेतु प्रभावशाली एवं ईमानदारी पूर्ण प्रयास किये जायें।

श्रमिकों की सरकार से अपेक्षा दर्शक रेखाचित्र

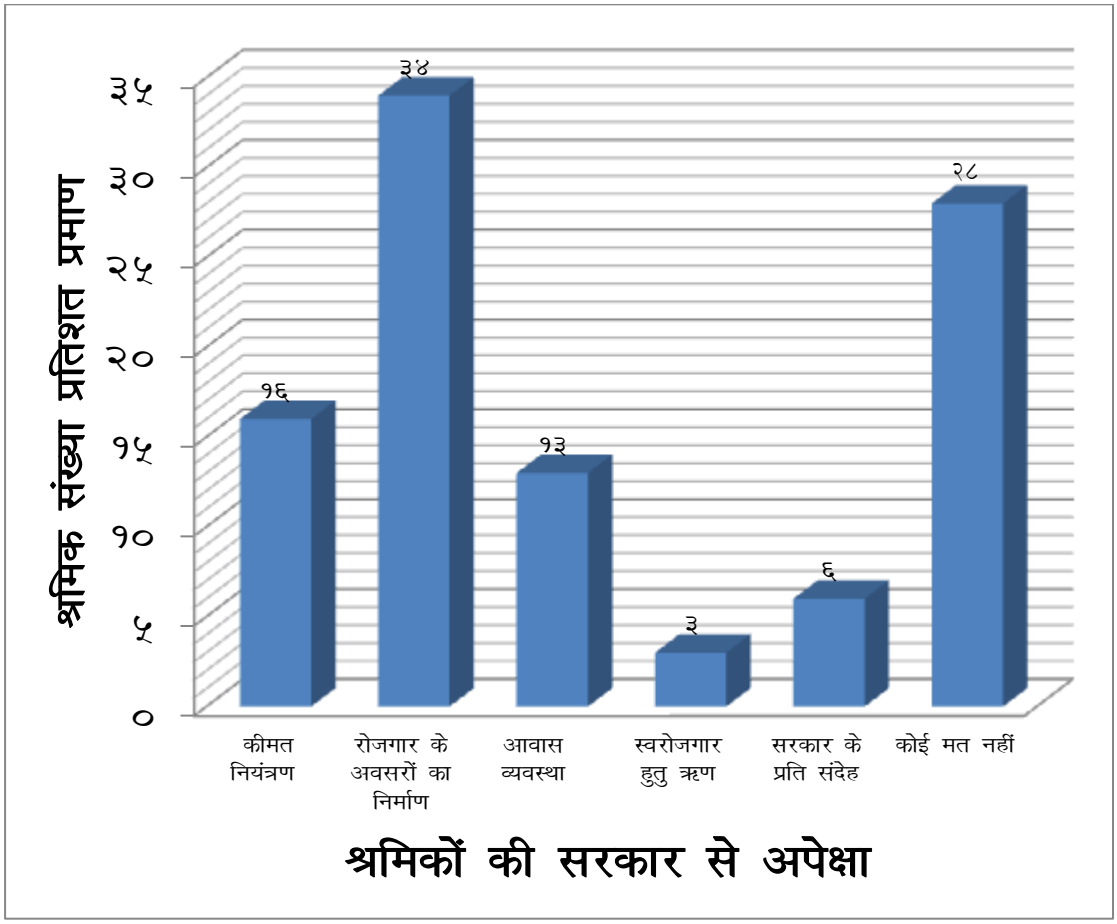

अध्याय - ८

श्रमिक अधिनियम

अ) श्रमिक कानुनों की समीक्षा

ब) श्रम अधिनियम के अंतर्गत मिलनेवाली मुलभुत सुविधाओं का आंकलन

अध्याय - ८

श्रमिक अधिनियम

अ) श्रमिक कानुनों की समिक्षा :

भारत में काम कानूनों को बनाना और प्रशासन संघीय और राज्य सरकारों दोनों की ही जिम्मेदारी है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कानुन बनायें गये है।

१. राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम

२. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम

३. न्युनतम भृति अधिनियम

४. प्रसुती अनुलाभ अधिनियम

५. व्यक्तिगत जोखीम अधिनियम

६. श्रमिक क्षतिपुर्ति अधिनियम

भारत में असंगठित क्षेत्रं में कार्य करनेवाले श्रमिकों के लिए सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से २००५ में सामाजिक सुरक्षा बिल बनाया गया है क्योंकि भारत में ९०.६ प्रतिशत श्रमिक असंघठित क्षेत्र में तथा ९.४ प्रतिशत संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। हमें १९९१ कि जनगणना रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि कुल श्रम बल की संख्या ३१४ मिलीयन है व २८६ मिलीयन मुख्य श्रमिक है जिसमें से २५९ मिलीयन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते है तथा सिर्फ २७ मिलीयन संगठित क्षेत्र में लगे है।

असंगठित क्षेत्र का भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है परन्तु इन असंगठित क्षेत्र के लिए सरकारी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था नही है। असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले कामगार की प्रमुख व

उपश्रेणी के अंतर्गत विभाजित कर उन्हें शहरी, अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक के नाम से जाने लगा है।

भारत में जैसे निर्माणकार्य में कुल १.७ करोड एवं उनका प्रमाण ४.३ प्रतिशत है। असंगठित क्षेत्र मे श्रमिको की अनेक समस्यायें व्याप्त है जैसे श्रमिकों को कम अनुपात में मजदुरी मिलती है एवं भुगतान की भी अनिश्चितता रहती है। उनके काम के घण्टे भी निश्चित नही है कभी-कभी प्रतिदिन १० से १२ घण्टे काम करना पडता है। उन्हे किसी प्रकार की छुट्टीयाँ नहीं मिलती है और काम पर अनुपस्थित रहें तो उस दिन की मजुरी काट ली जाती है। कार्यस्थल पर कोई भी सुविधायें उपलब्ध न रहना, इन श्रमिकों का आर्थिक, शारीरिक एवं लैगिंक शोषण किया जाता है। उन्हें सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित रखा जाता है।

ब) श्रम अधिनियम के अंतर्गत मिलनेवाली मूलभूत सुविधाओं का आकलन :

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ पहुचाने की दृष्टी से केन्द्र सरकार ने अनेक योंजनाओं की सुरूवात की है।

१. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :

इस योंजना को २००६ में प्रारंभ किया गया तथा इस योजनानुसार २००७-०८ में ३.४० करोंड लोंगों को रोजगार दिया गया जबकि सन २००८-०९ में ४.५० करोंड लोंगों को रोजगार दिया गया यह योजना कृषि जंगल, पानी के साधन, जमीन एंव ग्रामिण, रस्ते की योजनाओं से जोडा गया, पहले चरण में ११५ पायलट जिलों का चयन किया गया एवं प्रत्येक श्रमिकों की मजदुरी की दर १०० रूपये निश्चित की गई। यह योजना संपूर्ण जिलों में लागु करके इसके लिए सन २०१०-२०११ में ४०,१०० करोंड रूपये प्रावधान किया गया।

२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योंजना :

प्रत्येक निर्धन लोगों को पेटभर अनाज मिलना आवश्यक है। देश के जों गरीब लोग गरीबी रेखा से निचे अपना जीवनयापण कर रहे प्रत्येक परिवार को या फिर वह ग्रामीण भागों का हों या शहरी भाग में रहता हो प्रतिमाह २५ किलो चावल या ३ रूपये किलो के भाव से गेहु उन्हें उपलब्ध करवायां जायं यह लक्ष्य था। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं अन्तर्गत किये गये उपाय।

असंगठित क्षेत्रो के श्रमिको की संख्याओं एवं उनकी समस्या को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का विधेयक संसद में सन २००७ में पास किया एवं २००८ में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम अमल में लाया गया इस में बुनकर श्रमिक, मच्छिमार, महिला श्रमिक बिडी उद्योग श्रमिक, रिक्षाचालकों का समावेश किया गया इसके लिए नेशनल सोशल सिक्युरिटी फंड की स्थापना की गई और १,००० करोंड रूपयों का प्रावधान किया गया।

केंन्द्र सरकार ने अपने बजट २००८ में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश से निम्नलिखित योजनांओ को प्रस्तावित किया।

१. आम आदमी बीमा योंजना

२. राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना

३. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्द पेन्शन योजना

४. नयी पेन्शन योंजना

भारत मे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा एवं उन्हें अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का वर्तमान में सामना करना पड रहा है जिससे उनका जीवनस्तर निम्नस्तरिय हो गया है

जिसका परिणाम विपरित रूप से उनकी कार्यक्षमता एवं उत्पादकता पर दिखाई देता है।

आज भी बडे पैमाने पर देखा जायं तो इस क्षेत्र के श्रमिकों को पुरा लाभ नही मिल पाया है या अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होने से इस योजना से दुर ही है। सामान्य श्रमिकों के जीवनस्तर को ऊचाँ उठाने के लिए सरकारी योजनाओं को उन तक पहुचाना आवश्यक है। लाभार्थीयों तक योजनाओं का लाभ पहुचाने मे भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है इसके लिए उन पर प्रभावशाली नियंत्रण की आवश्यकता है।

श्रम अधिनियमोकी सुची जो केंन्द्र सरकार व्दारा बनाई गयी है।

१. द ट्रेड युनियन ॲक्ट,१९२६

२. द ट्रेड युनियन (अमेन्डमेन्ट) ॲक्ट, २००१

३. द इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेन्ट (स्टँडींग ऑर्डर) ॲक्ट, १९४६

४. द इंडस्ट्रियल डीस्प्युट ॲक्ट, १९४७

५. द पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, १९३६

६. द पेमेंट ऑफ वेजेस (अमेन्डमेन्ट) ॲक्ट, २००५

७. द मिनीमम वेजेस ॲक्ट, १९४८

८. द वकिंग जर्नलिस्ट (फिक्सेसन ऑफ रेंटस् ऑफ वेजेस) ॲक्ट, १९५८

९. द पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट, १९६५

१०. द फॅक्टरीस् ॲक्ट, १९४८

११. द डॉक वर्कर्स (रेग्युलेशन ऑफ एंप्लॉयमेन्ट) ॲक्ट, १९४८

१२. द प्लांटेशन लेबर ॲक्ट, १९५१

१३. द माईन्स ॲक्ट, १९५२

१४. द वर्कींग जर्नलिस्ट ॲन्ड अदर न्युज पेपर एंप्लॉयईस, ॲक्ट, १९५५

१५. द मर्चंट सिर्पींग ॲक्ट, १९५८

१६. द मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कस ॲक्ट, १९६१

१७. द बिडी ॲड सिगार वर्कस ॲक्ट, १९६६

१८. द कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ॲक्ट, १९७०

१९. द मेटरनिटी ॲक्ट, १९६१

२०. द बॉन्डेड लेबर सिस्टम ॲक्ट, १९७६

२१. द चॉईल्ड लेबर ॲक्ट, १९८६

२२. द वर्कस कॉम्पेंनसेशन ॲक्ट, १९२३

२३. द एम्प्लोईस स्टेट इन्शुरन्स ॲक्ट, १९४८

२४. द अनऑर्गनाईज्ड वर्कर्स सोशियल सेक्युरिटी ॲक्ट, २००८

२५. द बिडी वर्कर्स वेलऐयर ॲक्ट, १९७६

२६. द एंप्लोयमेंट एक्सचेंज ॲक्ट, १९५९

२७. द लेबर लॉज ॲक्ट, १९८८

२८. द पब्लिक लाऐबिलीटी इन्सुरन्स ॲक्ट, १९९१

संदर्भ : अखिलेश नारायण : श्रमिक विधियां (म.प्र.औद्योगिक सम्बन्ध सहित आगरा लॉ एजेन्सी, आगरा, १९९०)

अध्याय – ९

अभिप्राय, सुझाव एंव उपाययोजना

अध्याय - ९

अभिप्राय, सुझाव एंव उपाययोजना

भारत यह देश समाजवादी समाज रचना पर विश्वास करनेवाला राज्य है और इस समाज रचनामें हमारे श्रमिको का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकी इन श्रमिकों के कारण ही देश में उनके वस्तुवों का निर्माण किया जाता है। श्रमिकों की सर्वप्रथम नागरिक होना जबाबदारी न होकर उन्हे कल्याणकारी का सीमित रूप में विचार न करते हुए उनकी सामाजीक एंव आर्थिक स्थिती का विचार करना आवश्यक है कयोंकि इस आधुनिक वर्तमान समय में उत्पादन के बृहत अनुपात पर समाज का स्थान निश्चित किया जाता है। श्रमिकों को यदि समाज में उचित स्थान दिया जाता है तो उसका उचित तथा अनुकुल परिणाम उसके कार्य पर पडेंगा नही तो मेरा काम निम्न दर्जे का है ऐसा उसे प्रति होगा तब उसका प्रतिकुल परिणाम उसकी कार्य क्षमता पर पडेगा ।

इस अध्याय में संशोधन के सारांश के अंतर्गत नागपूर शहर के भवन निर्माण श्रमिकों का सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति का अध्ययन का विवेचन किया गया हैं एंव प्रकाश डाला गया है।

वर्तमान युग में भारत देश अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है इसका मुख्य कारण इस देश कि बढती हुई जनसंख्या है लोगो कि अनेक आवश्यकताओं में मुलभुत आवश्यकता आवास कि होती है एंव आवासों का निर्माण इन श्रमिकोंकी सहायता के बगैर बनाना सम्भव नहीं होता है तथा भवन-निर्माण श्रमिक किन परिस्थितयिों में रहते हुये इन उद्योगों में अपनी सेवाएँ निरन्तर देते है इसका विचार अनेक दिनों से मन में चल रहा था क्योंकि नागपुर शहर में बडे पैमाने में मकानों कि संख्या दिखाई देती है इसलिए मन में प्रश्नों का समाधान तलाशने के लिए भवन-निर्माण श्रमिकों कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिती का अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ।

भवन-निर्माण उद्योग में श्रमिकों को बहुत शारीरीक मेहनत करनी पडती है परन्तु उसके बदले में मजदुरी कम मिलती है ऐसा चित्र दिखाई दिया कि श्रमिकों की आय पर ही उनका जीवन स्तर निर्भर रहता है तथा उसी पर उनका समाज में स्थान निश्चित रहता है किसी भी व्यक्ति का शारीरीक श्रम करने के उपरान्त उचित अनुपात में आय न मिल रही हो एवं सामाजिक परिस्थिती अच्छी न हो तो श्रमिक मन मुताबिक कार्य नही कर पायेगा अर्थात उनके मन पर विपरीत परिणाम होता है क्योंकि श्रमिक काम में आठ घंटे रहता है एंव समाज में सोलह घंटे रहता है जिससे उनकी कार्य स्थिती एवं कार्य स्वरूप के साथ-साथ उनके सामाजिक एंव आर्थिक स्थिती का अध्ययन करना जरूरी होता है एवं सोलह घंटे में समाज कि ओर से उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उनका समाज में क्या स्थान है। यदि यह सब बाते अनुकुल है तो वह समाज में समाधान से कार्य कर सकेगा इसलिए कार्य के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिती अच्छी रहना भी जरूरी है।

अभिप्राय :

१. पिछले अध्यायो में किये गये विश्लेषण के आधार पर हम देखते है कि वर्तमान समय में हमारे देश में तेजी के साथ जनसंख्या में वृध्दि हो रही है। जनसंख्या की इस वृध्दि ने अनेकानेक समस्याओं को जन्म दिया है। इसका सर्वाधिक प्रभाव हमें आवश्यक आवश्यकताओं में होने वाली कमी के रूप में दिखाई दे रहा है। भोजन की कमी के साथ-साथ दुसरी अनिवार्यता है, आवास। जनसंख्या वृध्दि के साथ-साथ आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को गतिशील बनाने के कारण भवन निर्माण का कार्य सर्वत्र बडी तेजी के साथ विकसित हो रहा है। सर्वत्र ही विशेष कर शहरी क्षेत्र में बडे पैमाने पर शहरीकरण के कारण बडी मात्रा में धन एवं पुंजीका इस कार्य में निवेश किया जा रहा है। इस प्रकार भवन निर्माण वर्तमान समय में एक प्रमुख क्रिया रूप में हमारे देश में संचालित किया जा रहा है।

किन्तु भवन निर्माण कार्य चाहे वह सरकार व्दारा करवाया जाय या निजी व्यक्तियो व्दारा उसमें जो श्रमिक नियोजित किये जाते है, वे या तो स्वतंत्र रूप से या किसी ठेकेदार के अधीन रहकर कार्य कर रहे है। इन श्रमिको की कार्य की दशाओं की एवं सेवा शर्तो के संबंध में स्थिती अत्यधिक दयनीय है, क्योंकि सरकार ने इन श्रमिकों की सुरक्षा ने कहने को, ठेके के श्रम पर कानून व्दारा बंधन लगा दिया है। किन्तु व्यवहार में आज भी बडी संख्या में ठेके का श्रम ही इस क्षेत्र में कार्यरत है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु चुनें गऐं श्रमिकों में भी दोनों प्रकार के श्रमिकों को लिया गया है अर्थात कुछ श्रमिक ठेकेदार के अधीन रहकर कार्यरत है तो कुछ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे है। सभी श्रमिक विभिन्न समस्याओं से पिडित है।

२. श्रमिकों की मजदूरी का स्तर नीचा है, क्योंकि एक ओर तो देश की अर्थव्यवस्था मे तेजी से बढती कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति के कारण दुसरे नागपूर शहर सीमा से लगे मिहान प्रकल्प की स्थापना का भी, कीमत स्तर पर भी प्रभाव पडा है। जिससे श्रमिकों को अपना जीवनयापन करना एक कठिन समस्या बन गयी है। यही कारण है कि श्रमिकों का जीवन स्तर नीचा पाया गया है। क्योंकि अधिकांश श्रमिक अपनी आय का सर्वाधिक भाग आवश्यक आश्यकताओ पर व्यय करने को बाध्य है जब कि श्रमिक अपनी अनिवार्य आवश्यकतायो की पूर्ति सही ढंग से नही कर पा रहे है तो ऐसी दशा में आरामदायक वस्तुओं के उपभोग की कल्पना करना कठिन प्रतित होता है। श्रमिकों मे मादक पदाथों की, विशेषकर शराब, उपभोग की आदत देखने को मिली साथ ही इन लोंगो में सिनेमा जाने का भी बहुत शौक है। यह स्थिती उनके सामाजिक वातावरण के कारण से बनी हुई है।

३. श्रमिको के कार्य के घंटे भी अधिक है। सामान्यतः उन्हे प्रातः ८ बजे से शाम ५ बजे तक कार्य करने को कहा जात है किन्तु अधिकांश परिस्थितीयो में उन्हे रात के सात और आठ बजे तक कार्य करना पडता है। जिससे उन पर शारीरिक और मानसिक तनाव बढा है।

४. श्रमिको की कार्य दशाये भी अनुकूल नही है। उन्हे कार्य से संबंधित विभिन्न सुविधाओं की सामान्यतः नियोक्ता व्दारा कोई व्यवस्था नही की जाती है। इस समस्या की ओर श्रमिकों का अधिक ध्यान नही है, क्योंकि उन्हे कानुन के अंतर्गत दिये गये सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का ज्ञान नही है, और उनका शिक्षित न होना भी एक कारण है।

५. श्रमिकों की अन्य महत्वपूर्ण समस्या है उनमें व्याप्त बेरोजगारी की स्थितीका प्रायः सभी श्रमिकों पर सीधा प्रभाव पडता है अर्थात वर्षा हो ने की दशा में अथवा तीव्र गर्मी पडने की स्थिती में भवन निर्माण कार्य प्रायः बन्द रहता है। ऐसी स्थिती में श्रमिकों को या तो बेकारी का सामना करना पडता है अन्यथा जीवनयापन हेतु कोई अन्य कार्य की तलाश करनी पडती है। कभी-कभी उन्हे कई दिन तक कार्य प्राप्त नही होता। जिसमे वे अन्य निम्नस्तरिय कार्य को अपना कर अपना जीवनयापन करने को बाध्य हो रहे या फिर पलायन की भुमिका अपना रहे है।

६. श्रमिकों की आय का स्तर नीचा होने के कारण अधिकांश श्रमिकों की आय इस योग्य नहीं होती कि उनकी आय दैनिक व्यय की पूर्ती हेतु पर्याप्त हो। ऐसी दशा में ८५ प्रतिशत चुने गए श्रमिकों को अपने दैनिक व्यय की पूर्ती हेतु ऋण लेना पडता है। इसके साथ ही अधिकांश श्रमिकों की बचत नाम मात्र की होने या अत्यधिक नीची होने के कारण, यदि वे अपना दैनिक व्यय अपनी आय के साथ समाायोजित कर भी ले तो उन्हे आकस्मिक व्ययों की पूर्ती हेतू ऋण

का सहारा लेना ही पडता है। इस प्रकार चयनित श्रमिकों में से ८५ प्रतिशत श्रमिक किसी न किसी प्रकारसे ऋणग्रस्त है। यह संतोषजनक स्थिती का द्योतक नही है।

७. चयनित श्रमिकों की आवास संबंधी स्थिती भी संतोषजनक नहीं है। अधिकांश श्रमिकों के स्वयं के आवास है किन्तु वास्तव में देखा जाय तो अधिकांश श्रमिकों के मकान कच्चे एवं एक आदर्श आवास से जुडी आवश्यक प्राकृतिक प्रकाश आदि सुविधाओं के अभाव में बिजली, पानी, शौचालय, स्नानागार, प्राकृतीक प्रकाश आदि सुविधाओं से रहित है अर्थात आवासों के अभाव के साथ ही अधिकांश मकान एक या दो कमरों के ही है। यह भी देखा गया है कि अधिकांश श्रमिक अपने आवासों की स्थिती से संतुष्ट नही है तथा विपरीत स्थिती में ही उन्हें इनमें निवास करना पडता है।

८. वर्तमान समय में वेतन के साथ ही वेतनेत्तर सुविधाओं का बहुत अधिक महत्व है किन्तु भवन निर्माण के कार्य में लगे श्रमिक को वेतनेत्तर सुविधाओं के नाम पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नही है। यहां तक कि श्रमिकों की बीमारी की दशा में भी नियोक्ता व्दारा उन्हे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कि अत्यावश्यक है। श्रमिकों को मात्र ५ दिन कि छुट्टियाँ दी जाती है। इसके अतिरिक्त बोनस, वार्षिक वेतन वृध्दी, प्रमोशन, सामाजिक सुरक्षा हेतु प्राविडेन्ट फंड, पेंन्शन ग्रेच्युटी आदि किसी भी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध नही है। हाँ वर्ष में किसी त्योहार के अवसर पर, कुछ अवश्य दिया जाता है।

९. हमारे देश में श्रम कों वैसे ही निम्नस्तरिय दृष्टी से देखा जाता है। श्रमिक की आयका स्तर अत्यधिक नीचा है। अतः समाज में वे उपेक्षित व्यक्तियों की श्रेणी में ही आते है। श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिक अपने बच्चो को इस क्षेत्र में लाने के इच्छुक नही है। यह

इस बात का घोतक है कि श्रमिकों में अपने कार्य के प्रति असंतोष का वातावरण व्याप्त है, जिसे शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता।

१०.श्रमिक चुकि यंत्र तंत्र बिखरे है तथा अलग-अलग नियोक्ताओ के अधीन रहकर कार्य करते है। अतएवं इनमे श्रम संगठन जैसी कोई बात नही है। यही नहीं बाह्य नेतृत्व भी, इनकी समस्याओं के समाधान हेतु इनकों संगठित करने में किसी प्रकार का संगठन बनाने के प्रति सजग नही है क्योंकि वे भाग्य के सहारे आगे बढने में अधिक विश्वास करते है।

११.एक अन्य समस्या जो श्रमिकों के समक्ष है वह अशिक्षा की। अशिक्षा के कारण जहाँ एक ओर श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है वही अशिक्षा के कारण उनमें कुछ दुर्गण जैसे-मादक द्रव्यो, विशेषकर शराब के प्रयोग की आदत पड गई है ये बात इसलिये चिन्तनीय है कि वैसे भी मादक पदार्थो का प्रयोग कोई अच्छी बात नहीं है फिर श्रमिकों की नीची आय के कारण यहाँ के अनिवार्यताओं की पूर्ति करने में ही कठिनाई का अनुभव करते है। तब मादक द्रव्यो पर व्यय करना उचित प्रतित नहीं होता है।

१२.इस प्रकार हम देखते है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जुझना पड रहा है किन्तु खेद का विषय है कि सरकार ने जहाँ एक ओर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सेवा शर्तो, कार्य दशाओं, मजदूरी आदि के नियमन हेतु अनेकानेक कानून बनाकर लागू किये वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने कुछ भी नही किया जबकि वर्तमान संदर्भो में सरकार गरीबी, असमानता, अन्याय आदि की समाप्ति हेतु सक्रिय है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या का समाधान किया जाना भी प्राथमिकता के क्रम में उपर आता है। अतएंव आज इस बात की आवश्यकता है कि असंगठित क्षेत्र के

श्रमिकों के कल्याण एंव सुरक्षा आदि के लिये तुरन्त कार्यक्रम बनाये जाये। यदि सरकार इनकी भलाई हेतु पृथक कानून नही बना सकती तो, कम से कम वर्तमान कानून जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू है उन्ही को कुछ सीमा तक असंगठित क्षेत्र पर भी लागू करने के प्रयास कर सकती है। संक्षेप में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कम से कम निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

श्रमिकों की सामाजिक एंव आर्थिक स्थिती में सुधार करने के लिए सुझाव एंव उपाययोजना :

१. आवास संबंधी समस्या शहरी क्षेत्र में दिन-ब-दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है ऐसी अवस्था में अच्छे आवास, आज एक समस्या बन गए है। चयनित श्रमिकों में कहने को तो अधिकांश श्रमिकों ने स्वयं के आवास बना लिये है किन्तु वास्तव में वे सभ्य नागरिक जीवन की आवश्यकताओं रहित मात्र झोपडे है। जिन्हे सही अर्थो में मनुष्यों के रहने योग्य नहीं कहा जा सकता। अतः जरूरी है कि सरकार का गृह निर्माण मंडल, स्थानीय स्वायत्त संस्था आदि के सहयोग से श्रमिकों की उचित आवास की व्यवस्था हेतु प्रयास करें।

२. श्रमिकों को वित्तीय कठिनाईयो से मुक्त रखने हेतु नियोक्ताओं व्दारा स्थानीय आधार पर कुछ राशि श्रमिकों से अंशदान के रूप में लेकर तथा इतनी ही राशि नियोक्ताओं व्दारा मिलाकर डाकघर या बँक में रखी जाय तथा उसका मासिक हिसाब श्रम निरीक्षक को दिया जाय तथा श्रमिकों व्दारा सेवा से अलग होने या अन्य किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिती में श्रमिकों को वित्तीय सहायता मिल सके।

३. जो नियोक्ता ठेकेदार श्रमिकों को कानून सम्मत सुविधायें देने मे आनाकानी करते है अथवा अपनी असमर्थता बताते है उनके विरूध्द कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

४. श्रमिकों में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाय जिससे एक ओर उनमें व्याप्त बुरी आदतें दूर होगी दूसरी ओर वे अपने अधिकारो के प्रति सजग होंगे संभव है कि श्रमिक अपने अधिकारों की रक्षा हेतु भी स्वंय प्रयास करने लगेगे।

५. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विशेषकर भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि एक ओर तो भवन निर्माण कार्य में दुर्घटनाओं के कारण, चोट लगने से आंशिक या पूर्ण असमर्थता की अथवा मृत्यु की अधिक संभावना रहती है, कुपोषण के कारण इन श्रमिकों में शारीरीक दुर्बलता समय से पूर्व ही आ जाती है। गरीबी के कारण परिवार के अन्य सदस्य भी इनको भार समझने लगते है।

६. प्रत्येक नियोक्ता ठेकेदार को अपने श्रमिकों का एक रजिस्टर रखना चाहिए जिसका निरीक्षण समय-समय पर श्रम निरीक्षकों व्दारा किया जाना चाहिए।

७. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को तत्काल प्रभाव से असंगठित क्षेत्र में लागू कर दिया जाना चाहिए जिससे कि श्रमिक शोषण से मुक्त हो।

८. श्रमिकों की कार्यदशाओं, सेवा शर्तो, मजदूरी दरों, वेतनेत्तर सुविधाओं के लिये सरकार को उचित वैधानिक व्यवस्था करना चाहिए तथा यदि कोई नियोक्ता इन सुविधाओं को देने में असमर्थ है तो सरकार को ऐसे प्रयास करना चाहिये जिससे श्रमिकों को शोषण एवं कठिनाईयो से किंचित मुक्ति मिल सके।

९. सरकार को इस क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु कानूनी सरंक्षण देने हेतु सक्रियता से प्रयास करना चाहिए तथा इस क्षेत्र में कानूनो के सही ढंग से कार्यान्वयन हेतू निरीक्षकों की नियुक्ती करना चाहिए।

१०.असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु इन क्षेत्रों का समय-समय पर सर्वेक्षण करवाया जाय तथा सर्वेक्षण के निष्कर्षो को लागू करने के ईमानदारी पूर्ण प्रयास किये जाये।

११.श्रमिकों के नामो की सुचि बनायी जानी चाहिए जिसमें उनका पुरा नाम, गांव, पता एवं कौनसे प्रकार का कार्य करते है। उसका स्वरूप और कौन से प्रकार का कार्य करने को तयार है। इसका स्पष्ट विवरण संकलित किया जाना चाहिए।

१२.श्रमिकों के लिए रोजगार विनियम केंद्र की स्थापना करना और केन्द्र की ओर से विभिन्न प्रकार के श्रमिको का पंजीयण एवं कार्य की पुर्ती का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

१३.श्रम बाजार मे श्रमिकों को अल्प ब्याज दर से लघु उद्योग एवं गृह उद्योग की स्थापना करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिऐ जिससे ऐसे श्रमिकों की संख्या में कमी आयेगी, जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है।

१४.श्रमिकों के लिए शाम के समय प्रौढ शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ-साथ कुटीर उद्योग एवं अन्य व्यवसाय के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। जिससे वे स्वालम्बी बन संके।

१५.बाल श्रमिकों के लिए रात के समय में मोफत शिक्षा की व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए जिसमें शिक्षा का उन पर सकारात्मक प्रभाव पढेगा और वे बुरी आदतों से दुर रहेंगे।

१६.श्रमिको को मिलने वाली मजदुरी की दर में वृध्दि करनी चाहिए क्योंकि श्रमिकों को प्राप्त होनेवाली मजदुरी में उनके परिवार का जीवनयापन और उनके बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। परिणामस्वरूप उनकें बच्चों को अल्प उम्र में ही बाल श्रमिक बनने में मजबुर होना पडता है जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होने में अनेक समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

१७.श्रमिकों की मजदुरी की दर निश्चित की जानी चाहिए और उनके मजदुरी की दर में कमी न हो इसके लिए कानुन में विशेष प्रावधान किये जाने चाहिए एवं कार्य के घन्टें तय किये जाने चाहिए उसी तरह महिला श्रमिक एवं बाल श्रमिकों के काम के घन्टें भी निश्चित किये जाने चाहिए।

१८.श्रम बाजार के श्रमिकों को परिवार नियोजन का महत्व समझाकर परिवार नियोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसके लिए सरकार की ओर से आकर्षक पुरस्कारो का प्रलोभन दिया जाना चाहिए ताकि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में इस की मदत हो सके।

१९.कार्य करते समय यदि श्रमिक दुर्घटना-ग्रस्त हो जाता है तब श्रमिक को तथा उसके परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में नियोंक्ता या ठेकेदार की ओर से परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी उठाने में मदत देनी चाहिए।

२०.श्रमिकों को उनके जीवन में बचत का क्या महत्व है यह समझाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बचत करने वाले श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

२१.श्रमिकों को जुआ, सट्टा तथा मादक पदार्थो की बुदी आदतों के उपयोग से जो शारिरीक एवं मानसीक दुष्परिणाम होते है उसके बारे में उन्हे उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

२२.भवन-निर्माण करने वाले ठेकेदारों ने उनके अधिन कार्यरत श्रमिकों का बीमा निकालना चाहिए। ताकि उन्हें मुसिबत की घडी में उबरने का उचित अवसर मिल सके।

२३.किसी भी श्रमिक पर यदि नियोक्ताओं अथवा ठेकेदारो की ओर से कोई अन्याय या अत्याचार किया जाता है ऐसी दशा में श्रमिकों को कानून के तहत उचित सामाजिक सुरक्षा तथा कानुन की निःशुल्क सलाह प्राप्त करवा देने के उपलक्ष में सरकार ने उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

२४.श्रमिकों के लिए सामाजिक कल्याण करने की व्यवस्था करनी चाहिए। श्रमिक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिती में सुधार करने के लिये उपयुक्त सुझाव किये जाते है।

अध्याय – १०

प्रश्नावली एंव संदर्भ ग्रंथ सुची

अध्याय – १०

प्रश्नावली ओर सन्दर्भ ग्रंथ सुची

परिशिष्ट – १

प्रश्नावली

“नागपूर शहर के भवन निर्माण श्रमिकों की सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति का अध्ययन”

(विद्यापिठ अनुदान आयोग द्वारा पुरस्कृत लघु शोध प्रकल्प)

मुख्य संशोधक : डॉ.भगत एम.चचाने सहयोगी प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग)

गो.से.अर्थ–वाणिज्य महाविद्यालय, अमरावती रोड नागपुर ४४०००१

प्रश्नावली

(कृपया सभी प्रश्न को उत्तर के रूप मे चिन्हीत किजिऐ)

अ) व्यक्तिगत जानकारी :

१. मालिक/नियोक्ता का नाम : ----------

२. मालिक एंव नियोक्ता पता : ----------

३. श्रमिक का पुरा नाम : ----------

४. श्रमिक का पुरा पता : ----------

५. उम्र : ----------

६. जाति एंव धर्म : ----------

७. मातृभाषा : (हिन्दी/मराठी/अन्य भाषा)

८. वैवाहिक स्थिति : (विवाहित/अविवाहित)

९. शिक्षा : (माध्यमिक/उच्चमाध्यमिक/ उच्च हायस्कुल/ स्नातक)

१०. वार्षिक आय :(५०००० रू. से कम/५०००० रू. से जादा/परंन्तु १ लाख रूपये तक)

ब) पारिवारिक पृष्ठभुमि

१. परिवार में कुल सदस्य संख्या की जानकारी :

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	लिंग	उम्र	रिश्ता	मासिक आय
१ २ ३ ४ ५					

२. परिवार का स्वरूप : सयुंक्त / विभक्त

३. परिवार नियोजन किया गया है क्या ? हां / नहीं

किया है तो क्यों ? ----------

नही किया है तो क्यो ? ----------

क) आवास संबंधी जानकारी :

१. मकान का स्वरूप/ प्रकार कैसा है। पक्का, कवेलुका, मिट्टीका, झोपडी,

२. आपके मकान में कितने कमरे है :- १,२,३,४ सामान्य तथा प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल : ----------

३. परिवार में उपस्थित सदस्यों के अनुसार मकान पर्याप्त लगता हैं क्या ? हां /नहीं

४. आपके मकान में बिजली की व्यवस्था है क्या ? हां /नहीं

५. मकान प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से सुविधाजनक है क्या ? हां /नहीं

६. आप जिस मकान में निवासित है वह स्वयः का है/किराये का है। स्वंय का/ किासये का

७. मकान किराये का होने से किराया प्रतिमाह कितना है राशि

१०००,१५००,२००० रूपये

८. आप के पास कृषि भुमि है क्या यदि हां तो कितनी एकर जमिन है। एक/दो/तीन/ या तीन से ज्यादा एकर

९. आपके मकान के आसपास महानगर पालिका की और से मूलभूत सुविधाएँ मुहैया करायी गयी है क्या ? हां/नहीं यदि हां तो कौनसी सुविधाएँ ----------

१०. आपको भवन निर्माताने निवास उपलब्ध कराया है क्या ? हां/नहीं

ड) शिक्षा संबंधी जानकारी :

१. आप अपने जीवन में शिक्षा को महत्व देते है क्या ? हां/नहीं

२. शिक्षा प्राप्त न करने का कारण क्या हैं ? आर्थिक समस्या/पारिवारीक समस्या/पाठशाला नहीं थी/पडने की इच्छा नहीं थी।

३. यदि संभव हो तो आगे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा है क्या? हां/नहीं

४. शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण क्या हैं ? धन की व्यवस्था/मार्गदर्शक मिलने पर

५. यदि पढने की इच्छा नहीं है तो कारण क्या है ? : इच्छा नहीं है/आवश्यकता महसुस नहीं होती/आगे पढना का लाभ नहीं है।

६. क्या आपके बच्चे पढ रहे हैं ? : हां/नहीं यदि हां तो जानकारी दिजिए। ----------

क्र.	लडका/लडकी का नाम	प्राथमिक	माध्यमिक	महाविद्यालय	अन्य
१ २ ३ ४ ५					

७. आपने कोई प्रशिक्षण लिया है क्या ? :

हां/नहीं

यदि लिया है तो कौनसा ----------

यदि नहीं तो क्यों ? ----------

ठ) स्वास्थ संबंधी जानकारी :

१. आपका स्वास्थ कैसा है अच्छा/खराब/सामान्य

२. आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है क्या ? हां/नहीं

३. यदि हां तो बीमारी का प्रकार क्या है ? ----------

४. आप इलाज के लिए कहाँ जाते है? सरकारी दवाखाना/निजी दवाखाना/घर में

५. आप तनाव या परेशानी कम करने के लिए व्यसन का उपयोग करते है क्या ?---------- हां/नहीं

६. व्यसन का प्रकार क्यु है? : दारू/चरस/गांजा

७. दारू पीने से आपके स्वास्थ पर कोई परिणाम हुआ है क्या? :---------- हां/नहीं

फ) मनोरंजन संबंधी जानकारी :

१. आप कौनसे मनोरंजन के साधन को महत्व देते है ? : सिनेमा/दारू/जुआ/लॉटरी

२. मनोरंजन के लिए प्रतिमाह कितना खर्च करते हो? : अनुमानित रूपये ----------

ग) सामाजिक जानकारी :

१. आपके काम के प्रति समाज का दृष्टिकोन कैसा है ? : प्रतिष्ठित/अप्रतिष्ठित/बता नहीं सकते

२. यदि आप का काम अप्रतिष्ठित है तो उसके पीछे कारण क्या है ? : काम की और देखने का दृष्टिकोण/आय कमी मिलती है इसलिए/बुरी आदतों के कारण

३. आपकी राजकीय विचारधारा कौनसी है कॉंग्रेसी / भाजप / कमुनिष्ट विरोधी पक्ष

च) व्यावसायिक जानकारी :

१. आप कितनी शिफ्ट/पाली में काम करते है ? एक/दो/तीन

२. आप एक शिफ्ट में कितने घण्टे काम करते है ? : आठ / बारा घटें

३. यदि आपकों कोई दूसरा काम मिलता है तो तब चलित काम छोडोंगे क्या ? हां/नहीं

४. आप इस काम में सतुष्ट है क्या ? हां/नहीं

५. यदि हां तो आप किस श्रमिक संघटन के सदस्य है क्या ?

हां/नहीं

६. यदि हां तो आप किस श्रमिक संघटन के सदस्य है : नाम

७. भवन निर्माण के काम में कार्यरत रहने से आपके स्वास्थ पर कोई परिणाम होता है क्या ? हां/नहीं

८. यदि हां तो कौनसा ? : बहरापण/चिडचिडापण/अस्वस्थता/ मानसिक थकान

९. आपने जिस अवधि में काम किया है उस समय कोई धोखा उत्पन्न हुआ था क्या ? हां/नहीं

१०. आपको सप्ताह में काम से छुट्टी मिलती है क्या? हां/नहीं

११. आप अपने कार्य स्थल पर कैसे आवागमन करते है ? पैदल/सायकल/बस/रेल्वे

छ) श्रमिकों की आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी :

१. आपकों कितनी मजदूरी मिलती तथा कैसे मिलती है ? : दैनिक रूपये/साप्तहिक रूपये /प्रतिमाह रूपये नगद/बैकों व्दारा

२. आप अपनी भृति से संतुष्ट है क्या? हां/नहीं

३. आपकी मजदुरी पर आश्रीत परिवार में कितने सदस्य है संख्या ----------

४. आपका इस काम के अलावा कोई अन्य काम है क्या ? हां/नहीं

झ) व्यय संबंधी जानकारी :

१. आप अपनी निजी आय में से प्रतिमाह कितने फीसदी खर्च करते है प्रतिशत ----------

२. आप अपनी निजी आय में से कपडों पर प्रतिमाह कितने प्रतिशत खर्च करते हों। ----------

३. आप प्रतिमाह परिवार के भोजन व्यय पर कितने प्रतिशत खर्च करते हों? ----------

४. आप अपनी निजी आय में से शिक्षा पर कितने प्रतिशत खर्च हों? : ----------

५. आप प्रतिमाह दवाईदारू पर कितना प्रतिशत खर्च करते हों ?

६. आप उपहारगृह पर प्रतिमाह कितने खर्च करते हों ?

७. आप प्रतिमाह मादक पदार्थो के उपयोग पर कितना प्रतिशत खर्च करते है ?

८. आप अपनी निजी आय में से प्रतिमाह सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रम/त्योहारों पर कितने प्रतिशत खर्च करते हों ?

९. आपने ऋण लिया है क्या ? हां/नहीं यदि हां तो ऋण की अदायगी में कितनी खर्च करते हों।

१०.आपकी प्रतिमाह बचत कितनी है रूपयें ? :----------

११.आपने जीवन बीमा निकाला है क्या ? :--------- हां/नहीं

परिशिष्ट – २

संदर्भ ग्रंथ सुची

हिन्दी

१) भारत सरकार : राष्ट्रीय श्रम आयोग प्रतिवेदन, श्रम मंत्रालय, दिल्ली१९६९

२) डॉ.टी.एन.भगोलिवाल एंव श्रीमती प्रेमलता भगोलीवाल : श्रम अर्थशास्त्र एंव औद्योगिक संबंध, साहित्य भवन,आगरा १९९८

३) एस.पी. पंत : इंडियन लेबर प्रॉब्लेम्स, चेतना पब्लिर्शिग हाऊस इलाहाबाद १९७१

४) डॉ.के.सी.जैन : आर्थिक विश्लेषण, साहित्य भवन, आगरा १९८३

५) डॉ.आर.एम. गोपाल : विकास का अर्थशास्त्र एंव नियोजन, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ १९८३

६) डॉ.के.सी.जैन : अर्थशास्त्र के सिध्दांत, साहित्य भवन,आगरा १९८३

७) डॉ.एस.आर.वहारे : शहरी क्षेत्र मे पारिवारीक बचत व्यवहार भोपाल शहर के सन्दर्भ में शोध प्रबन्ध सागर विश्वविद्यालय, सागर १९८३

८) डॉ.एस.सी. सक्सेना : श्रम समस्याये सामाजिक सुरक्षा

९) एस.के.अवस्थी : श्रमिक विधिया, इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी, इन्दौर, १९९७

१०) जी.पी.सिन्हा एंव के.के.सिंह : श्रम शास्त्र की भुमिका, एस.चंद एंड कंपनी, रामनगर, नई दिल्ली १९८५

११) डॉ.आर.एस.कुलश्रेष्ठ : औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा १९९९

१२) बी.के.लाल श्रीवास्तव : भारत में लोक उद्योग, कल्याणी पब्लिसर्स, नई दिल्ली १९८५

१३) डी.एस.नाथ एवं सी.एस.राना : अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की समस्याये, शिक्षक साहित्य प्रकाशक, आगरा १९७८

१४) आर.एल. पाटनी, एंव रस्तोगी : भारत में उद्योगों का संगठन प्रबन्ध एंव वित्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ १९८१

१५) भारतीय अर्थव्यवस्था, रूद्रदत्त, के.पी. एम. सुन्दरम् : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लिमीटेड, रामनगर नई दिल्ली, सैतालीसवाँ संस्करण, २०१०

१६) डॉ.टी.एन. भगोलीवाल एंव श्रीमती प्रेमलता भगोलीवाल : श्रम अर्थशास्त्र एंव औद्योगिक संम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, २००७.

१७) अखिलेश नरायण : श्रमिक विधियाँ (म.प्र. औद्योगिक संम्बन्ध सहित) आगरा लॉ एजेन्सी, राजा की मण्डी, आगरा, १९९०

१८) वी.सी. सिन्हा : भ्म अर्थशास्त्र, मययूर पेपर बैक्स, ए. ९५ सेक्टर-५, नोएडा, १९९१.

१९) डॉ. रबीन्द्रनाथ मुकर्जी : सामाजिक शोध व सांख्यिकी अथवा (सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, २०११)

२०) पारसनाथ राय : अनुसंन्धान-परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, २००२.

२१)बी.एल. ओझा : भरतीय अर्थंव्यवस्था, रमेश बुक डेपो, जयपुर, नई दिल्ली- २००८-०९

मराठी :

१)रायखेलकर : औद्योगिक अर्थशास्त्र, नाथ प्रकाशन, नारळीबाग, औंरगाबाद १९९२.

२) व.भ. कर्णिक : कामगार संघ आणि औद्योगिक संबंध, कान्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, १९७३

३)डॉ. प्रभाकर देशमुख : श्रमाचे अर्थशास्त्र, विद्या पकाशन, नागपूर, १९८७.

४) डॉ. संतोष दास्ताने एंव कुलकर्णी : औद्योगिक अर्थशास्त्र, सेकठ ब्रदर्स, नागपुर, १९९५.

५) डॉ.सौ. शांता पंडित : उद्योगाचे अर्थशास्त्र, म.रा.वि.ग्रंथ निर्मिती मंडळ, गांधिगबाग, नागपूर, १९८८.

६) संजय नाथे : संपूर्ण नागपूर जिल्हा, नाथे पब्लिकेशन, नागपुर, २०१०.

English :

1) V.G. Mhetras : Labour participation in Management Manaktalas, Bombay 1966.
2) B.K. Bhar : A Handbook of Labour Laws, Academic Publication, India, 1977.
3) R.D. Gupta : Wage Flalxiblilty and full employment, Vikas Publication, 1971.
4) V.K.R.V. Rao : Employement and Unemployment, Allied Publications (P) Ltd., Bombay,1968.
5) R.V. Rao : Rural Industrialilsation iln India, Concept Publishilng Company, 1951
6) R.V. Rao : Cottage & Small Scale Industires, Sterling Publishing (P) Ltd., Delhi 1967.

7) Richard D. Lambert : Workers Factories & Social Changes in India, Asia Publishilng House, 1963.
8) K.K. Subramaninan, and two others : Construction Labour Market, A study in Ahmedabad, concept Publishing Compnay, New Delhi, 1982.

Websites :

1) http://labour. nic.in/dglw/welcome.html
2) http://amravati.nic.in/gazetter/gaetter b/other - social-labour-dept.html
3) http://labour. nic.in/act/welcome.html
4) http://labour. nic.in
5) http://labourbureau.nic.in

अन्य स्त्रोत : (मासिक या वार्षीक पत्रिकाये)

१. इण्डिया टुडे
२. योजना मासिक
३. अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन व्दारा प्रकाशित पत्रिका
४. समाज कल्याण विभाग का अहवाल
५. श्रम संगठनों व्दारा प्रकाशित अहवाल
६. राष्ट्रीय श्रम आयोंग व्दारा अहवाल

अखबारों की सुची :

१. हिन्दुस्थान टाईम्स
२. टाईम्स ऑफ इण्डिया
३. इकोनोमिक्स टाईम्स
४. नवभारत
५. लोकसत्ता
६. हितवाद
७. लोकमत